राजस्थान विधान सभा

५१वीं बैठक, गुरुवार, दिनांक–१७ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न।

प्रश्न संख्या १०००

वर्तमान वर्ष में नई गाड़ियां (बसेज़) चलाने के परमिट देने के आधार

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में कितनी नई लाइनों पर कितनी कितनी गाड़ियां चालू करने के परमिट दिये गये ?

(ख) नये मार्ग तय करने और नये व्यक्तियों को गाड़ियां चलाने के परमिट देने के क्या आधार हैं ?

(ग) ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास पहले कोई लाईसेन्स नहीं थे और उन्हें नये सिरे से आज्ञा दी गई है ?

(घ) ऐसे कितने व्यक्ति या फर्म्स हैं जिनके पास एक से अधिक गाडियां चलाने के परमिट हैं ?

(ङ) टोंक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके लाइसेन्स दूसरों के नाम हैं और गाडियां वे स्वयं चलाते हैं ?

(च) इस प्रकार के अनियन्त्रण के क्या कारण हैं ?

Page No 2

श्री बृजसुन्दर शर्मा (यातायात मंत्री)—(क) ३६ नई लाइनों पर चालू करने के लिए परमिट दिये गये।

(ख) जनता की ओर से नये मार्ग खोलने की मांग आने पर या ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की सिफारिश आने पर ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर द्वारा उस मार्ग का सर्वे कराया जाता है और उसकी रिपोर्ट पर आर. टी. ए. विचार करती है। यदि जनता की सुविधा और ट्रेफिक पोटेन्शियलिटी ठीक होती है तो मार्ग खोल दिया जाता है। प्रत्येक परमिट देने के लिए आर. टी. ए. मोटर वेहीकल एक्ट की धारा ४७ में दी हुई बातों पर विचार करके निर्णय करती है।

(ग) सूची संलग्न है।

(घ) २६१.

(ङ) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदार सिंह—यह सूची मुझे नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—सूची नहीं मिली है!

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—अब दे दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे पास एक ही बची है, मैं पढ़ देता हूं।

रावराजा श्री सरदार सिंह—अब दे दीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—जिन लोगों के पास एक से अधिक मोटरों के परमिट मौजूद हैं उनके परमिटों को क्या सरकार दुबारा रिन्यू करने का विचार करती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सरकार के अधिकार की बात नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—जो कोटा और बूंदी की तरफ बसें चल रही हैं मोनोपोली सिस्टम पर, उनकी मियाद खत्म होने पर उनको और मियाद दी जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब कोई मोनोपोली सिस्टम नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या जोधपुर में ऐसी कम्पनियें हैं जिनके पास ४० से ज्यादा बसें हैं और उनको फिर....

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member is a lawyer. R. T. A. is not the concern of the State Government.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आर. टी. ए. के अधिकार की बात है।

श्री श्रीदास गोयल—Looking to the Socialistic pattern of society, क्या भविष्य में एक कम्पनी या एक फर्म को ज्यादा परमिट नहीं दिये जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १००१

यातायात विभाग की लोरियों में सवारियों की संख्या का निर्धारण एवं इस संबंध में निरीक्षक द्वारा जांच

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) महकमा यातायात की लोरियों में लिये जाने को कितनी सवारियों की संख्या निर्धारित है ?

(ख) क्या सरकारी लोरियां निर्धारित तादाद से अधिक सवारियां नहीं लेती हैं ?

(ग) क्या यातायात इन्सपेक्टर इस बात की जांच करते हैं कि किस लॉरी में कितनी सवारी बैठी हैं ?

(घ) बुधवार, तारीख २२ फरवरी, १९५६ को लारी नं० आर. जे. एक्स. १७९ में सरोली और दूनी के बीच कितनी सवारीयां सफर कर रही थीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (यातायात मंत्री)—(क) जितनी सीटों के लिये प्रत्येक बस रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट में अधिकृत की गई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) कुल मिलाकर ६५॥ सवारियों ने इस लारी में टोंक से देवली व वापिस देवली से टोंक मार्ग पर सफर किया जिसमें दरमियानी सवारियां भी शामिल हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—देवली का कोई प्रश्न नहीं है। सरोली और दूनी के बीच कितनी सवारियों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—बुधवार तारीख २२ फरवरी, १९५६ को लोरी नं० आर. जे. एक्स. १७६ में सरोली और दूनी के बीच कितनी सवारियां सफर कर रही थी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमारे पास दिनांक २२–२–५६ को जितने यात्री टोंक से देवली व देवली से टोंक मय दरम्यानी स्टेशन के उठाये उनका विवरण इस प्रकार है:

टोंक से देवली	देवली से टोंक
१०॥ थ्रू की टोंक से ली गई	१७॥ सवारी थ्रू देवली से ली
१ पोलियाडा की	१ मेन्दवर की
१ वन्थली	१ धान की
२ सरोली की	३ भटजी की
३ नया गांव की	१ नया गांव की
६ अरनी की	५ सरोली की
२ छान की	५ वन्थली की
१ मेन्दवास की	

२६॥ टोंक से लेकर चली और ३३॥ सवारी लेकर देवली से चली। २ सवारी पोलीयाडा से नया गांव की व ३ देवली की व ३ सरोली की मेन्दवास से ली।

इस प्रकार सवारियें लीं। इसकी सूचना हमारे पास है। इसको देखने से मालूम होता है कि टोंक से देवली जाते समय ३॥ सवारियों ने निर्धारित सीटों से अधिक सफर किया परन्तु टोंक से जब लारी चली तब २६॥ सवारियां थीं। इस तरह का विवरण हमारे पास आया हुआ है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

२६।। टोंक से लेकर चली जिनमें से ६ सवारी ३ देवली की व ३ सरोली की मेन्दवास से ली व १ सवारी मेन्दवास उतरी, यानि ३४।। सवारी रही। फिर छान से पेलियाडा की ३ सवारी ली व छान में २ सवारी उतरी यानि ३५।। सवारी हुई। फिर १ सवारी भरनी में उतरी। अब ३४।। रही। फिर १ सवारी नयागांव से पेलियाडा की ली व ३ सवारी नयागांव उतरी। अब ३२।। सवारी रही फिर ३ सवारी सरोली से ली देवली की व २ सवारी सरोली उतरी यानी ३३।। सवारी रही। फिर वन्थली से ३ सवारी देवली की ली और वन्थली में १ सवारी उत्तरी यानि ४१।। सवारी कुल रही देवली तक पहुँचाने में।

महाराज श्री केसरी सिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न मेरा स्पष्ट है, दो स्टेशनों के बीच में कितनी सवारियों ने सफर किया, श्रोवर लोडेड थीं या अकोर्डिंग टू दी सीट्स थीं ?

श्री अध्यक्ष—क्या वह गवर्नमेन्ट लोरी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लोरी तो गवर्नमेन्ट की है किन्तु चेक करने का काम तो रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी को है।

महाराज श्री केशरीसिंह—मेरा प्रश्न तो यह है कि इन दो स्टेशनों, सरोली और दूनी के बीच कितनी सवारियों ने सफर किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमारे पास जो इन्फोरमेशन आती है वह टोटल आती है। उस रोज ६५।। सवारियों ने लोरी से टोंक से देवली तक सफर किया और जो दरमियानी स्टेशनों की सवारियां थीं उनका विवरण मैं आपको दे चुका हूँ।

महाराज श्री केसरीसिंह—डिपार्टमेंन्ट के पास तो इस चीज का विवरण होगा कि इन स्टेशनों के बीच कितनी सवारियों ने सफर किया, whether it was overloaded or not ?

श्री अध्यक्ष—What purpose will be served

महाराज श्री केसरीसिंह—The purpose is this. The lorries go overloaded Sir, and the passengers are put to inconvenience. This should be stopped by Government.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—३।। सवारी निर्धारित सीट से अधिक पाई जाती हैं। अब तो आर. टी. ए. ने अधिक परमिट देने का डिसाइड कर दिया है, दो परमिट और दिये हैं।

प्रश्न संख्या १००२

हिनोता मनिआ चौकी (धौलपुर) के अधीन २४ फरवरी १६५६ को मिलिट्री की मोटर साइकिल से एक पांच वर्षीय बालक की मृत्यु

श्री हंसराज जटिया—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि धोलपुर सब डिविजन में हिनोता मनिआ चौकी के नीचे दिनांक २४ फरवरी सन् १६५६ को मिलिट्री की मोटर साइकिल से कुचल कर एक ५ वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई ?

(२) क्या इस संबन्ध में एस. डी. एम धौलपुर को सूचना दी गई ? यदि हां, तो उपरोक्त विषय पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि ग्राम खानपुर, तहसील बाड़ी धौलपुर सब डिविजन में जो सेना प्रशिक्षण हो रहा है वहां पर सैनिकों द्वारा २ युवतियों को पकड़ा गया और बलात्कार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) जी हां ! एक प्रकरण धारा २९६, ३०४ ए. आई. पी. सी. के अन्तर्गत दर्ज हुआ तथा उसका अनुसंधान किया जा रहा है ।

(२) इस तरह का कोई मामला पुलिस में दर्ज नही कराया गया ।

प्रश्न संख्या १००३

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १००४

धौलपुर जिला कांग्रेस के मंत्री श्री सूबेदारसिंह को ट्रेक्टर लोंन एवं उसकी वसूली इत्यादि

श्री भैंरोंसिंह (श्री मानसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 7

[श्री भैरोंसिंह]

(क) धौलपुर जिला कांग्रेस के मंत्री श्री सूबेदार सिंह को ट्रेक्टर खरीदने के लिये कब और कितनी तकावी दी गई और उसकी किश्तों की वापिसी कितनी हुई ? यदि बिल्कुल नहीं हुई, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सच है कि यह ट्रेक्टर बजाय खेती के काम में लेने के पार्वती बांध पर किराये पर चलाया जा रहा है ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(क) सन् १९५२–५३ में १०,००० रू० की तकावी दी गई।

(ख) एक भी किश्त जमा नहीं हुई । रकम अदायगी की कार्यवाही जिलाधीश भरतपुर के दफतर में जारी है । उनको नोटिस दिया गया, जिस पर उन्होंने वापिस जवाब दिया है कि उनकी खेती की पैदावार कम होने से रकम की अदायगी नहीं हो सकी । उन्होंने किश्तों की रकम कम किये जाने की प्रार्थना जिलाधीश से की है । तकावी की रकम की वसूली का कार्य जिलाधीश किया करते हैं और वह जारी है ।

(ग) इस विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—अब वह ट्रेक्टर किस हालत में है ?

श्री खेतसिंह—वर्किंग आर्डर में है ।

श्री भैरोंसिंह —क्या यह सही है कि तकावी लोन लेने के बाद यह गिरवी रख दिया गया था ?

श्री खेतसिंह—नहीं ।

श्री भैरोंसिंह—जब गिरवी नहीं रखा गया तो तकावी क्यों दी गई ?

श्री खेतसिंह—स्योरिटी उन्होंने दी इसलिये उनको दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह—स्योरिटी कितने दी गई ?

श्री खेतसिंह—दो को ।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि तकावी रूल्स के अन्दर यह बात है कि जो तकावी लोन से जो सामान खरीदा जाय वह गवर्नमेंट के पास हाइपोथिकेटेड रहना चाहिये था ?

श्री खेतीसिंह--आपने कहा वह सही है, किन्तु इस केस में हुआ था नहीं यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह--मैं यह जानना चाहता हूं हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--रूल्स के अन्दर है तो हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह--नहीं हुआ यही तो दिक्कत है ?

श्री खेतीसिंह--तो फिर आप यह कहिये कि यह नहीं हुआ इसका जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह--क्यों नहीं हुआ इसका कारण बता दीजिये ?

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह--अध्यक्ष महोदय, यह दस हजार रूपये का मामला है और माननीय उपमंत्री बताना चाहते हैं तो बताने दीजिये ?

श्री खेतीसिंह--यह तो मैने आप से निवेदन कर दिया कि एक भी किश्त जमा नहीं कराई है। इस पर तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। दूसरे कार्य में प्रयोग लिया जा रहा है वह तो नहीं और ट्रेक्टर इन ओर्डर में है।

श्री भैरोंसिंह--क्या यह सही है कि यह ट्रेक्टर एक कम्पनी को बेच दिया गया है।

श्री खेतीसिंह--यह कतई गलत है।

श्री भैरोंसिंह--क्या यह सही है कि आज भी यह ट्रेक्टर भरतपुर की एक कम्पनी के अन्दर किराये पर चल रहा है और उस कम्पनी में वह गिरवी रख दिया गया है ?

श्री खेतसिंह--ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, अगर आप लिखित में शिकायत करेंगे तो जांच की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह--क्या यह सही है कि भरतपुर के कलेक्टर ने उस कम्पनी को यह सूचना दी है कि यह ट्रेक्टर कौनसी तारीख को उनके यहां मोर्टगेज रखा गया, इसकी इत्तला दें ?

श्री खेतसिंह--यह भी आप इत्तला दे रहे हैं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

Page No 9

प्रश्न संख्या १००५

श्री अध्यक्ष—श्री धूलजी भाई।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १००६

त० सहाड़ा, रायपुर व मांडल में द्वितीय पंचवर्षी योजना के अन्तर्गत इस वर्ष खोले गये विकास योजना एवं रा. वि. सेवा खण्ड

रावत श्री शंभूसिंह—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

भीलवाड़ा जिले की तहसील सहाड़ा, रायपुर और मांडल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कहां कहां सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जाने वाले हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा की तहसील मांडल तहसील गंगापुर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने की योजना है।

रावत श्री शम्भूसिंह—किस किस तहसील में खोलने की योजना है ?

श्री रामकिशोर व्यास—तहसील मांडल में खोलने का इरादा है।

रावत श्री शम्भूसिंह—राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह कई दफा बताया जा चुका है।

श्री शम्भूसिंह—तहसील सहाडा और रायपुर में नहीं खोलने की क्या वजह है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां भी खोला जायगा।

प्रश्न संख्या १००७

सवाई माधोपुर सब डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नये बान्ध

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 10

[श्री वीरेन्द्रसिंह]

(क) सवाई माधोपुर सब डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौनसे नये बांध बनाये जायेंगे ?

(ख) तहसील मलारना चोड में नगलाव बन्ध व लानपुर गोठडा बन्ध बनाये जाने के बारे में अब तक क्यां गति हुई ?

(ग) मोरेल बन्ध से बोंली तथा आसपास के इलाकों को कब तक पानी मिलने लगेगा ?

श्री खेतसिंह—(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नये बांध बनवाने की योजना है :

STATEMENT OF IRRIGATION WORKS UNDER II FIVE YEAR PLAN

S. N.	Tehsil.	Name of work.	Remarks.
		SAWAI MADHOPUR DISTRICT.	
1.	Bonli.	Lakhanpur.	
2.	Hindaun.	Rosori.	
3.	Karauli.	Pohari	
4.	Gangapur.	Chulla.	
5.	,,	Habibpur.	
6.	,,	Bachora.	
7.	,,	Tatorie.	
8.	,,	Kurrari.	
9.	Malarna.	Bandalo.	
10.	,,	Batoda.	
11.	,,	Bandara.	
12.	Sapotra.	Hari-ki-Guwari.	
13.	Nadoti.	Mysooa.	
14.	,,	Kemra.	
15.	Khandar.	Parsupura.	

[श्री खेतसिंह]

16.	S. Madhopur.	Latia.
17.	,,	Supply cut from Hilonda Nallah & raising Jaitpura Bund.
18.	,,	Raising Bhagwatgarh Tank.
19.	,,	Raising Mui Tank.
20.	Bonli.	Innundation tank to utilise surplus water of Dhil Near Nimod.
21.	Sapotra.	Gulabpura Project.

Note--The above works will be taken after Survey & Proper investigation.

(ख) यह दोनों काम अधिक खर्चीले व कम आय वाले प्रतीत हुए इसलिए इनको बनाये जाने का विचार छोड़ दिया गया है।

(ग) अभी नहीं कहा जा सकता, इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से पैमाइश होने के बाद पता लग सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन बन्धों के निर्माण की सूची आपने पढ़कर सुनाई है उसमें से प्रथम वर्ष में कौन कौन से बन्ध लिये जायेंगे ?

श्री खेतसिंह—ज्यों ज्यों सरवे कम्पलीट होती जायगी और जो ज्यादा प्रोफीटेबल मालूम होंगे उनको पहले लिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—जिन बान्धों की सूची आपने पढ़कर सुनायी है उनमें से कौन कौन से बान्ध कम्पलीट हो चुके हैं ?

श्री खेतसिंह—अभी कौन कौन से बान्ध की सरवे कम्पलीट हो चुकी है, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—जब माननीय उपमन्त्री कह रहे हैं कि सरवे होने के बाद में प्रोफिटेबल होगा तो लिया जावेगा; तो जिनकी लिस्ट पढ़ी गई है वे सारे अन्डर कन्सीडरेशन हैं या फाइनली से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले लिये गये हैं !

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रायोरिटी का मामला है।

श्री श्रीदास गोयल—नहीं साहब, इसका मतलब तो यह है कि प्रोफिटेबल अगर नहीं होगा तो वे एबन्डन कर दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—मोर प्रोफिटेबल और लैस प्रोफिटेबल का मामला है। इसी प्रायोरिटी से लिये जावेंगे।

श्री वीरेन्द्रसिंह—मोरेल बान्ध से बोंली को पानी देने के बारे में क्या योजना चल रही है?

श्री खेतसिंह—यह (सूचना) आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूंगा।

प्रश्न संख्या १०८८

आफिशियेटिंग डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को विलम्ब से वेतन मिलने का उत्तरदायित्व

श्री प्रभुदयाल – क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि ओफिशियेटिंग डी. एस. पी. को तनख्वाह हर माह न देकर दो–दो व तीन–तीन माह में दी जाती है?

(ख) यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है?

(ग) देरी के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां।

जितने भी आफिशियेटिंग डी० एस० पी० हैं उनको फरवरी, ५६ तक का वेतन मिल गया है।

(ख) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) कोई भी नहीं होता ऐसे मामलों में।

श्री प्रभुदयाल—यह दो–दो, तीन–तीन महीनों में देने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—उनकी सर्विस पे लिस्ट कुछ ऐतराज के साथ वापिस आ गयी थी।

श्री प्रभुदयाल—ऐसे कितने केस हैं जिनको दो-दो, तीन-तीन महीने से वेतन मिलता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—२६ फरवरी, ५६ तक की तनख्वाह मिल गई है। बाकी केस पेन्डिंग हैं।

श्री प्रभुदयाल—जिनको दो-दो, तीन-तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिलती उनके गुजारे के लिए सरकार क्या सोचती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—गुजारा उनके पास है, यह सोचती है।

(हंसी)

श्री प्रभुदयाल—सरकार के पास क्या गारन्टी है कि उनके पास गुजारे के लिए है।

श्री अध्यक्ष—(घंटी) नेक्स्ट, श्री वीरेन्द्रसिंह। प्रश्न संख्या १००६।

प्रश्न संख्या १००९

सवाई माधोपुर सब डिवीजन में मोरेल बांध के बनाने व उसकी मरम्मत में व्यय हुई धन-राशि

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

सवाई माधोपुर सब डिवीजन में मोरेल बन्ध के बनाने व उसकी मरम्मत में अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है और भविष्य में कितना रुपया और खर्च होने की सम्भावना है ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(क) सवाई माधोपुर सब डिवीजन में मोरेल बन्ध बनाने में २६८५१८६) खर्च हो चुका है। उक्त बन्ध की मरम्मत के लिए ६६१६४) खर्च हुआ है।

अब तक कुल ३५५२९५३) खर्च हो चुका है।

आगे अब ६१४००० रुपया और खर्च होने की उम्मीद है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस बन्ध के पानी से बौंली कस्बे की भूमि की भी सिंचाई की जावेगी ?

श्री खेतसिंह—जी हां, यह विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या लालसोट तहसील की भी इससे सिंचाई करने की व्यवस्था है ?

श्री खेतसिंह—आप सवाल कुछ और कर रहे हैं और पूछ कुछ और रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि इस बान्ध के द्वारा पानी बेकार निकाला जाता है ?

श्री खेतसिंह—इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या यह सही है कि मोरेल बान्ध के मरम्मत के लिए जो रुपया खर्च हुआ वह सही नहीं हुआ ?

श्री खेतसिंह—यह सही नहीं है।

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या यह सही है कि बहुत से खेतों को इस बान्ध से पानी नहीं दिया जाता और उन्हीं दिनों में अधिकतर पानी मोरेल नदी में बहा दिया जाता है व्यर्थ ही।

श्री खेतसिंह—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री श्रीदासगोयल—क्या यह सही है कि मिनिस्टर महोदय को भी और इर्रिगेशन के चीफ इन्जीनियर को आज से एक वर्ष पहले शिकायत की गई थी कि बहुत से काश्तकारों के, जिनके खेती नदी के पाट में होती थी, बन्ध का पानी उसमें बहा दिया जाने से वे सारे खेत बर्बाद हो गये और इस तरह से डबल नुकसान हुआ। एक तरफ तो जिनको पानी चाहिये था उनको नहीं मिलने से उनको नुकसान हुआ और व्यर्थ में दूसरी तरफ पानी बहा देने से जिनके खेत नदी के पाट में थे उनको खेत के बर्बाद हो जाने से नुकसान हुआ।

श्री भैंरूं सिंह—वह शिकायत पुरानी हो गई।

श्री अध्यक्ष—No reply is expected from the member.

श्री खेतसिंह—आप इसके लिए नई एप्लीकेशन दीजिये, मैं जानकारी कर लूंगा।

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—जिन सैंकड़ों लोगों की काश्त नदी में पानी बहा दिये जाने से बर्बाद हो गई उन्होंने कम्पेन्सेशन के लिए भी मुतवातिर मांग की, क्या यह सही नहीं है ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से प्रश्न है।

Page No 15

श्री वीरेन्द्रसिह—सरकार, भविष्य में इस बन्ध का पानी व्यर्थ में नदी में नहीं बहाया जाकर खेती के उपयोग में आवे, इस सिलसिले में क्या कर रही है ?

श्री खेतसिह—इसके लिए जांच करा ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष—जैसा सवाल है वैसा ही जवाब है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १०१०

सराड़ा तहसील में टोकर तालाब का निर्माण व इससे ग्राम-निवासियों को हुई क्षति की पूर्ति

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या सिचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सराड़ा तहसील में टोकर तालब का निर्माण कब हुआ ?

(ख) क्या इस तालाब के निर्माण के समय उक्त गांव की आराजी नम्बर ४१४२, ४१४३, ४१४४, ४१४५, ४१४६, ४१४७ और ४१४८ में तालाब की पाल पर मिट्टी डालने के लिए खाड़ियें लगाई गई जिससे ये आराजीयात बिल्कुल खराब हो गई हैं और काश्त के काबिल नहीं रही हैं ?

(ग) उक्त आराजियात में खाड़ियें लगाने के पूर्व क्या कानूनी कार्यवाही की गई थी और इनके मालिक को हर्जाना देने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब अभी तक नहीं आ सका है, इसलिए उत्तर देने में असमर्थ हूँ। इसके लिए दो रिमाइन्डर भी दे दिये हैं और कल टेलीफोन से भी जानकारी करने की कोशिश की, पर वहां का सुपरिन्टेडेन्ट इन्चार्ज बाहर गया हुआ है इसलिये नहीं आ सकी।

(Shri Sohan Lal Bhatnagar on being conceded).

श्री अध्यक्ष—The member concerned has no objection.

प्रश्न संख्या १०११

सरकार की कम्प्रेशर मशीनें और उनका उपयोग

रावत श्री शम्भुसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

[श्री शम्भुसिंह]

(क) सरकार के पास कम्प्रेशर मशीनें कितनी हैं ?

(ख) उपरोक्त मशीनों को काम के वास्ते दिये जाने का क्या चार्ज किस हिसाब से लिया जाता है ?

(ग) विगत दो वर्षों में इन मशीनों से किस किस जिले की किस तहसील में कितने कितने कुए खोदे गये ?

श्री खेतसिंह—कृषि विभाग के पास इस समय १५ कम्प्रेशर मशीनें हैं।

(ख) लगभग १० फुट व्यास के कुए को एक फीट गहरा करने के लिये यह विभाग ४०) रुपये चार्ज किया करता है।

(ग) गत दो वर्षों में कम्प्रेशर मशीनों द्वारा निम्नलिखित कुए खोदे गये :

सन् ५३–५४	१७५
सन् ५४–५५	८७५

तहसीलवार सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री शंभुसिंह – तहसीलवार सूची मांगी थी वह मिलनी चाहिये थी।

श्री खेतसिंह – मैं जिलेवार बता सकता हूं कि वहां कितने कितने कुए खोदे गये। आप किस जिले की जानना चाहते हैं ?

श्री शंभुसिंह – भीलवाडा जिले की पहले बता दीजिये।

श्री खेतसिंह – भीलवाडा जिले में २६० फीट।

श्री शंभुसिंह – तो यह तहसीलवार सूची आप कब तक दे देंगे ?

श्री खेतसिंह – यह तो अब आप अगले अधिवेशन में पूछना।

श्री भैरूंसिंह – क्या यह सही है कि सरकारी कम्प्रेशर जिन रेटों पर मिलने की बात आप बता रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा रेट पर प्राइवेट में मिल सकते हैं ?

श्री खेतसिंह—प्राइवेट की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—ये मशीनें किस आधार पर दी जाती हैं ?

श्री खेतसिंह—जिस किसी को कुए खोदने के लिये इसकी जरूरत हो और जो इसके लिये एडवांस में आकर रुपये जमा करा दे, उनको दी जाती है।

श्री चुन्नीलाल विरला—बहुत से किसानों के कुए नहीं खोदे गये, क्या यह सही है?

श्री खेतसिंह—हो सकता है।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि सरकार के ये कम्प्रेसर नो लोस नो प्रोफिट के आधार पर दिये जाते हैं?

श्री खेतसिंह—ये पहले दिये जाते थे इस आधार पर। पर आज जब से राजस्थान के मातहत हो गये हैं हम ४०) चार्ज करते हैं।

श्री भैरूसिंह—आज से एक वर्ष पूर्व नो लोस नो प्रोफिट पर दिये जाते थे, क्या यह सही नहीं है?

श्री खेतसिंह—मैं डेफीनेट डेट तो नहीं बता सकता कि आज से एक साल पूर्व ही फलां डेट तक दिये जाते थे।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—आप क्या प्रोफिट लेते हैं इन चालीस रुपयों में से अर्थात् इन रुपयों मे से कितना प्रोफिट का रह जाता है?

श्री खेतसिंह—इसके लिये तो अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री शंभुसिंह—क्या यह सही नहीं है कि नो लोस नो प्रोफिट पर राजस्थान सरकार भी देती रही है?

श्री खेतसिंह—This is a separate question.

श्री शंभुसिंह—किसानों को राहत देने के लिये इसमें कुछ कमी करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री खेतसिंह—यह बहुत सोच विचार के बाद ही तै किया है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि कई लोगों से एडवान्स लिये बिना ही कम्प्रेसर मशीन उनको भेजकर कुए खुदवाये हैं?

श्री खेतसिंह—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। यदि आप देंगे तो जांच करा ली जावेगी।

Page No 18

श्री भैरूं सिंह—जो एप्लीकेशन्स दी जाती हैं उनका निर्णय किस आधार पर किया जाता है, अपनी मर्जी के आधार पर या प्रायरिटी के आधार पर ?

श्री खेतसिंह—प्रायरिटी के आधार पर।

श्री शंभुसिंह—भीलवाड़ा की कितनी दरख्वास्तें पेन्डिन्ग में हैं ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से सवाल है। पर आप भीलवाड़ा के मुतल्लिक मशीनों के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूँ। वहां दो मशीनें अभी काम कर रही हैं।

श्री शम्भुसिंह—किस किस जगह काम कर रही हैं ?

श्री खेतसिंह—यह इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि कहीं कहीं कठोर चट्टान आने पर उसे काटने के नाम पर इस रेट में भी बढ़ोतरी की जाती है और अधिक चार्ज किया जाता है ?

श्री खेतसिंह—इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री शम्भुसिंह—क्या यह सही है कि इसकी रेट ज्यादा होने के कारण लोग इन मशीनों का अधिक फायदा नहीं उठा पा रहे हैं?

श्री खेतसिंह—एक तरफ कहते हैं अधिक मांग है उसकी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है और दूसरी ओर आप कहते हैं कि मांग कम है।

श्री अध्यक्ष—यह तो हवा में सवाल है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ८६६

ग्राम बरजवाला में तहसील करनपुर विकास खंड की ओर से पानी की डिग्गी का निर्माण

श्री प्रभुदयाल—क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तहसील करनपुर विकास खंड की ओर से गांव बरजवाला में कोई पीने के पानी की डिग्गी बनाई गई है ?

Page No 19

[श्री प्रभुदयाल]

(ख) यदि हां, तो विकास खंड की ओर से कितनी और गांव की तरफ से कितनी रकम खर्च की गई है ?

(ग) क्या यह सच है कि उक्त गांव से ३००) रु० लिया गया ? यदि हां, तो वह क्यों लिया गया ?

(घ) क्या सरकार इस वर्ष में जांच करवाने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास (सामुदायिक योजना मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) विकास खंड की ओर से ग्रान्ट इन एड के रूप में २७४५) रु० और जनता की तरफ से ३११६) रु०, कुल ५८६१) रु० खर्च किये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हनवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे ११ तारीख के प्रश्न कब आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

श्री धूलजीभाई

(अनुपस्थित)

पृथक राजस्व मन्त्री आज भी नहीं आये ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—आये तो थे। कल पर रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—कल भी नहीं आयेंगे तो ?

श्री रामकिशोर व्यास—तो आवश्यक कार्यवाही कीजिये।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व, मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

(१) श्री शिवदानसिंह दिनांक १४. ५. ५६ से १६. ५. ५६ तक

(२) श्री लालसिंह शक्तावत १६. ५. ५६ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

राजस्थान की पाठशालाओं में राजस्थानी भाषा एवं बोलियों की शिक्षा देने हेतु समिति की स्थापना सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा संकल्प सदन के सम्मुख इस प्रकार है:— "इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान की पाठशालाओं में राजस्थानी भाषा और तत्सम्बन्धी बोलियों (डायलेक्ट्स) की शिक्षा देने व एतदर्थ नियम बनाने के हेतु इस सदन के पांच सदस्यों की एक समिति बनाई जावे जो अपनी रिपोर्ट दो माह के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर देवे।"

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में शिक्षा की प्रगति का जहां तक प्रश्न है वह मेरे इस प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष के दूसरे राज्यों के बनिस्बत राजस्थान शिक्षा में कुछ पिछड़ा हुआ समझा जाता है। मैं इसका एक कारण यह भी समझता हूं कि हमारे बालकों की मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं किया जाता और यही शिक्षा में पिछड़े हुए होने का मूल कारण है।

माननीय अध्यक्ष, हमारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, वह जिस भाषा के द्वारा दी जाती है, हिन्दी भाषा में, वह हमारे राजस्थान के बालकों के वास्ते बहुत कठिन भाषा प्रतीत होती है और वे इसको जल्दी ही पिक अप नहीं कर सकते हैं। जितना हिन्दी भाषा का प्रचार होने की वजह से इतने दिनों से शहरों में तो किसी प्रकार से उनका प्रचलन हो सका है, परन्तु जहां तक देहातों का प्रश्न है वहां जिस भाषा में, कठिन हिन्दी में, शिक्षा दी जाती है वह बालक उसको भलिभांति ग्रहण नहीं कर सकते और कई शब्द ऐसे हैं कि जो उनके वास्ते नये प्रतीत होते हैं। मेरे एक मित्र मेरे से एक दिन कहने लगे कि वे एक प्राथमिक पाठशाला में बैठे हुए थे और वहां शिक्षक कुछ बालकों को पढ़ा रहा था ...

[रावत श्री शंभुसिंह]

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

उस समय उसने यह वाक्य बालकों के सामने कहा, "यह एक सुन्दर पुष्प है" तो बालक उसको समझने से मजबूर हुए और प्रश्न किया कि 'सुन्दर' और 'पुष्प' क्या वस्तुएं हैं। अपनी भाषा में उसने कहा, मगर मास्टर साहब उसको ठीक प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर सके। तब मेरे मित्र जो पास में बैठे हुए थे उन्होंने समझाया कि यह 'फूटरा या रूपाला फूल है' 'फूटरा' और 'रूपाला' शब्द 'सुन्दर' के स्थान पर सुने जब कहीं वे समझ पाये। तो माननीय चेयरमेन, जिस कठिन भाषा में हम हमारे बालकों को शिक्षा देते हैं तो हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह बहुत जल्दी ही शिक्षा में अग्रसर हो जायं और उस भाषा के द्वारा शिक्षा में प्रगति कर सकें। तो उसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि हम हमारे उन अबोध बालकों पर अत्याचार करने जा रहे हैं और जिस परिवार में वह रहते हैं, देहात में, किसानों में और वहां उनके माता पिता जिस भाषा में वार्तालाप करते हैं और जिस भाषा में बोलते हैं तो यह अनिवार्य है कि जिस भाषा में उनके पेरेन्ट्स वार्तालाप करें उसी भाषा को वे बालक सीखते हैं और एकदम ५, ६ वर्ष का होने के बाद पाठशाला में लाकर बिठाये जाते हैं तो वहां उनके सामने एक नई दुनियां होती है और वहां एक ऐसी भाषा होती है जिसको समझना बिल्कुल उनके लिए असमर्थ होता है। तो यह उस अबोध और मासूम बच्चों पर एक प्रकार का अत्याचार होता है।

हिन्दी भाषा का जहां तक प्रश्न है वह किसी खास प्रदेश की मातृभाषा नहीं है। यह इतनी पुरानी भी नहीं है। हिन्दी भाषा का इतिहास जो वक्त वक्त पर लिखा गया है, नागरी प्रचारिणी सभा आदि के द्वारा तो इनको पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि ११ वीं शताब्दी को हिन्दी भाषा का उत्पत्तिकाल माना गया है और उत्पत्तिकाल के साहित्य का जहां उल्लेख किया गया है वहां "पृथ्वीराज रासो" या "खुमान रासो' इत्यादि जो राजस्थानी भाषा के ग्रन्थ हैं, उन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थानी भाषा जो है वह हिन्दी भाषा से प्राचीन है। भाषाओं का विकास शनैः शनैः होता है। हमारे यहां पर पहले प्राकृत भाषाओं का प्रचार था और वे प्राकृत भाषाएं कुछ संख्या में इस भारतवर्ष में बोली जाती थीं, उदाहरण के लिए, पाली, मागधी, शूरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री। मोटे तौर पर प्राकृत भाषाओं के क्षेत्र हैं, पूर्व में पाली और मागधी को मान सकते हैं तो उत्तर में पंजाब में पैशाची भाषा मान सकते हैं और राजस्थान के निकट शौरसेनी और दक्षिणी भारत में हम महाराष्ट्री को मान सकते हैं।

ये इतनी प्राकृत भाषायें हमारे सामने आयी हैं और सम्भव है इनसे अधिक भी प्राकृत भाषायें हैं। प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंश भाषाओं का समय आया, तो उस समय जो भाषाओं का विकास हुआ तो राजस्थानी ने एक खास रूप ग्रहण किया और जिस वक्त राजस्थानी ने वह रूप ग्रहण किया तो उस समय हिन्दी भाषा नाम की चीज़ नहीं थी। हिन्दी भाषा का डेवलपमेन्ट

[रावत श्री.शंभुसिंह]

तो बहुत लेटर है। मैं यह भी कहूंगा कि हमारे देश में जब मुसलमानों का प्रवेश हुआ और यहां उर्दू भाषा जैसी भाषा बनी तो उसके बाद इस भाषा के लिए कुछ क्षेत्र तैयार हुआ। कुछ विद्वानों की यह राय है कि हिन्दी भाषा मूल रूप से स्वतन्त्र भाषा नहीं है बल्कि उर्दू भाषा का जो ढांचा है वही ढांचा हिन्दी भाषा का है और उर्दू में से अरबी और फारसी के शब्दों को हटा करके उसमें संस्कृत के या दूसरी भाषाओं के शब्दों का समावेश कर दिया गया है और इस प्रकार यह एक हिन्दी का रूप माना गया है और वर्तमान काल में हिन्दी जिस रूप में कही जाती है उसका प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से माना जाता है और जिसके बाद उसका निरन्तर विकास होता गया है। उसके निस्बत यह बात कही जाती है कि उर्दू भाषा के ढांचे में से अरबी-फारसी के शब्दों को निकाल करके उसमें संस्कृत के और भिन्न २ भारतीय प्रदेशों की भाषाओं के शब्दों का उसमें समावेश किया जाकर अंग्रेजी में जिस प्रकार वाक्य विन्यास होते हैं और वाक्य योजना होती है उसको मद्देनजर रखते हुए विद्वानों ने इस ओर प्रगति की है। भाषा एक दम नहीं बन पाती है, उसका शनैः शनैः विकास होता है और जिसके जिसके कॉन्टेक्ट में वह जाती है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह से उसका विकास होता रहता है, तो हिन्दी भाषा पर उर्दू और अंग्रेजी का काफी प्रभाव है और हिन्दी भाषा को आज जो एक राष्ट्रीय भाषा माना जाता है वह इसी वजह से है कि हिन्दी भाषा किसी एक क्षेत्र की, एक क्षेत्रीय भाषा नहीं है। किन्तु यह हमारी एक सार्वदेशिक भाषा है और एक दूसरे प्रदेश वाले यह नहीं कह सकते हैं कि यह किसी विशिष्ट स्थान की मातृभाषा है जो कि हमारे ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषायें हैं और इसीलिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनने का स्थान मिल सकता है जो कि सर्वथा उचित है। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी काफी सुविधा विधान में दी गई है और विधान के आर्टिकल ३४७ के तरफ यदि मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं माननीय चेयरमेन, तो उसमें यह स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार की मांग की जाय किसी क्षेत्रीय प्रदेश के निवासियों की ओर से तो उस भाषा के प्रयोग की भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जा सकती है और दूसरा उदाहरण इस विधान के निस्बत निवेदन कर दूं वह यह है कि: " The culture, the langu-ge and script of the minorities and of differe-nt linguistic areas shall be protected. " यह हमारे कान्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो माननीय चेयरमेन, हमारे राजस्थान की भाषा जो कि एक राजस्थानी है और हिन्दी से पृथक है उसको प्रोटेक्शन मिलने के वास्ते हमारे विधान में काफी गुंजाइश है। तो मैं माननीय चेयरमेन, निवेदन कर रहा था कि राजस्थानी हिन्दी से एक पृथक भाषा है और इसको संरक्षण मिलना चाहिए और इसकी शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए।

अब इसके निस्बत भिन्न भिन्न विद्वानों की कुछ सम्मतियां हैं वे आपके सामने उदाहरण के तौर पर निवेदन कर दूं कि राजस्थानी पृथक भाषा कैसे मानी जाती है।

भारतवर्ष के भाषा शास्त्र के सर्वोत्कृष्ट विद्वान डा० सुनीतिकुमार चटर्जी कहते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से राजस्थानी हिन्दी (खड़ी बोली) से पार्थक्य रखती है। यह मत है भाषा शास्त्र

[रावत श्री शंभुसिंह]

के सर्वोत्कृष्ट विद्वान डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का। उसके बाद डा० ग्रीयर्सन जिन्होंने लिंग्विस्टिक भारतवर्ष की भाषाओं का सर्वे किया था कहते हैं कि राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है, वह एक स्वतन्त्र भाषा है। उसके बाद फिर भी दूसरे विद्वानों के उद्धरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। वे हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के। जब रविन्द्रनाथ टैगोर को राजस्थानी भाषा की कुछ जानकारी करायी गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए अपना यह दृष्टिकोण व्यक्त किया :

"The heroic sentiment which is essence of every song and couplet of Rajasthani is a peculiar emotion of its own of which, however the whole country may be proud"

माननीय चेयरमेन, डा० रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे भारतवर्ष की एक उज्जवल विभूति हैं और साहित्य के तो महारथी और सम्राट ही कहे जाने चाहिये और उनकी यह सम्मति है। जब वे राजस्थानी भाषा के संपर्क में आये और जब उन्होंने राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि राजस्थानी किस प्रकार की भाषा है और इसका कहां तक प्रभाव है।

इसके अलावा माननीय चेयरमेन, मैं डा० रविन्द्रनाथ टैगोर का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो कि इस प्रकार है—"What charm, earnestness and noble sentiment these songs have. They are the natural outbursts of the people. I regard them as superior even to the sant poetry. How nice it would be if they were published? Any language and literature of the world could well be proud of them. I shall have them published from the Hindi Bhawan of Shanti Niketan. ...I shall try my best to place Rajasthani literature before the Indian public through the Hindi Bhawan."

राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में ये दूसरे शब्द भी हैं डा० रविन्द्रनाथ टैगोर के। उसके बाद में और भी उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और वे हैं मदन मोहन मालवीय जी के, जो कि हमारे देश के सर्वमान्य नेता थे। उनका विचार था कि युनिवर्सिटीज़ में राजस्थानी को क्यों नहीं इन्ट्रोड्यूस किया जा सकता है? उसके बाद तो हिन्दी के साथ राजस्थानी को भी स्थान दे दिया गया है।

ये सब उदाहरण देने के पश्चात्, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह कहा जाता है, कि राजस्थानी स्वतन्त्र भाषा नहीं है, परन्तु मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। राजस्थानी स्वतन्त्र भाषा है बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि हिन्दी भाषा का भी प्रादुर्भाव राजस्थानी से हुआ है और जहां तक मैं समझता हूं राजस्थानी का हिन्दी भाषा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है।

[रावत श्री शंभुसिंह]

हिन्दी भाषा को जो वर्तमान रूप प्राप्त हुआ, प्राकृत और अपभ्रंश से बदलकर वर्तमान रूप प्राप्त हुआ, उसमें भी मैं समझता हूं राजस्थानी का बहुत बड़ा हाथ था। माननीय चेयरमेन, राजस्थान प्रदेश जैसा कि इस समय है, उसके शासकों ने इस राजस्थान प्रदेश से बढ़ कर, इससे आगे निकल कर राजस्थान प्रदेश से लगे हुए भारतवर्ष के अन्य भू-भाग हैं मसलन यू. पी., पंजाब आदि उन प्रदेशों पर शासन किया। चेयरमेन महोदय, १० वीं शताब्दी का इतिहास इस बात का साक्षी है कि विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर में चौहान राजा हुये, वे दिग्विजय करते हुए हांसी, हिसार, दिल्ली और वहां से भी आगे मेरठ तक बढ़े और उन्होंने वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो उन क्षेत्रों में उस वक्त जो राजस्थानियों की हकूमत कायम हुई, वहां पर जो ओफिशियल लैंग्वेज थी उसमें राजस्थानी का बहुत बड़ा भाग रहा और राजस्थानी का भाग रहने से उन स्थानों पर राजस्थानी भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ का शासन रहा। आज दिल्ली में दो अशोक स्तंभ दिखलाई देते हैं, उनमें से एक पर विग्रहराज के श्लोक लिखे हुए हैं। यह स्तंभ मेरठ के आस पास किसी स्थान पर था। उसको वहां से उठाकर दिल्ली में कायम करने का काम भी विग्रहराज का था। यह ऐतिहासिक बात है। दिल्ली पर पहले तुंवरों का राज्य था और बाद में चौहानों का राज्य हुआ और उन्होंने दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाया और ओफिशियल लैंग्वेज के रूप में राजस्थानी को इन्ट्रोड्यूस किया। इससे भी पहले यू. पी. में जब राजस्थान के प्रतिहार राजा अपना आधिपत्य करते हुये आगे बढ़े तो उन्होंने हर्ष के ठीक बाद कन्नौज को जीत लिया और उनकी सत्ता तमाम पूर्वी और उत्तरी भारत पर एक छत्र रूप में थी। ये प्रतिहार लोग मीनमाल से गये थे जो मारवाड़ में स्थित है। वे राजस्थानी भाषा को कन्नौज में ले गये और वहां पर ओफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको इन्ट्रोड्यूस किया और राजस्थानी का खूब प्रचार किया। उस समय प्राकृत का काफी प्रभाव था लेकिन प्रतिहारों के साथ में जो लोग गये उन्होंने राजस्थानी का बहुत बड़ा प्रभाव जमाया। प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल के समय में राजशेखर नाम के जो बहुत बड़े विद्वान कवि हुए उन्होंने एक जगह कहा है कि भारतवर्ष में अन्य जितनी प्रादेशिक भाषायें हैं उन सब में अधिक प्रभावशाली भाषा राजस्थानी है और यह काव्य के लिये सबसे अधिक उत्तम भाषा है। राजशेखर ने जो रिमार्क लिखा उसके कारण मैं समझता हूं कि उस वक्त प्रतिहारों द्वारा जो भाषा वहां पहुंचाई गई थी और जिसका उस वक्त नोर्थ इण्डिया में इन्ट्रोडक्शन हुआ था, वह राजस्थानी भाषा एक तरह से अन्य भाषाओं के मुकाबले में किसी तरह से कम नहीं थी। प्रतिहार मीनमाल से गये थे वहां विद्या, साहित्य और संस्कृति कहां तक उन्नत दशा में थी, इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। मीनमाल जोधपुर डिविजन में है। उस समय यह स्थान विद्या का बहुत बड़ा गढ़ था। संस्कृत के बहुत बड़े कवि माघ छठी शताब्दी में हुए वे मीनमाल के ही रहने वाले थे और पांचवीं शताब्दी में बहुत बड़े ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त हुए उनको पैदा करने का श्रेय भी मीनमाल को ही है। बाद में शिक्षा के क्षेत्र में यह स्थान पिछड़ गया। लेकिन राजस्थान पहले पहले भाषा और शिक्षा के क्षेत्रमें पिछड़ा हुआ कभी नहीं था। क्या साहित्य, क्या ज्योतिष और क्या

[रावत श्री शंभुसिंह]

अन्य विषय, सभी के विद्वानों को हमारे राजस्थान ने पैदा किया था। इसी राजस्थान के प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज में शासन किया और तमाम उत्तरी भारत का इन्टीग्रेशन किया और राजस्थानी भाषा का प्रभाव होने के कारण ही इसका इन्टीग्रेशन संभव हो सका। पहले पाली और मागधी भाषा का विशेष प्रभाव था। उस पर राजस्थानी भाषा का प्रभाव डालकर हिन्दी को वर्तमान रूप में आने का अवसर दिया। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बजाय हिन्दी ने राजस्थानी को बढ़ाया हो, हिन्दी को बढ़ाने में राजस्थानी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह इतिहास सिद्ध बात है।

अब मैं, चेयरमैन महोदय, यह निवेदन करूं कि राजस्थान के शिक्षा विभाग और शिक्षा क्षेत्र में हिन्दी का प्रवेश किस प्रकार हुआ और राजस्थानी का ह्रास किस तरह हुआ। जहां तक मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के इस देश में आने के बाद जब यहां पर शिक्षा विभाग खुला और लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीति निर्धारित की तब से अंग्रेजी शुरू हुई और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेज़ और शिक्षा विभाग खुले, उस समय हमारा राजस्थान भिन्न भिन्न रियासतों में विभक्त था। राजस्थान की रियासतों का जब अंग्रेजों के साथ संधि पत्रों के द्वारा संबंध स्थापित हुआ उसके बाद में यहां पर भी शिक्षा ने वर्तमान रूप धारण करना शुरू किया और वर्तमान तरीके से शिक्षा का प्रबन्ध किया जाने लगा। इससे पहले यहां भी पाठशालाएं थी और वे स्थानीय पाठशालाएं पोशाल कहलाती थीं। अधिकांश विद्यार्थी पोशालों में, जिसका शुद्धरूप पाठशाला है, उनमें शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वर्तमान समय की पाठशालाएं लेटर स्टेज में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद खोली गईं। जिस समय हमारे यहां वर्तमान शिक्षाप्रणाली के अनुसार पाठशालाएं खोली गईं उस समय हमारे यहां न तो टेक्स्ट बुक्स थीं और न टीचर्स थे और न प्रिन्टिंग प्रेसेज़ थीं। इन सारी बातों के अभाव में हम को दूसरे प्रदेशों की तरफ मुंह देखना पडा। इससे पहले एक घटना और हुई। राजस्थान के बीच में अजमेर प्रदेश है। वह ग्वालियर के महाराजा सिंधिया से अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और वहां पर जब अंग्रेजों की हुकूमत हुई तब उसका संबंध एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से यू० पी० से किया गया और वहां जो शिक्षा विभाग खुला था उसका संबंध यू० पी० से होने से यू० पी० में पढ़ाई जाने वाली जो टेक्स्ट बुक्स थीं और जो यू० पी० में टीचर्स थे, उनमें से कुछ को अजमेर में भेजा गया और वहां के विद्यार्थियों को वर्तमान तरीके से शिक्षा देने का श्रीगणेश किया गया। इस प्रकार आजकल हमारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार की शिक्षा हमारे राजस्थान में भी शुरू हुई। राजस्थान के वास्ते ये प्रारम्भिक पाठशालाएं बिल्कुल अटपटी सी थीं, लेकिन अब तो हम इनमें काफी माहिर हो चुके हैं और ये अटपटी नहीं नजर आ रही हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का श्रीगणेश हुआ तब वह भी अटपटी मालूम हुई लेकिन और कोई जरिया नहीं था। उसके बाद भिन्न भिन्न रियासतों में वर्तमान समय की स्कूलें जारी की गईं पर उनके वास्ते टेक्स्ट बुक्स और टीचर्स की आवश्यकता थी और टेक्स्ट बुक्स छापने के लिये न तो राजस्थान में प्रिन्टिंग प्रेसेज़ थीं और न पढ़ाने वाले टीचर्स थे। इसलिये लाजमी तौर से यू० पी० से टेक्स्ट बुक्स मंगानी पड़ीं और हमने इलाहाबाद युनिवर्सिटी से या आगरा युनिवर्सिटी

[रावत श्री शंभुसिंह]

से अपना संबंध स्थापित किया। जिस प्रकार की टेक्स्ट बुक्स आगरा या इलाहाबाद युनिवर्सिटीज़ में चलती थीं लाज़मी तौर से वे ही हमारे यहां इन्ट्रोड्यूस हुईं। उसका कारण था। हमारे यहां न तो टेक्स्ट बुक्स लिखने वाले लोग थे और न उसके लिये कोशिश की गई और न प्रिन्टिंग प्रेसेज़ थीं। जैसा कि गुजरात में हुआ। वहां के लोगों ने टेक्स्ट बुक्स लिखीं और अपनी शिक्षा का प्रचार किया, लेकिन हमारे दुर्भाग्य के कारण समझिये या और किसी कारण से समझिये, हमने इस बात की कोशिश नहीं की। जब हम राजस्थान में शिक्षा का नया सूत्रपात करने जा रहे हैं तो उस वक्त हम इस बात को मद्दे नजर रखें कि हमारी भाषा में हम टेक्स्ट बुक्स लिखवायें और उनमें कम से कम प्राइमरी एज्यूकेशन दिलाने की व्यवस्था करें। उदयपुर रियासत में इस प्रकार का प्रयत्न किया गया था, उदयपुर के महाराज चतरसिंहजी मेवाडी भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी लिखी हुई कुछ टेक्स्ट बुक्स मैंने देखी हैं, हिन्दी की पहली पोथी, हिन्दी की दूसरी पोथी इस प्रकार की थीं। परन्तु वे न मालूम स्कूलों में लेने के लिये स्कूलों के विद्यार्थियों को देखने को भी मिलीं कि नहीं, उन्हें देखने का विद्यार्थियों को अवसर भी नहीं मिला। यदि इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता और राजा उदासीन नहीं रहते, राजाओं की सरकारें उदासीन नहीं रहतीं तो आज राजस्थान में राजस्थानी की दुर्दशा नहीं देखने को मिलती।

इसके साथ ही शिक्षा का प्रचार अधिकांश शहरों में और कस्बों में हीं हुआ और वहां अब यह अस्पटापन प्रतीत नहीं होता, पर देहातों में जहां अभी शिक्षा का और जिस भाषा में, जिस जुबान में तालीम दी जाती है, जो हिन्दी भाषा कही जाती है, उसका बड़ा भारी अभाव है और वहां के आम लोग इसे समझने में असमर्थ हैं। तो अब इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि यदि हम राजस्थान के शिक्षा स्तर को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं और हम इस बात की बड़ी आवश्यकता समझते हैं कि हमारा राजस्थान बड़ी बड़ी छलांगें मार कर शिक्षा के क्षेत्र में उन प्रान्तों का समकक्ष बन जावे जो शिक्षा के क्षेत्र में आज राजस्थान से बढ़े हुए हैं, तो इसके लिये हमें प्राइमरी एज्यु-केशन में आमूल परिवर्तन करना होगा। इसके साथ ही राजस्थानी भाषा के लिये अनेकों सुझाव हैं, एक तो यह है कि हमारे जिलों में काम करने वाले जितने भी राज्य कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनको राजस्थानी भाषा की भली भांति जानकारी हो। और मैं तो यह राय दूंगा कि उनके लिये ऐसा कोर्स होना चाहिये। जिला अधिकारियों, जिला के राज्य कर्मचारियों के लिये व पुलिस वालों के लिये एक प्रकार का राजस्थानी भाषा का कोर्स होना चाहिये कि वे लोग इस प्रकार के राजस्थानी भाषा के कोर्स को पास नहीं करें तब तक उन्हें वे पोस्ट्स नहीं दी जावें।

देहातों में हम लोग देखते हैं कि वहां के लोगों की क्या हालत है, खडी बोली बोलने वाला कोई भी राज्य कर्मचारी उनके बीच में पहुंचता है तो वह उनके बीच विदेशी और अनजान सा प्रतीत होता है और जिस भाषा में वह बात चीत करता है, उसे वे नहीं समझ सकते। इसलिये यह आवश्यक है कि देहातों के लोगों के साथ राजस्थानी भाषा में बात चीत करके, उनके साथ सौहार्द

[रावत श्री शंभुसिंह]

और मैत्रीभाव पैदा किया जावे न कि खड़ी भाषा बोल कर अपने आपको उन लोगों के बीच विदेशी और अजनबी घोषित किया जावे। यही कारण है कि यहां की लक्ष लक्ष जनता, यहां की कोटि कोटि जनता और राज्य कर्मचारियों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है। इसके लिए यह आवश्यक है कि यहां के मासेज़ को जो भाषा है, उस राजस्थानी के द्वारा ही यहां के राज्य अधिकारी और राज्य कर्मचारी यहां के मासेज़ के साथ बात चीत करें और इस तरह उनके साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कोम्युनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स खोले जा रहे हैं, उनमें भी हमारी राजस्थानी भाषा की समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करना आवश्यक है, राजस्थानी भाषा के द्वारा हम वहां के मासेज़ से निकट सम्पर्क और अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और अगर हम लोग उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध और निकट सम्पर्क स्थापित कर उनसे इस काम में सहयोग लेना चाहते हैं तो इसके लिये एक राजस्थानी भाषा ही माध्यम हो सकती है, राजस्थानी भाषा ही इसके लिये सहायक सिद्ध हो सकती है।

तो चेयरमेन महोदय, राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या राजस्थान में व इससे मिले हुए प्रदेशों में दो करोड़ से भी अधिक है, इस वास्ते हम इस बात को नहीं भूल सकते कि राजस्थानी भाषा को हमारे यहां शिक्षा में अनिवार्य रूप से क्यों न स्वीकार कर लेवें और जैसा कि हमारे यहाँ संतों द्वारा और संत वाणियों द्वारा राजस्थानी भाषा का हमारे राजस्थान में प्रचार है, उसको देखते हुए हम इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि राजस्थान का साहित्य सर्वांगपूर्ण है और बहुत बड़ा सम्पन्न साहित्य है। इसमें संत साहित्य का समावेश हो जाता है और संत पदों में जैसे मीरां बाई के पद भजन हैं वे भजन वास्तव में मीरां बाई के बनाये हुए हैं, वे ठेट राजस्थानी में आ जाते हैं, उन पदों का प्रचार केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि शेष भारत में भी है और उन पदों को, भजनों को भारतवासी बखूबी समझ सकते हैं, तो इस प्रकार कोई वजह नहीं कि राजस्थानी को इस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से उपेक्षा कर के छोड़ दें।

राजस्थानी में जितना इस वक्त साहित्य है यदि मैं उसकी हिन्दी साहित्य से तुलना करूं तो मैं समझता हूं कि हिन्दी............

(घंटी)

माननीय चेयरमेन, मैं तो अपने भाषण को समाप्त करने वाला हूं। मैं समझता हूँ कि राजस्थानी का साहित्य हिन्दी साहित्य से किसी प्रकार कम नहीं है और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महान् साहित्यिक ने स्वयं ने राजस्थानी साहित्य की प्रशंसा की है।

जब तक हम राजस्थानी में शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर देते तब तक इस साहित्य के संरक्षण का भी प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे।

[रावत श्री शंभुसिंह]

तो माननीय चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी स्कूलों में राजस्थानी की शिक्षा का प्रबन्ध होना क्यों जरूरी है। हमारे बच्चे भी जिस एटमोसफियर से स्कूलों में जाते हैं और खड़ी भाषा में उनको शिक्षा दी जाती है, उसको समझने के वास्ते वे बच्चे बहुत मुश्किल महसूस करते हैं और इसके वास्ते यह बहुत जरूरी है और शिक्षा की प्रगति के वास्ते यह बहुत जरूरी है कि हमारे यहां बच्चों को कम से कम प्राइमरी एज्युकेशन तो राजस्थानी में ही दी जाय।

अगर राजस्थान की सरकार वास्तव में इस बात की इच्छुक है कि राजस्थान में प्राइमरी एज्युकेशन की प्रगति होवे तो सबसे बड़ा जरूरी यह होगा कि हम इन बच्चों को राजस्थानी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबन्ध करें। और इस भाषा को युनिवर्सिटी में भी जिस प्रकार से इस समय प्रबन्ध है उससे कहीं अधिक अच्छा प्रबन्ध करने की कोशिश करें। थोड़ी अड़चन हमारे राजस्थानी के प्रचार में यह आती है कि हमारे यहां का अध्यापक वर्ग इसके पक्ष में नहीं है और वह इसलिये नहीं है कि कुछ अध्यापक राजस्थानी नहीं हैं, वे यू० पी० के अधिक हैं और कुछ अध्यापकों को हिन्दी भाषा में तैयार किया गया है। हमको उनकी सहूलियतों का ध्यान नहीं रखना है बल्कि हमको उन बच्चों की सुविधा का खयाल रखना है कि उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आसानी से तालीम किस तरह से मिल सकती है और इसका केवल एक ही जरिया है और वह यह कि राजस्थानी में उनको शिक्षा दी जाए।

इसके अलावा आपके यहां प्रौढ़ शिक्षा का दौर चल रहा है और हम प्रौढ़ों को शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिये यही एक अच्छा जरिया है कि उनको राजस्थानी में शिक्षा दी जाए। लोग खेतों में काम करते हैं और वे अशिक्षित होते हैं। दिन को उनको समय नहीं मिलता और न वे ज्यादा समय दे सकते हैं। इसलिये उनके लिये रात को शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाता है। यदि हम उनको खड़ी बोली में सिखायेंगे तो वे नहीं समझ सकेंगे और बहुत कम लोग उसमें सफल हो सकेंगे। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि हम उनके लिये ऐसी भाषा रखें जो ठीक हो और वह है राजस्थानी भाषा। तो आप राजस्थानी भाषा के द्वारा नाइट स्कूलें चलावें और प्रौढ़ों को शिक्षा देने का प्रबन्ध करें तो आपको आज तक इस कम्पेन में जो कामयाबी हॉसिल हुई है, उससे कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं नहीं समझता कि अब तक यह विचार सरकार के समक्ष क्यों नहीं आया, प्रौढ़ शिक्षण तो बहुत पहले शुरू होना चाहिये था।

इसलिये अब हमें यह विचार करना जरूरी है कि राजस्थानी भाषा को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए और किस प्रकार से शुरू किया जाए। राजस्थानी भाषा को हम किस प्रकार से स्कूलों में प्रवेश कर पावें। इसके लिये सदन के कुछ सदस्य जो इसमें इन्ट्रेस्टेड हों, ऐसे मित्रों की एक गोष्टी या समिति बनाई जावे और वे इस बात का निर्णय करें कि जो बालकों पर अत्याचार हो रहा है, उसको दूर करने के लिये और हमारे यहां राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिये, हमारे

[रावत श्री शम्भूसिंह]

यहां पाठशालाओं में किस तरह प्रचार करने में सफल हो सकेंगे । तो वह कमेटी बैठ कर इस पर विचार-विनिमय करे और इसके बाद एक निश्चित योजना बनाए और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे । मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इसको तुरन्त स्वीकार कर लेगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अड़चन होने की गुंजायश नहीं है ।

हम हमारे बालकों को जल्दी से जल्दी शिक्षित बनाना चाहते हैं । इसलिये यह एक बहुत बड़ा इलाज है कि हम राजस्थानी को शीघ्र से शीघ्र राजस्थान में चालू करें ।

(घंटी)

इसलिये अब मैं कनक्ल्यूड करता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कमेटी का निर्माण जल्दी किया जाए और मैं सदन से भी यह निवेदन करता हूं कि वह निष्पक्ष रूप से इस पर विचार करे और एक मत होकर मेरे इस प्रस्ताव को पास करे ।

श्री त्रिवेणी श्याम—चेयरमैन महोदय, यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है इसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं कि दरअसल राजस्थानी कोई लेंग्वेज नहीं है । अगर यह हो सकती है तो राजस्थान की बोलचाल की भाषा कह सकते हैं जो हर जिलों में अलग अलग होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इनसे पूछें कि आप कौन से मुल्क से तशरीफ लाये हैं ?

श्री त्रिवेणी श्याम—आप तो पहले ही जानते हैं ।

आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जोधपुर के इलाके में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है । बीकानेर में अलग और सीकर में अलग, अलवर में अलग और भरतपुर में अलग भाषा बोली जाती है । तो समझ में नहीं आता कि कौनसी लेंग्वेज को स्कूलों में पढ़ाया जावे ? सब स्कूलों में अलग अलग लेंग्वेज पढ़ाई जावे यह तो उचित नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा बोली जाती है । इसलिये युनिटी के बेसिस पर कोई ऐसी भाषा हो जिससे एक्सचेंज ऑफ थोट सबके हो सकते हों ऐसा आधार होना चाहिये । यदि हम राजस्थान में किसी भाषा को रखेंगे तो भरतपुर वाले कहेंगे कि हमारे यहां की बोलचाल की भाषा है वह होनी चाहिये और जोधपुर वाले कहेंगे कि हमारे यहां की बोलचाल की भाषा होनी चाहिये । आज जब हमारा हिन्दुस्तान से एक रिश्ता है और वह रिश्ता ऐसा है कि हिन्दुस्तान एक हो तो कम से कम ऐसा होना बहुत जरूरी है कि भाषा भी एक ही हो । इसलिये एक ही लेंग्वेज सारे हिन्दुस्तान की होनी चाहिये । राजस्थानी भाषा में कोई ग्रामर का पता नहीं ।

एक माननीय सदस्य—आपको पता नहीं है ?

श्री त्रिवेणी श्याम—आपको भी पता नहीं है।

आप इस प्रकार की भाषा को आज के जमाने में युनिवर्सिटी में पहुँचाना चाहते हैं मैं यह कहूँगा कि जब राजाओं का जमाना था, उस समय में भी आपने इसके लिये कुछ नहीं किया। आपमें से बहुत से शिक्षा विभागों में काम करते थे। आज भी आप क्या हिन्दुस्तान को और राजस्थान को वही समझते हैं जो अकबर के जमाने में था, जो १७ वीं शताब्दी में था ? क्या १७ वीं शताब्दी की बात अब यहां हो सकती है ? बहुत मुमकिन है कि यह खयाल आपके दिमाग में क्यों आया है। मैं समझता हूं कि वह इसलिये आया है कि एसेम्बली के कागजात बोलचाल की भाषा में नहीं आते और हिन्दी में आते हैं और आज की हिन्दी इतनी क्लिष्ट आती है, कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। इसलिये आपने यह सोचा हो कि भाषा ऐसी होनी चाहिये कि कुछ पल्ले पड़े और इसी खयाल से आपने इसको पेश किया है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एज्युकेशन में इसको रखा जावे और इसका अलग से कोई पेपर हो, यह चलने वाली बात नहीं है। क्योंकि इसके पीछे कोई मूल सिद्धान्त नहीं है।

इसके अलावा जब हम अपना रिश्ता दूसरे देशों और हिन्दुस्तान के अलावा भी सारे देशों से पैदा करना चाहते हैं, तो हमारी भाषा ऐसी हो जो सर्व देश व्यापी हो। यदि ऐसी भाषा हो और उसको एज्युकेशन में चलावेंगे तो चल सकती है। आप लोग खुद ही अपनी भाषा बोललें और समझ लें मगर दूसरे तो उसको समझ नहीं सकते। इसलिये दूसरों को समझाने और समझने का मौका तभी हो सकता है जब कि लेंगवेज लेंगवाफ्रैंका हो, इसलिए ऐसी हालत में मैं इसका विरोध करता हूँ :The Hon'ble Member has said that this was appreciated by Mr. Tagore and so many other authors quoted by him.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसको शिक्षा में रख दिया जावे। बोलने में यह ठीक हो सकती है, मगर शिक्षा के लिहाज से अच्छी नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसका मैं पूरी तरह से और पुरजोर समर्थन करता हूं। अभी दौसा की तरफ से आये हुए माननीय मित्र बोल रहे थे तब मुझे ऐसा शक होने लगा, कहीं डांडी (अफ्रीका) से तो तशरीफ नहीं लाये हैं। उनके कहने के मुताबिक राजस्थानी कोई भाषा नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग डायलेक्ट्स हैं उनका कहना यह है कि राजस्थानी भाषा में कोई ग्रन्थ नहीं, कोई पुस्तक नहीं अगर किसी कवि ने किसी भाषा की प्रसंशा कर दी इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छी भाषा है, उन्होंने यह कहा कि न तो इसमें वोकुबुलेरी है न कोई सिनटेक्स है और न कोई ग्रामर है, ऐसी भाषा को लाने की क्यों कोशिश की जाय ? चेयरमेन महोदय, मुझे यह सुनकर बड़ी हैरत हुई कि एक राजस्थान के क्षेत्र में रहने वाले माननीय सदस्य को राजस्थानी के बारे में ज्ञान नहीं, यह बात दूसरी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है कि उनका खुद का शिक्षण हिन्दी भाषा में हुआ हो; अथवा मुगलकालीन अरबी या फारसी में या उर्दू में हुआ हो और इसके अलावा यह भी संभव है कि कस्बे में रहते रहते उन पर अरबेनाइज्ड का इतना प्रभाव होगया हो।

श्री मानसिंह महार—आप राजस्थानी बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरी स्पीच का कन्क्लूडिंग पोर्शन राजस्थानी में ही होनेवाला है। माननीय चेयरमेन महोदय, बात यह है कि राजस्थानी भाषा में मैं इसलिये कहूँगा कि हमारे यहां जो अनएज्युकेटेड मित्र हैं, उनको समझने में सहूलियत हो। मेरी नीयत यह है कि जो भाषा में बोलू, वह सब की समझ में आये। ताकि सब को यह महसूस हो सके कि राजस्थानी भी एक भाषा है, इस भाषा का प्रयोग होना चाहिये। मुझे हैरत इस बात की हो रही है और वह यह हो रही है कि हमारी इस देश की भाषाओं के बारे में जितने भी भाषा विशेषज्ञ हैं, उनमें बदकिस्मती से यों समझ लीजिये, एक बहुत बड़े व्यक्ति जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स में अन्वेषण किया है, वे हैं गिर्यरसन। दूसरे एक बहुत बड़े भाषा विशेषज्ञ हैं श्री सुनीतिकुमार चटर्जी और तीसरे हैं भाषा का ज्ञान रखने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगर इस विषय में देखा जाय तो हमारे देश में भी इस भाषा के मामले में अन्वेषण करने वाले कुछ लोग हैं, अभी हमारे माननीय मित्र जो जोर से कह रहे थे कि राजस्थानी कोई भाषा नहीं तो वे शायद इस बात को भूल गये, कि हमारी राजस्थानी भाषा के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय भाषाविज्ञों ने एक मत से यह कहा है और वे इस बारे में एक मत हैं कि श्री गियरसन, श्री सुनीतिकुमार चटर्जी और श्री महापंडित राहुल सांकृत्यायन की एक राय, युनानीमस राय है, कि राजस्थानी एक भाषा है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस भाषा को पनपाने को और आगे तरक्की देने को सामन्ती प्रणाली ने कभी अवसर नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में तात्विक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भाषा के एसेन्शियल्स क्या क्या हैं? लिंग्विस्टिक्स के बारे में इनके तीन आधार बताये हैं; पहला आधार तो यह है कि इसकी अपनी एक ग्रामर होनी चाहिये। दूसरा इसका सिन्टेक्स होना चाहिये, तीसरा उसकी एक वोकुबलरी होनी चाहिये। जिस भाषा के तीन आधार हों उसको एक भाषा का रूप करार देना, यही एक वैज्ञानिक तरीका है।

दूसरा जैसा कि मेरे मित्र ने कहा उनको राजस्थानी भाषा का कोई ग्रन्थ या पुस्तक देखने को नहीं मिली। हो सकता है उन्होंने इस बारे कुछ दिक्कत नहीं की। उनकी जानकारी के लिये मैं आपको बतादूं, राजस्थानी व्याकरण का प्रकाशन हो चुका है। थोड़ी सी तकलीफ वे करें तो बाजार से वे ला सकते हैं। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनी हुई व्याकरण राजस्थानी में मौजूद है, इसका प्रकाशन हो चुका है।

श्री त्रिवेणी श्याम :– क्या आप उसी को व्याकरण कहते हैं जिसमें 'सीधी सड़क' को "हूदी हडक" लिखा है? क्या यही आपकी राजस्थानी भाषा है?

श्री भोलानाथ—"कोईने डोलो भाषाजी" क्या आप इसे राजस्थानी कहते हैं ?

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—No disturbance please. You don't mind the interruption. Continue your speech.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी रखते हुए) I certainly do not mind the interruptions provided they are intelligent enough. I have to put up to unintelligent interruptions therefore what I can do?

इसकी व्याकरण अगर आप पढ़ने की तकलीफ करें तो जो मेरे माननीय मित्र को उलझन पैदा हो रही है, उस उलझन का मार्ग निकल जायगा। केवल इतना ही नहीं मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं पुराने इतिहास के अन्दर राजस्थानी का क्या स्थान रहा है, वह मैं बाद में अर्ज करूंगा। मौजूदा स्थिति में, आज के दिन राजस्थानी भाषा किस ओर प्रगति कर रही है शायद यह मेरे माननीय मित्रों को मालूम नहीं होगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कालीदास का मेघदूत जो कि सेलीब्रेटेड वर्क है उसका जो राजस्थानी में ट्रांसलेशन हुआ है। केवल उसका ट्रांसलेशन ही हुआ हो इतनी ही बात नहीं। इन्डियन लेंग्वेज में जितने भी ट्रांसलेशन हुए उन सब ट्रांसलेशन्स में बंगाली ट्रांसलेशन के अलावा दूसरे नम्बर का दर्जा हमारे राजस्थानी ट्रांसलेशन को मिला है। सारे भाषा विज्ञों ने और सारे कवियों ने इस बात को माना है। अब भी अगर कोई यह कहे कि कौनसी वह राजस्थानी भाषा है, मेरा यह कहना है कि मेघदूत जैसे ग्रन्थ का ट्रांसलेशन जो एक संस्कृत का बड़ा ग्रन्थ है, उसका क्लासिकल ट्रांसलेशन हमारी राजस्थानी में हुआ है और उसको दो नम्बर का स्थान मिला हैं। उसके बाद भी कुछ नौसिखिये पढ़े लिखे लोग जिन्होंने हिन्दी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, जो आज अज्ञानता के भयंकर जाल में फंसे हुए हैं, वे लोग क्या कहेंगे, आज जो भाषा राजस्थान के घर घर में बोली जाती है उसके लिए मेरे मित्र यह कहें कि वह भाषा ही नहीं, जिस भाषा का साहित्य न सिर्फ हमारे देश में रहने वाले लोगों ने मंजूर किया बल्कि दुनियां के भाषाविज्ञों ने इस बात को मंजूर किया है कि राजस्थानी का साहित्य बड़ा समृद्धिशाली है, उस भाषा के बारे में यह कहें कि वह कोई भाषा नहीं तो मैं उनके लिए यही कह सकता हूं चेयरमेन महोदय, यह उनकी अज्ञानता का परिचायक है। राजस्थानी की अपनी व्याकरण है, राजस्थानी का अपना सिन्टेक्स है और उसकी स्वतंत्र वोकुबुलरी है, तो फिर ऐसी हालत में भी गलतफहमी क्यों होती है ? विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करने का यह तो मतलब नहीं कि हर विषय के अन्दर उनको पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त हो। शिक्षा जैसे महकमे से सम्बन्ध रखने के बावजूद भी भाषा और भाषा विज्ञों के बारे में पूरा पूरा ज्ञान उपार्जन हो जाय यह भी नहीं हो सकता, चूंकि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अन्दर जो कुछ वोकुबुलरी या प्रोनन्सियेशन का डिफरेन्स है उसकी वजह से अगर कोई यह कहे कि यह भाषा कैसे हो सकती है ? लेकिन कम से कम यह दुनियां मानती है और मेरा ख्याल है कि उधर बैठे हुए माननीय सदस्य भी इस बात को मानते होंगे।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बंगाली एक लैंग्वेज है, लेकिन शायद उनको यह नहीं मालूम होगा कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में और कलकत्ता और चौबीस परगना के बीच में प्रोननसियेशन को लेकर उसके बारे में, भाषा के कुछ अंगों के बारे में, बोली के तरीकों के बारे में इतना फर्क है कि ईस्ट बंगाल और २४ परगना के रहनेवाले लोगों को कैलकेसियन्स बंगला कहते हैं, अनपढ़ और अनसिखे आदमी कहते हैं। उनके कुछ शब्दों का प्रयोग बंगला में नहीं होता। तो कोई भी भाषा हो उस भाषा का जब तक उन्नति की ओर अग्रसर होने का कार्य चालू रहता है और आम लोगों के सांस्कृतिक स्तर के अन्दर पूरी तरह से उन्नत नहीं हो पाती तब तक यह बात चीत के अन्दर थोड़ा वेरीएशन होना लाजिमी है।

मैं पूछना चाहता हूं हिन्दी की बड़े जोरों से दुहाई देने वाले मित्रों से कि वे कौनसी हिन्दी का जिक्र कर रहे हैं? लखनवी या दिल्ली की हिन्दी? बनारस की हिन्दी, मैथिली या ब्रजभाषा, कौनसी हिन्दी का जिक्र वे कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भरतपुर और धौलपुर के लोग कहेंगे। ठीक कहेंगे वे। क्यों कि जिनका ब्रजभाषा से सम्बन्ध है, उनका कम्पोनेन्ट उधर जावेगा। तो जरा वैज्ञानिक ढंग से यह भी देखा जावे कि मैथिली और ब्रजभाषा का जहां जहां प्रभाव पड़ा वहां उस तरह की हिन्दी बन गई, बिहार की हिन्दी कुछ और तरह की है उस पर किसी और का असर पड़ा, लखनवी वह है जहां उर्दू का प्रभाव पड़ा है, दिल्ली में कुछ रूप और ही है। तो इसी तरह नागपुर चलें मेरे मित्र, वहां की हिन्दी के ज्ञान के मुतल्लिक हमें और ही देखने को मिलेगा। वहां की हिन्दी को सुनकर आप यह कहेंगे कि यह कोई कहां का अनपढ़ आदमी आगया है और आपकी हिन्दी सुनकर वे वही कहेंगे। वहां की हिन्दी अपने आप वहां की लोकल लैंग्वेज के रूप में प्रकट होती है।

तो केवल बंगला की बात नहीं है। मैं बताऊं मराठी भाषा है। दुनियां इसको मानती है, देश का हरेक आदमी मानता है। जो अनपढ़ हैं, लिंग्वास्टिक के बारे में वह भी मानता है। पर पूनाइट और कोंकणी लोगों के पास जाइये और उनसे कहिये कि तुम्हारा वराडी भाषा के बारे में क्या ज्ञान है। अनपढ़े, बिलकुल रस्टिक लोग हैं और गांव की भाषा जिसको बिलकुल चुस्तपन की भाषा कहते हैं। अगर बराड और चान्दूर के गांवों में चले जावें तो एक और बोली समझने में कठिनाई आवेगी। यह स्थिति है। यह स्थिति भी इस वजह से है कि बोली के तरीके जो हैं भिन्न भिन्न हैं और धीरे धीरे वे तरक्की कर रहे हैं। लोगों के सांस्कृतिक जीवन में उन्नति धीरे धीरे हो रही है। पर कोई यह कहे कि इन कारणों से मराठी कोई भाषा ही नहीं है, बंगला कोई भाषा ही नहीं है, तामिल और तेलुगु कोई भाषा ही नहीं है तो मैं कहूँगा कि हम हिन्दुस्तान के और हमारे अलग अलग भाषा के इतिहास पर हम आंखें मूंदकर चल रहे हैं।

अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे इस देश को, हमारे इस राजस्थान प्रान्त को अब तक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा देश बनाकर रक्खा गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में मैकॉले के जमाने की अंग्रेजी शिक्षा को लादने की कोशिश की जा रही थी और इन कारणों से यहां की स्थानीय भाषाओं को पनपने का मौका नहीं मिला। और राजस्थानी के विरोध में बढ़चढ़

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कर बोलने वाले कहते हैं कि कहां है राजस्थानी भाषा ? मैं कहता हूँ कि यह हमारे और आपके लिये शर्म की बात है कि हम ने अंग्रेजों के शासन काल में इसके लिये संघर्ष नहीं किया, कोशिश नहीं की। हमारी स्थिति तो उस वक्त यह थी कि हम टाइप राइटर तक नहीं रख सकते थे। उस तक के लिये लाइसेन्स की जरूरत होती थी। टाइप राइटर रखने के कानून उस वक्त बने, सन् ४० तक यह स्थिति थी। जयपुर, जोधपुर या उदयपुर तक में टाइप राइटर और साइक्लोस्टाइल मशीन के कानून बने थे। जिनमें प्रेस एक्ट इतना सख्त था और किसी भी भाषा की उन्नति का प्रयत्न की बात होती तो सख्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और यहां के समाचार पत्र निकलते थे ब्यावर में और बम्बई में। पूछिये व्यासजी से, ब्यावर और बम्बई में समाचार पत्र निकालने वाले, उनके लिये सत्याग्रह करने वाले, वे आज कहते हैं, सारी बातें जानते हुए भी कि विकास नहीं हुआ इस भाषा का। विकास तो नहीं हुआ इसके लिये मैं कहूंगा कि यहां की सामन्ती प्रणाली की वजह से नहीं हुआ। जिन्होंने उस सामन्ती प्रणाली, उस सामन्ती शासन के खिलाफ आन्दोलन किया उनका यह काम है कि वे सौ साल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अब आगे आवें। अब तो वह सामन्ती शासन प्रणाली नहीं है। पर आज वह अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है उसके और उसकी प्रणाली के हम भी गुलाम हो रहे हैं, हम भी टुकुर टुकुर चलने की बात कर रहे हैं. पर यह राजस्थान में चलने वाली नहीं है।

(घंटी)

चेयरमेन महोदय, यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)— सभी सदस्यों के लिये भी इतना ही महत्व का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पर जरा यह गहन प्रश्न है। भाषा के बारे में स्टडी सर्किल लाने की नौबत आ गई थी। एक दो मुद्दे और हैं। ज्यादा समय स्वयं भी लेने की कोशिश नहीं करूंगा।

श्री सभापति—तीन मिनिट और दिये जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— तीन मिनिट तो बहुत कम हैं। थोड़ा सा और एक्सटेन्शन दिया जावे अब जो मैं पोइन्ट्स रखूंगा उनसे खुद आप इम्प्रेस हो जायेंगे।

तो प्रश्न यह आता है कि राजस्थानी एक भाषा है पर विकास का उसको मौका नहीं मिला। तो अब जब राजस्थान के अन्दर एक प्रजातान्त्रिक शासन का निर्माण हुआ है तो उसका क्या फर्ज होना चाहिये ? आप देहातों में जाइये। मेरा चेलेन्ज है सदस्यों से जो डाइलेक्ट्स के रूप

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में जिस राजस्थानी भाषा का जिक्र करते हैं, उनमें बोली के रूप में थोड़ा बहुत फर्क है इसको कन्सीडर करते हुए कहता हूं कि देहातों में जो जाते हैं, मीटिंग के रूप, में पर्चों के रूप में आप बताइये अलग अलग पार्टियों के अनुभव करने वाले लोग बैठे हैं। देहातों में उनको परचे निकालना है, अमावस्या की तारीख को फलानी जगह मीटिंग की सूचना देनी है, तो कौनसी भाषा में परचे निकालते हैं, कौनसी भाषा में लेक्चर करते हैं? पूछिये कुम्भाराम जी को और दूसरे दूसरे मित्रों को। वहां पर अगर आप उस हलके में समझी जाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज्यादा लोगों को आपका मतलब नहीं समझ में आने वाला है। यह वस्तु स्थिति है। यह व्यवहारिक स्थित है। जब देहात के लोग अर्जी लेकर दफ्तरों में आते हैं तो जो हिन्दी केवल पढ़ा लिखा है क्या उस देहात से आने वाले आदमी को पूरी तरह समझ सकता है? ९९ फी सदी केसेज़ में यही हालत होती है कि या तो उसका ट्रान्सलेशन करना पड़ेगा या उसके जानने वाले को दिखाना पड़ेगा। मैं बताता हूं अपना अनुभव। मैं जब कभी दिल्ली जाता हूं तो वहां अपने शेखावाटी की ओर के और दूसरे हल्कों के जो किसान मजदूर हैं, जो बेरोजगारी के कारण दिल्ली में जाकर पत्थर की मजदूरी का काम करते हैं। उन लोगों की बात वहां दिल्ली में रहने वाले हमारे साथी बीसियों बार कोशिश करने के बाद भी समझ नहीं पाते, पर वहां जाने के बाद पांच मिनिट में उनको समझने की स्थिति हमारी है और वे जोधपुर के रहने वाले नहीं शेखावाटी के हैं। जिनकी बात मुझ जोधपुर के रहने वाले के भी दो मिनिट में समझ में आ सकती है और हर राजस्थानी को, किसी भी हिस्से में रहने वाले, को, समझ में आ सकती है। तो देहात में यह हालत है और उन डेढ़ करोड की बात कहता हूं कि आप उनको पंचायतों के कार्य संचालन का काम सौंपना चाहते हैं। यह आप बात करते हैं अपने पंचायत एक्ट में आपने प्रोवीजन किया है पंचायत एक्ट में कि सरपंच कम से कम हिन्दी पढ़ा लिखा होना चाहिये। क्यों किया यह प्रोवीजन? क्योंकि देहात के ज्यादातर लोग अपनी बोली में काम करते हैं और जाइये आप देहातों में और वहां की पंचायतों के रेकार्ड, उनकी प्रोसीडिंग्स देखिये। उनकी प्रोसीडिंग्स वगैरह उसी भाषा में होती हैं जिसमें वे बोलते हैं, समझते हैं। उनकी अर्जियों की भाषा उसी में लिखी होती है, सारा काम उसी भाषा में होता है। अब आप उनको मौका नहीं देना चाहते तो बात दूसरी है। मेरा यह दावा है कि इसकी एक वैज्ञानिक ढंग से जांच कराई जावे, जो दूसरी क्लासों के विद्यार्थी हैं, राजस्थान की स्कूलों में पढ़ने वाले उनके हिन्दी विषय के जो पेपर्स हैं, उनकी वैज्ञानिक ढंग से जांच कराई जावे पिछले पांच वर्ष तक के पेपरों की जांच कराई जावे, तो मैं कहूंगा कि वे टैन्स के मामलों में और शब्दों के प्रयोग के मामले में जिस प्रकार की गलतियां करते हैं, उनमें ७५ फीसदी राजस्थानाइज्ड गल्तियां न हों तो मेरी बात को गलत मानने को तैयार हूं। पर यह हकीकत है। टेन्स के बारे में गलती करेंगे तो जिस प्रकार राजस्थानी का टेन्स है उस प्रकार हिन्दी में लिखेंगे एक्सप्रेसन में गलती करेंगे तो राजस्थानी का एक्सप्रेसन लिखेंगे और यह इस कारण से है कि उनके घरों में, समाज में आस पास में जिस प्रकार की बोली का प्रयोग हो रहा है उसकी इतनी पकड़ है कि उसके कारण हिन्दी भाषा का प्रयोग करते समय भी पूरी तरह हिन्दी का प्रयोग नहीं कर सकते। आप बम्बई, कलकत्ता चले जाइये, वहां के राजस्थानी लोग जो हैं वे कौनसी बोली से बात करेंगे, चाहे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बीकानेर का हो, चाहे नवलगढ़ का हो, चाहे किशनगढ़ का हो, जोधपुर का हो, जयपुर का हो और किसी क्षेत्र का हो, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास के अन्दर रहने वाली राजस्थानी, उनके बच्चे, उनका परिवार आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो कौनसी भाषा में, अगर कोई भाषा नहीं है, तो ऐसा फिर कैसे होता है ? इसकी पकड़ कैसी है ? इतने दिनों तक कायम रहने की शक्ति कैसे है ?

और मैं बताऊं, चेयरमेन महोदय, कि वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा के जो लेखक हैं, अलग अलग विचारों के कांग्रेस पार्टी के मानने वाले, समाजवादी पार्टी के मानने वाले, कम्युनिस्ट पार्टी के मानने वाले, अथवा और दूसरी २ पार्टियों के मानने वाले अथवा किसी भी पार्टी से संबन्ध नहीं रखने वाले बड़े महत्व के जो लेखक हैं, उन लेखकों ने मिलकर राजस्थानी लेखक संघ का निर्माण किया है और लगभग सवा साल पहले एक सम्मेलन हुआ था बीकानेर में और वहां राजस्थानी लेखक संघ का निर्माण हुआ। शायद उधर बैठने वाले मेरे माननीय मित्रों को मालूम नहीं होगा कि उस राजस्थानी लेखक संघ ने एकमत से, युनेनिमसली, यह प्रस्ताव किया है कि राजस्थानी भी एक भाषा है और उसको हिन्दुस्तान के के संविधान में मान्यता मिलनी चाहिए। ऐसी उन्होंने मांग की है और शायद उन्हें ताज्जुब होगा यह सुनकर कि राजस्थानी लेखक संघ के सभापति श्री कुम्भारामजी आर्य हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नामी और आला मुखिया हैं, अब मालूम नहीं कि वे उस स्थान पर हैं या नहीं। मैंने सुना है कि एक परचा निकला है कि विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी का व्हिप निकला है कि विरोध करना है और मुझे यह सुनकर हैरत हुई कि राजस्थानी की सबसे पहले आवाज बोलने वाले वे जयनारायण जी व्यास कहां गये आज ? उनकी आवाज कहां गई ? सारे राजस्थान के अन्दर अलख जगाने वाले जो यह कहते थे कि राजस्थानी भाषा का आन्दोलन चलायेंगे वे आज मूक क्यों हो गये ? वह राजस्थानी लेखक संघ के सभापति चौधरी श्री कुम्भारामजी आज कहां हैं ? उनको आज क्या हो गया है ? और व्हिप इशू हुआ है कि विरोध करना है, तो गांवों की नुमायन्दगी करने वाले मेरे माननीय मित्र अपने दिलों पर हाथ रखकर टटोलें। देहात में काम करने वाले कार्यकर्ता अपने दिलों को टटोल कर देखें कि वस्तुस्थिति क्या है ? उनकी भावना क्या है ? महज इस वजह से कि सरकार क्या करेगी सरकार को परेशानी होगी। तो परेशानी उनके लिए होगी जो आज राजस्थानी भाषा के अधिकार को मानने को तैयार नहीं हैं, राजस्थानी को हमको प्रोत्साहन देना चाहिए। देहात के और नये आने वाले पढ़ने वाले लोगों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए मददगार कदम है इससे यहां की संस्कृति फलेगी और फूलेगी।

अभी तक लोग कहते थे कि राजस्थान की कोनसी संस्कृति है, लेकिन जब दिल्ली में १५ अगस्त को और रिपब्लिक डे को राजस्थान के कलाकार गये और वहां पर उन्होंने राजस्थान के फॉक डान्सेज़ और फॉक सोंग्स का प्रदर्शन किया और उनका जो आल इंडिया रेडियो और जयपुर रेडियो पर लगातार ब्रॉडकास्ट होता है, तो देखने को मिला, तो अचानक ६, ८ महीनों के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अन्दर देखने को मिला कि पुराने सांस्कृतिक भंडार को प्रोत्साहन मिलने से नये नये टेलेन्ट्स सामने आये। आज सारा देश इस बात को मानता है कि फॉक डान्सेज़ के अन्दर, फॉक सोन्स के अन्दर, म्युज़िक के अन्दर और डान्सेज़ के अन्दर तथा नाटकों के अन्दर कई कई दिशाओं में राजस्थानी संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ है। आज हिन्दी के अथवा दूसरी भाषाओं के परिचायक कई हैं, लेकिन उनके बावजूद आप दिल्ली में जाइये और संगीत और नाटक एकेडेमी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिये, भारत सरकार की मन्ज़ूर शुदा नाटक एकेडेमी के कार्यकर्ताओं से बात कीजियेगा तो वे बतायेंगे कि हमने पिछले ६, ८ महीनों में संस्कृति का रूप जन जीवन के सामने रखने वाली और व्यवहार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई संस्कृति निर्माण कर पाई है तो राजस्थान से आने वाली टीम्स के अन्दर पाते हैं। हमारे यहां के जो भील हैं, जो पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं, चाहे वे अजमेर के हों, मगरा के हों या शेखावाटी के हों, चाहे नागौर के हों, उन्होंने अपनी संस्कृति के नये नये नमूने पेश किये, ६, ८ महीने पहले लोग कहते थे कि कहां है वह संस्कृति तो वह संस्कृति आज नाच रही है और आनन्द कर रही है हमारे सामने।

यहीं हालत भाषा के बारे में है चूंकि उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, चूंकि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला, चूंकि आज तक सामन्तवादी जमाने के अन्दर शिक्षा के तरीके और साधन उपलब्ध नहीं थे, लिखने पढ़ने और प्रिन्टिंग पर प्रतिबन्ध था, इस वजह से स्थित यह है कि यह भाषा जिसके अन्दर काफी गहन रूप से, काफी गहरा मसाला है, आज तक उसकी परम्परा बहुत परिपक्व है। उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला (घंटी) इसलिए मैं, चेयरमेन महोदय, समझता हूं कि इस पर जिम्मेदारी से सोचना चाहिए। मैं फिर से अपील करूंगा कि पार्टी का प्रश्न नहीं है, समूचे राजस्थान का प्रश्न है। इसको हम जल्दबाजी के अन्दर कहीं गलत रूप से नहीं ले लें। सारी दुनिया, सारा देश देख रहा है, विचार कर रहा है और सोच रहा है कि राजस्थान के नुमायन्दे अपने इलाके की भाषा पर इतनी गैरखबरदारी बरतेंगे तो इस बात की तरक्की की बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ मैं यह आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया जाय। मैं माननीय चेयरमेन, फिर से दरख्वास्त करूंगा कि व्हिप को हटायें। कहीं ऐसा न हो कि आज राजस्थानी लेखक संघ व राजस्थान के दूसरे लोग राजस्थानी की मांग कर रहे हैं दिल्ली में जाकर, गम्भीरता से सोचिये, कि संविधान में राजस्थानी को स्थान मिलना चाहिये। यह मांग उठ रही है। कहीं ऐसा न हो कि जल्दबाजी में हमारे इस कदम से उस मांग को ठेस पहुंचे। इस प्रकार इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए मैं अपील करूंगा कि इस प्रश्न पर बहुत ही संजीदगी के साथ फैसला लिया जाय और राजस्थान के आम लोगों के हित की दृष्टि से इस मामले के प्रस्ताव को पास करके आगे प्रोत्साहन दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय सभापति, राजस्थानी भाषा के प्रश्न पर काफी अर्से से गौर किया जा रहा है और मेरा इससे काफी संबंध रहा है। मेरा शुरू से इस पर इतना ही कहना है कि अगर ५० वर्ष पहले राजस्थानी साहित्य के प्रेमी जाग गये होते तो उस वक्त अपनी भाषा का व्याकरण बनाकर उसका सुव्यवस्थित रूप से प्रचार कर लिया होता, तो राजस्थानी भाषा का आदर हो सकता था। जिस वक्त भारत का विधान बन रहा था, उस वक्त राजस्थानी नेताओं में जीवन होता तो वे अपनी भाषा को वही सम्मान प्राप्त करा सकते थे जो बंगाली और मराठी को मिल गया है। लेकिन बदकिस्मती थी राजस्थान के निवासियों की वे राजनेतिक जागरण में पिछड़ गये, उस वक्त इसलिए प्रयत्न करने के बावजूद भी राजस्थानी भारत के विधान में अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। राजस्थानी भाषा का जिस वक्त आन्दोलन शुरू हुआ था मैं उनके साथ था, लेकिन बावजूद प्रयत्न करने के कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हम इस नतीजे पर पहुंचे जब कि श्री जयनारायणजी व्यास राजस्थानी का नारा बुलन्द कर रहे थे, चौधरी कुम्भारामजी उसका नारा बुलन्द करते थे, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। इसलिए आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वे बातें जो आज से ५० वर्ष पहले ठीक कही जा सकती थी आज के इस जमाने में वे स्वीकार नहीं है। जो बातें पिछड़ गई हैं, समय के कारण वे अब आगे नहीं आ सकतीं। मेरे माननीय विद्वान् वक्ता ने बहुत ही विद्वतापूर्ण डा० चटर्जी, डा० ग्रियर्सन, पं० मालवीयजी, टैगोर के उद्धरण दिये। भाषा राजस्थानी समृद्ध जरूर थी। उसमें वीर रस था, उसमें श्रृंगार रस था लेकिन जिन हाथों में वह राजस्थानी भाषा थी उनमें जान नहीं थी, उनमें जीवन नहीं था। वह इतनी समृद्ध भाषा थी कि आज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लायक भाषा थी। जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वानों की यह सम्मति थी, लेकिन फिर भी वह भाषा उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। इस का कारण यह है कि दूसरे जो राजस्थानी बोलते थे उनमें जीवन नहीं था। वह समय चला गया और अब हम राजस्थानी का नारा बुलन्द कर रहे हैं। वह तो इस समय से दूर की बात हो चुकी है। जो व्यक्ति वक्त के साथ नहीं चलते हैं, समय पर चेतावनी नहीं ले पाते हैं, वह अपनी बात को जब कि सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, अब भाषा का नारा बुलन्द करेंगे तो उनकी बात नहीं बनाई जा सकती है और अब राजस्थानी को वह स्थान संभव नहीं हो सकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर का नाम लेकर, डा० ग्रियर्सन का नाम लेकर, डा०चटर्जी, टैगोर और मालवीय का नाम लेकर अब राजस्थानी को राजस्थान की भाषा बनाना चाहते हैं, यह बात संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको दूं कि राणा प्रताप बहुत अच्छे थे, अकबर बहुत अच्छा था, लेकिन बात यह है कि नारा बुलन्द करें कि जो वेष उनका था वही पहने तो क्या यह संभव है? जो भाषा वे बोलते थे वह अब संभव नहीं है बोलना।

भाषा का जो प्रश्न है इसलिए इसको और दूसरे दृष्टिकोण से आपके सामने रखता हूं। इस वक्त हिन्दुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जब भी विदेशी जातियां आई तो उन्होंने यहां की भाषाओं को कुचल करके अपने यहां की भाषाओं को चालू किया है।

आपको यह मालूम होगा कि गोआ में जो पुर्तगाल की भाषा बोली जाती है और उसके अन्दर रहने वाले निवासी यह महसूस करते हैं कि पुर्तगाली ही दुनियां की सबसे बड़ी, अच्छी भाषा

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

है। उसी तरह से हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्से में जहां कि पहले फ्रान्स की हुकूमत थी और जो प्रदेश पॉन्डीचेरी कहलाता है वहां फ्रांस की भाषा बोली जाती है और वहां के निवासी यह महसूस करते हैं कि यह भाषा अच्छी है। दूसरे लोग गलत हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में गुलामी के कीड़े लगे हुए हैं वे यह महसूस करते हैं कि अंग्रेजी सबसे उत्तम भाषा है। ये जो दिमाग में कीड़े लगे हुए हैं, ये कीड़े लगे हुए लोग राजस्थानी भाषा को समृद्ध करेंगे तब कहीं जन जीवन बन पायेगा। लेकिन जिस तरह से फ्रांस पांडीचेरी से चला गया, अंग्रेज हुकूमत चली गई, उसी तरह से राजा लोगों की छत्रछाया में पनपी राजस्थानी भी इतिहास के पन्नों में अवशिष्ट रह गई; जन जीवन नहीं बन पाया।

राजस्थानी के विषय में और चीज आपको बताऊं। बोलने में तो यह ठीक है लेकिन लिखने में यह इतनी कठिन है कि इसमें कोई पत्र नहीं निकल सकता है। हमारे एक मित्र श्री नरोत्तम स्वामी एक लेख राजस्थानी में छपवाना चाहते थे तो उनको दूर जाकर छापना पड़ा। मामूली प्रेस तो उसको छाप भी नहीं सकते थे।

भाषा का प्रश्न, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वैदिक भाषा का प्रचलन हुआ उसके बाद संस्कृत आयी, उसके बाद प्राकृत आयी, उसके बाद पाली आयी, फिर अपभ्रंश आयी, फिर डिंगल आयी और उससे यह राजस्थानी भाषा निकली है। जिस भाषा का साहित्य समृद्ध है, जिसका व्याकरण शुद्ध और समृद्ध है और वह भाषा है संस्कृत। जिस संस्कृत भाषा का साहित्य समृद्ध है, जिस संस्कृत भाषा का व्याकरण समृद्ध है, जो भाषा उन्नत और विशाल है, वह भाषा भी आज जन जीवन की भाषा नहीं बन पायी। प्राकृत भी एक बहुत समृद्ध भाषा थी, सैकड़ों वर्षों तक चली एक सम्प्रदाय उसके पीछे कोशिश में है कि वह जन जीवन की भाषा बने, लेकिन वह नहीं बन सकी, पाली की अपनी व्याकरण है, उसका अपना साहित्य है, उसका वह साहित्य है, जिसकी आज अन्तराष्ट्रीय दुनियां में आवाज है, लेकिन वह भी जन जीवन की भाषा नहीं बन सकी। उसी प्रकार से विभिन्न अपभ्रंश भाषायें हैं वे जन जीवन की भाषायें नहीं बन सकी हैं, हांलाकि उनमें जिस जिस प्रदेश की वे भाषायें रही हैं उनमें शृंगार और वीर रस अच्छी तरह से प्रतिफलित हुआ है। इसी तरह से राजस्थानी भाषा में भी वीर रस प्रतिफलित हुआ है, उसमें शृंगार रस प्रतिफलित हुआ है। उस भाषा में शृंगार और वीर रस के प्रतिफलित होने पर भी वह आज जन जीवन आगे की भाषा नहीं बन सकती। जो जन जीवन बढ़ चुका है, उसको खींच कर पीछे लाने से देश का हित नहीं हो सकता है।

यदि यह विचार हो कि राजस्थानी हिन्दी से पृथक भाषा है या हिन्दी राजस्थानी से बिल्कुल पृथक भाषा है तो मेरी मान्यता है और मैं समझता हूँ कि किसी राजस्थानी विद्वान की यह मान्यता नहीं है कि हिन्दी और राजस्थानी दो अलग अलग भाषायें हैं। सही तो यह है कि जिस तरह से ब्रज भाषा है, जिस तरह से मागधी भाषा है, जिस तरह से, बुन्देलखंडी है, जिस तरह से अवधी है। उनका प्रादुर्भाव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है उसी तरह से राजस्थानी भाषा डिंगल

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

से और इसको डिंगल के नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने हिन्दी को पैदा किया है और विद्वानों का इसको विकास करने में हाथ रहा है, उस भाषा को समृद्ध बनाने में, उस भाषा को राष्ट्र की भाषा बनाने में और जन संख्या को देखते हुए उसको अन्तराष्ट्रीय भाषा बनाने में राजस्थान के विद्वान प्रयत्न करें। जो लोग यह खयाल करते हैं कि राजस्थानी भाषा हिन्दी से अलग भाषा है मैं समझता हूँ कि उनका यह संकुचित दृष्टिकोण है और वह आज के युग के अनुसार नहीं है।

दूसरा दृष्टिकोण और भी है। आज विज्ञान का युग है। आज लोग रेल में चलते हैं, आज लोग हवाई जहाज में चलते हैं, आज लोग मोटर में चलते हैं। लेकिन यह कहें कि नहीं यहां तो छकड़े और ऊंट ही चलने चाहिए, यह संभव नहीं है। विधान सभा में खड़े होकर सदस्य यह कहें कि यहां तो रेल की आवश्यकता नहीं, मोटर की आवश्यकता नहीं, हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं, यहां तो यही ऊंट और छकड़े चलने चाहिए तो यह सम्भव नहीं है। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, इतनी तरक्की होगई है और विभिन्न तरह की चीजें देश में पैदा हो रही हैं तो यह कहा कि हम उस युग में जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि यह संभव नहीं है। विज्ञान की तरक्की और बोलियों की जो तरक्की हो चुकी है, उन पुरानी बोलियों को वापिस उखाड़ कर लाना मैं समझता हूँ कि विज्ञान का अपमान करना है, विद्वानों का अपमान करना है और समय को खोना है और यह सम्भव नहीं हो सकता है।

अब प्रश्न रहता है कि क्या राजस्थानी कुछ न करें? मैं राजस्थानी का उतना ही प्रेम हूँ और राजस्थानी का उतना ही भक्त हूँ जितना और कोई और कहना चाहूंगा कि भाषा के सम्बन्ध में जो विभिन्न प्रकार की भावनायें फैली हुई हैं, उन भावनाओं को निकाल देना चाहिए। राजस्थानी के नाम पर उन भावनाओं को आज फैलाने की आवश्यकता नहीं है, यह राष्ट्र के हित में नहीं है। राष्ट्र को इससे नुकसान पहुँचा है और पहुँच सकता है। राजस्थानी भाषा का अपना गौरव है, राजस्थानी भाषा का इतिहास में अपना एक स्थान है, राजस्थानी भाषा में वीर रस की प्रधानता है, राजस्थानी भाषा में जो ओज और उत्साह है उस समय, उस युग में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। जब मातायें अपने बच्चों को युद्ध में भेजती थीं, चितायें जला कर सतियां होती थीं। राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों की सम्मतियां हैं, डा० टैगोर, ग्रियसेन, महामना मालवीयजी आदि ने इसकी प्रशन्सा की है, इस भाषा के द्वारा उत्साह पैदा किया जाता था, जो चीज़ इस साहित्य की है, उसका प्रचार होना चाहिए। यह विद्वान लोग जानते हैं कि साहित्य एक कीमती चीज होती है, वे इसको कीमती चीज समझते हैं, लेकिन वे भाषा की भावना में नहीं बंधते हैं। भाषा और साहित्य दोनों अलग अलग हैं।

एक मित्र ने बताया कि मेघदूत कालीदास का उच्चकोटि का ग्रन्थ है। मूल में वह संस्कृत में है और उसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसका अनुवाद राजस्थानी में भी

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि साहित्य का जो गौरव है वह किसी भाषा विशेष के बन्धन में बंधता नहीं है। जो वेदकाल में साहित्य था, साहित्य वही है, अपभ्रंश काल में जो साहित्य है, वह है, हिन्दी में साहित्य है वह है, प्रगति कर रहा है, और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आता जावेगा। लेकिन साहित्य भाषा की भावनाओं से परे रहता है, वह किसी भाषा विशेष के बंधन में बंधता नहीं है। साहित्य का अपना गौरव होता है, वह गौरव प्रदान करता रहता है, वह जातियों का निर्माण करता है, राष्ट्र को समृद्ध करता है, मानवता को बढ़ाता है और राष्ट्र में चेतना और स्फूर्ति पैदा करता है। राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करता है। आज विभिन्न बोलियों को प्रोत्साहन देने के बनिस्बत राष्ट्र की एकता को बचाने की आवश्यकता है। राजस्थानी बोली को प्रोत्साहन देने के बनिस्बत यदि राजस्थानी साहित्य को बढ़ाया जा सके तो मैं समझता हूं कि वह राष्ट्र के हित में होगा। राष्ट्र की एकता को बचाना अधिक श्रेयस्कर है। हिन्दुस्तान के विकास में राजस्थान का विकास है। हमारे मैथली भाई कहते हैं कि मैथली सबसे अच्छी भाषा है, हमारे मागधी भाई कहते हैं कि मागधी बोली सबसे अच्छी है और पंजाबी भाई कहते हैं पंजाबी अच्छी है। आपने देखा होगा कि पंजाब के अन्दर भाषा के प्रश्न को लेकर क्या खून-खराबी होने की आशंका हो गई थी। इस प्रकार राजस्थान के नक्शे को भी सामने रखें। राजस्थान के उत्तर में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मालवी बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजराती मिश्रित बोली जाती है, और राजस्थान के बीच अजमेर में हिन्दी बोली जाती है। आप कौनसी बोली अपनायेंगे? अगर राजस्थान का विभाजन करना है तो इस प्रकार के प्रोत्साहन देना चाहिए, अगर राजस्थान को अक्षुण्ण रखना है, राष्ट्र की एकता को कायम रखना है तो मैं समझता हूं कि सारी सम्मिलित ताकत उसके लिए लगा देना चाहिए। आज हिन्दी के सामने जटिल समस्याएं आगई हैं। एक तरफ यह चीज़ हुई है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी युनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र दिये हैं, वे अंग्रेजी में हैं, अंग्रेजी के भक्त लोग हिन्दी को पनपने देना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि हिन्दी का व्यवहार हो, वे तो टट्टी के ऊपर भी अंग्रेजी में लिखना पसन्द करते हैं। वे हिन्दी की बढ़ी हुई ताकत को किसी तरह से कम करना चाहते हैं। दूसरे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हिन्दी का उत्थान उत्तरोत्तर हो। तो इस प्रकार से राष्ट्र भाषा के सामने एक बड़ा भारी जटिल प्रश्न है। इसलिए हम सब इकट्ठे उसकी ताकत को बढ़ावें बनिस्बत इसके कि छोटी छोटी बोलियों में अपनी तमाम ताकत को लगावें।

(घंटी)

श्री देवीसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी प्रकार से बहुत सी बातें सामने रखी हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ और मेरी मान्यता है हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है और उससे कोई द्वेष नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में हिन्दी को जो स्थान प्राप्त हुआ है, वह वही रहे और उसका विरोध

[श्री देवीसिंह]

नहीं करना चाहते और न करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि जो पृथक भाषायें देहातों में बोली जाती हैं, जो कि मातृभाषा है, वह राजस्थानी है और उसमें मतभेद नहीं हो सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि अगर राजस्थान को बोली के अनुसार देखा जायगा तो उसका विभाजन हो जायगा। राजस्थान के इलाकों में गहराई से जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि गुजरात बोर्डर पर आता है, दूसरे भागों में भी राजस्थानी का प्रभाव देखने को मिलेगा। मालवी भाषा के लिये फरमाया, मैं निवेदन करूंगा कि मालवी भाषा राजस्थानी भाषा का ही एक अंग है, विद्वान सब मानते हैं। यह बात मानता हूं कि ब्रज भाषा राजस्थानी से जुदी है। इस प्रकार जब राजस्थानी का सवाल है अब वे फरमाने लगे कि वह जमाना और समय निकल गया। वास्तव में मैं यह कहता हूं कि पिछले १०० वर्षों का समय राजस्थानी के लिये दुर्भाग्य का समय था, उन्होंने कहा कि राजस्थानी राजाओं की भाषा थी, लेकिन मैं यह कहता हूं कि राजा लोग पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता में पले होने के कारण उन्होंने राजस्थानी भाषा को तरक्की नहीं दी और उनके कारण राजस्थानी पर आघात पर आघात होते गये। राजाओं ने राजस्थानी की तरक्की नहीं की बल्कि उन्हीं के कारण वह गिरी है। यही कारण हुआ कि राजस्थानी दूसरे प्रान्तों की भाषाओं के मुकाबले में नहीं आई। राजा खत्म हो गये इसलिये राजस्थानी भाषा भी खत्म हो गई, यह बात नहीं है। राजस्थानी भाषा ग्रामों में बोली जाती है। देहात में हिन्दी बोलने वाले लोग कम मिलेंगे। कुछ पढ़े लिखे लोग हिन्दी जानते हैं उनको इसका प्रयोग करना चाहिये लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारे देहात में सब जगह हिन्दी का ही प्रयोग हो रहा है।

उन्होंने फरमाया कि राजस्थानी कोई भाषा ही नहीं है। थोड़ी देर पहले एक साहब ने फरमाया था कि राजस्थानी को सभी विद्वान अच्छी भाषा मानते हैं। भारतवर्ष की लिंग्विस्टिक सर्वे करवाई गई थी। मिस्टर ग्रियर्सन ने सर्वे की रिपोर्ट में राजस्थानी को अलग भाषा माना। मिस्टर टेसिटोरी इटली का रहने वाला था। उनको वहां इटली में राजस्थान का इतिहास देखने को मिला। वे उससे बहुत प्रभावित हुए और इटली से चलकर यहां आये और यहां काम किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि उन्होंने उम्र थोड़ी पाई। सुनीतिकुमार चटर्जी, जो हमारे यहां के माने हुए भाषा विज्ञान के विद्वान हैं उन्होंने, साफ माना है कि राजस्थानी एक अलग भाषा है और बड़ी प्रभावशाली भाषा है। इसके अलावा सबसे बड़े इतिहासकार आर० सी० मजूमदार 'हिस्ट्री ऑफ दि कलचर ऑफ दि इन्डियन पीपल' और 'न्यु हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' का संकलन उनके तत्वावधान में चल रहा है, उन्होंने एन्शियन्ट हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में लिखा है उसको आप मुलाहजा कीजिये। उन्होंने लिंगविसटिक बेसिस पर हिन्दुस्तान का नक्शा बनाया है। उसमें उन्होंने राजस्थानी को जुदी भाषा माना है, वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थानी वास्तव में एक जुदी भाषा है। आज के जमाने को देखते हुए हिन्दी से हम को कोई मुकाबला नहीं करना है। हिन्दी राज्य भाषा है, वह रहनी चाहिये और बढ़नी चाहिये, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है कि राजस्थानी भाषा का गला घोटा जाय। लोग समझते हैं कि राजस्थानी अनपढ़ों और

[श्री देवीसिंह]

मूर्खों की बोली है। आज भी पढ़े लिखे और विद्वान कहलाने वाले लोग समझते हैं कि राजस्थानी बोलना बेवकूफों और मूर्खों का काम है ....

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—कम से कम आप तो इसको मूर्खता की निशानी नहीं समझें।

श्री देवीसिंह—मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं।

तो राजस्थानी के प्रति इस तरह की भावना हो गई। राजस्थानी को राजस्थानियों ने ही अपनाया नहीं है। यदि इसको अपनाते तो इस तरह से उसकी तरक्की नहीं रुकती और राजस्थानी और प्रान्तीय भाषाओं के मुकाबले में होती। यह हमारे लिये शर्म की चीज है। हमारी मातृ भाषा के लिये एक बंगाल के विद्वान लिखते हैं; डाक्टर सुनील कुमार चटर्जी ने एक जगह लिखा है कि जब मैं बंगाली लेंग्वेज का अध्ययन करने बैठा तो मेरे लिये और प्रान्तीय भाषाओं का अध्ययन करना जरूरी हो गया, क्योंकि उसके बिना मैं बंगाली का पूरा अध्ययन नहीं कर सकता था। आगे चल कर उन्होंने लिखा कि राजस्थानी का बंगाली भाषा पर गहरा प्रभाव है। इन चीजों को देखते हुए भी एक मित्र कहते हैं कि राजस्थानी कोई चीज नहीं है। आज ओफिसेज़ में जो भाषा चल रही है या उसको या पढ़ाई का माध्यम हिन्दी भाषा है, उसको चेन्ज करके राजस्थानी करदें, मैं उस के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि हिन्दी राज्य भाषा है, वह बढ़नी ही चाहिये। प्रान्तीयता के संकुचित दायरे को लेकर मैं यह नहीं कहता कि सब जगह राजस्थानी भाषा का ही प्रचार हो जाय लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि प्रान्तीय भाषा के प्रति आंख मूंद कर बैठ जांय। विधान सभा में हम देहात के प्रतिनिधि के रूप में आये हैं तो हम देहात वालों के लिये कुछ नहीं करें यह दुख की बात है।

सन् १६३१ की मर्दमशुमारी में राजस्थानी बोलने वालों की संख्या १ करोड़ ६० लाख लिखा है। यदि राजस्थानी नाम की कोई चीज नहीं होती तो मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में वह चीज क्यों आती और हमें यह सोचने का मौका कैसे मिलता कि किस हद तक राजस्थानी को तरक्की देनी चाहिये और इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है और हमारी जो मातृ भाषा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने बताया कि राजस्थानी के पुराने साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस है। यह सही है कि जिस युग में इसका उत्थान हुआ वह जमाना वैसा ही था। आज राजस्थान का नया साहित्य तैयार हो रहा है, वह कितना अच्छा हो रहा है जिसको बाहर के विद्वानों ने मान दिया है। यह बात नहीं है कि वह मुर्दा भाषा है। आपने संस्कृत के साथ इसकी मिसाल दी, किन्तु संस्कृत एक विद्वानों की भाषा है। वह आम लोगों के बोल चाल की भाषा नहीं है, किसी युग में बोलचाल की भाषा रही होगी, लेकिन आज वह केवल साहित्य की भाषा है। लेकिन राजस्थानी का आज यह हाल नहीं है। राजस्थानी देहात में बोली जाने वाली भाषा है। राजस्थानी भाषा क्या है? उसके लिये श्री एच. के. व्यास ने काफी प्रकाश डाला है। हर एक

[श्री देवीसिंह]

प्रान्त में बोली जाने वाली और प्रयोग में आने वाली भाषा में अन्तर होता है। जैसे गुजराती है। उसमें कई प्रकार की गुजराती है, राजस्थानी के डिफरेन्ट डाइलेक्ट्स को एकत्रित करके एक रूप दिया जा सकता है। राजस्थानी का शब्द कोष बीकानेर में तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से हिन्दी के किसी भी शब्द कोष में इतने शब्द नहीं हैं जितने उसमें हैं। इन सब चीजों को देखते हुए राजस्थानी भाषा की तरक्की के लिये कोई सही तरीका और अच्छा तरीका अपनाया जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल---या बात सॉची छे आपणी राजस्थानी को पुरानो इतिहास देखियो जाय तो या वा वीर भूमि रही है कि जिणरा राजा महाराजाओं ने सारा देश का बहुत बडा भूभाग पर शासन चलायो और शासन चलाने रे साथ साथ बड़ा बड़ा विद्वानों और पंडितों ने सम्मान दियो। बिहारी जैसा कवि इण प्रान्त में हुआ जिणोरी बिहारी सतसई रा ७०० दोहा मूलें, जैसी चीज नहीं है। सुन्दरदासजी जैसा भक्त दौसा रे आस पास पैदा हुआ। मीरांबाई रो नाम जगत कल्याण रो कारण हो रयो है और इण रे साथ ही बडे बडे वीर शिशोदिया वंशज, रणथंभौर रा वीर हुआ, उणोंरे जमाने में जो जो वीर रस पूर्ण साहित्य की रचना हुई बीकों देखर राजस्थानी साहित्य और भाषा की वीर रस प्रधान भावना से ओतप्रोत हो जावे और वाने भूल नहीं सके। आज भी उण मारवाड़ियों ने भुला नहीं सकों जो व्यापार रे कारण ही सही पर देश विदेश में गया है, बम्बई, कलकत्ता, रंगून, अफ्रीका और दूसरी जगह पर गयां है। वे लोग उण जगह रहता हुआ। भी आपस में मारवाडी में बात चीत करें है। मैं उणांरे आपस में मारवाडी में बातचीत करण रे कारण गौरव अनुभव करूं हूँ। मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकूं कि इण समय अवनिकुमारजी मुखर्जी हाउस में मौजूद नहीं है। उणोने राजस्थान में रहते १० पीढ़ी हो गयां। वांका बुजुर्ग कांतिचन्द्रजी अठाका दीवान हा, वे आज भी अपने घर में आपस में बातचीत करे तो बंगाली में बातचीत करे। इणी तरह से कुछ गुजराती लोग भी हैं जो अठे रेवता हुआ भी आपस में गुजराती में ही बातचीत करे हैं। तो मैं या निवेदन करवो चाहूहूँ कि आंपां राजस्थानी, राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य ने क्यों भुलाया चावों हों ? तो मैं इतनो निवेदन करवोचाहूँ हूँ कि म्हारां माननीय भाई शंम्भुसिंह जी ने प्रस्ताव रखियो है उणरे अनुसार हर भाषा ने प्रोत्साहन देणो औरआगे बढ़ाणों ठीक है और वाजिब है मैं दुबारकहवो चाहूँ हूँ कि इण मसले पर गम्भीरता से विचार करे और माननीय शिक्षा मंत्रीजी राजस्थान भाषा से प्रेम रखने वाले हैं और वे शिशोदिया वंश के जुरिस्डिक्शन में रहे हैं जिणर इतनो बडो इतिहास और वीररस पूर्ण साहित्य है और जहां मीरांबाई रो नाम लेवा से मंगल कामना मानी जावे है तो वे जरूर सब री प्रार्थना पर ध्यान देवेंगा।

एक बात और भी छे के जद म्हे दूसरी भाषा काम में लेवां हां, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत फारसी मदरासन में तो हिन्दी के साथ साथ में सेकिन्ड लेंग्वेज के रूप में राजस्थानी भाषा ने भी शामिल कर सकां हां। और यो फर्ज छे। दूसरे भाई देवीसिंहजी फरमाई के कोटा में हाड़ौती जिसी भाषा बोली जावे है, सवाई माधोपुर में दुण्ढाडी और हाडौती भाषा से समिलश्रण छे, जयपुर

[श्री श्रीदास गोयल]

ढूंढ़ाडी भाषा बोली जावे छे, जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी में मारवाडी भाषा को दूसरो रूप है और संसार की सबसूं मीठी और मधुर भाषा जी के वास्ते श्यामसुंदरलाल जी जिसा विद्वान को यो मत छे के ब्रज भाषा बहुत मधुर भाषा है "मैया री मैया मेरे पैर में लगे कंकरिया" इसी भाषा है और धौलपुर-करौली को इलाको भी या इसी भाषा बोले है तो या सब छोटी मोटी भाषान को सम्मिश्रण कर राजस्थान की उम्दा भाषा की जावे तो मैं समझुं हूं माननीय चेयरमेन, कि राजस्थान कोबडो हित कर सकां ला और राजस्थान का छोटा छोटा बालकन को बड़ो हित कर सकां ला और राजस्थान में शिक्षा की बड़ी उन्नति कर सकांला।

कोड वर्डन की बात करी, ईं के वास्ते मैं या अर्ज करबो चाहूंला के दो मारवाडी भाई मिलकर बम्बई में बात करें तो महाराष्ट्रियन और गुजराती की समझ में नहीं आवे। तो या सूं व्यापार सम्बन्धी गुप्त बातचीत करवां में और गुप्त संदेश देवां में भी बड़ी मदद मिलेगी, तो अन्त में मैं ज्यादा न कह कर प्रस्ताव कौं समर्थन करूं हूं और शिक्षा मन्त्री जो मुख्य मन्त्री छे वां सूं चाहूंगा के ईं पर आश्वासन देबा को विचार करें।

पण मैं या जरूर कहूंला के या बात बहुत जरूरी है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा ने ऊंची उठाणा सूं राजस्थान उन्नत हो सके है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—आज सदन के सम्मुख शम्भूसिंहजी का एक प्रस्ताव आया है, उसमें यह लिखा है :

"इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान की पाठशालाओं में राजस्थानी भाषा और तत्सम्बन्धी बोलियां (डायलेक्ट्स) की शिक्षा देने व एतदर्थ नियम बनाने हेतु इस सदन के पांच सदस्यों की एक समिति बनाई जावे जो अपनी रिपोर्ट दो माह के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर देवे"

मैं इसके पक्ष में हूँ और अपना वक्तव्य इसके पक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य मेरे पूर्व वक्ता आचार्य महोदय ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में जो कुछ कहा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। आचार्य महोदय ने यह तो मान लिया है कि राजस्थानी भाषा एक उपयुक्त भाषा है और इसका साहित्य भी बहुत ही ऊंचा है, लेकिन यह प्रयत्न आज से ५० वर्ष पहले किया जाता तो ठीक था, आज यह प्रयत्न करना उचित नहीं। यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या ५० वर्ष पहले जो चीज़ नहीं की गई वह आज नहीं की जाय? मैं यह समझता हूँ कि अगर वह चीज उपयुक्त है तो १०० वर्ष बाद भी की जानी चाहिए। यह तो कोई दलील नहीं हुई, कोई यह भी कह सकता है कि अंग्रेजों की गुलामी में ड़ेढ़ सौ वर्ष तक रह गये, अंग्रेजों की गुलामी के २५ वर्ष होते ही स्वतन्त्रता संग्राम छेड़ना चाहिए था, २५ वर्ष के बाद कभी नहीं।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

जब अन्य प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाएं हैं और वे स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं तो राजस्थान में राजस्थान की भाषा राजस्थानी भी उसी तरह शिक्षा पद्धति, शिक्षा क्रम में आनी चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—उसी भाषा में सुनाइये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—उसकी कोई आवश्यकता नहीं। चलेगा।

बंगाल वासी राष्ट्र भाषा तो हिन्दी को मानते हैं पर बंग भाषा वहां की प्रान्तीय भाषा है, महाराष्ट्र में राष्ट्र भाषा हिन्दी है पर वहां की प्रान्तीय भाषा मराठी है, इसी प्रकार और और प्रान्तों में राष्ट्र भाषा हिन्दी होते हुए भी वहां की प्रान्तीय भाषाएं उन उन प्रान्तों की प्रान्तीय भाषा का स्थान लिये हुए हैं। तो क्या राजस्थान एक प्रान्त नहीं है जो इसकी कोई प्रान्तीय भाषा नहीं? फिर यह कह दें कि हमारी कोई भाषा ही नहीं है, जिस प्रान्त में दो करोड़ आदमी रहते हों और वे यह कहें कि हमारी कोई भाषा नहीं, तो यह उचित नहीं, हमारी भाषा राजस्थानी है, जब दो करोड़ आदमी राजस्थानी भाषा भाषी हों और वे कहें कि हमारी कोई प्रान्तीय भाषा नहीं यह उचित बात नहीं। जिस प्रान्त में उत्पन्न हुए उस प्रान्त की भाषा का गौरव बढ़ाना यह सत्पुत्रता और कर्तव्यपरायणता होगी।

जब इसके उत्तर में कहा जाता है कि जोधपुर की अलग भाषा है, मेवाड़ की अलग भाषा है, जयपुर की अलग भाषा है, शेखावाटी की अलग भाषा है, तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि साधारण विभिन्नता तो हर प्रान्तीय भाषा में होती है। पर प्रान्तीय भाषा जो है वह एक हो जाती है। मराठी भाषा का अध्ययन कीजिये, मराठी भाषा के उपन्यासों और साहित्य की पुस्तकों को पढ़िये, वह आपको एक मिलेंगी, पर जगह जगह बोली जाने वाली मराठी भाषा में साधारण विभिन्नता मिलेगी। इसी तरह बंकिम बाबू के बंगला के उपन्यासों को पढ़िये और दूसरी साहित्यिक पुस्तकों को पढ़िये उनमें एकता व समानता मिलेगी। इसी तरह जब हम पाठशालाओं में पुस्तकें अपनी प्रान्तीय भाषा में रखेंगे तो उनमें प्रान्त व्यापी एकता रखेंगे और इससे प्रान्त की एकता बढ़ेगी, प्रान्त की एकता के कारण भारतवर्ष जो कि हमारा महान् राष्ट्र है उसकी एकता सुदृढ़ होगी। एक प्रान्त की एकता सुदृढ़ नहीं होती है तो प्रान्त देश का एक अंग होने के कारण उनकी कमजोरी सारे राष्ट्र की कमजोरी होती है। जिस प्रकार एक आदमी पूर्ण रूपेण स्वस्थ है पर उसका हाथ पतला हो गया है तो वह सुन्दर और स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जिस प्रकार राष्ट्र की सुन्दरता और सुदृढ़ता के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है उसी प्रकार एक प्रान्त की उन्नति के लिए प्रान्तीय भाषा की उन्नति आवश्यक है और उस प्रान्त की भाषा के गौरव को बढ़ाना उस प्रान्त के निवासियों का कर्त्तव्य होगा।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

हम राष्ट्रीय भाषा का विरोध नहीं करते और यह नहीं कहते कि राजस्थानी भाषा राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले ले। हम तो यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हिन्दी ही हो पर साथ ही यह भी चाहते हैं कि राजस्थान में प्राथमिक पाठशालाओं में हिन्दी के साथ साथ राजस्थानी भाषा भी वैकल्य रूप में पढ़ाई जाय। इससे राजस्थान की उन्नति होगी। अगर राजस्थान की उन्नति होती है तो वह सारे देश की उन्नति का प्रधान कारण होगी। किसी देश की गणना उस देश के साहित्य से होती है, जिस देश का साहित्य जितना उन्नत होता है उतना ही वह देश उन्नत होता है और जिस देश का साहित्य जितना अवनत होता है, वह देश भी उतना ही अवनति के गर्त में गिरता है।

वीरता में राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है इसका प्रधान कारण राजस्थानी साहित्य है; और उस भाषा के साहित्य को पद दलित करना हमारे प्रान्त को उन्नत होने से रोकना है और बड़ी भारी कृतघ्नता होगी।

इसलिये अपने प्रान्त की उन्नति के लिए राजस्थानी भाषा की ऐसी किताबें बनाई जांय जो प्रत्येक पाठशाला में पढ़ाई जांय ताकि राजस्थानी भाषा एक प्रान्त के रूप में आ जाय और हम राजस्थानी अपनी भाषा, अपना वेष, और अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें।

इतना ही कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमैन, मुझे इस बात को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग इस जमाने में भी जब अशिक्षा का अंधकार दूर हो रहा है यह मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को स्थान दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि राजस्थानी भी कोई क्या भाषा है? आपको मैं बताऊं कि हिन्दी राष्ट्र भाषा क्यों मानी गई? राजस्थान, पंजाब का बहुत सा हिस्सा, उत्तर प्रदेश, उधर को बिहार, मध्यभारत इन सारे इलाकों के लोगों की भाषा हिन्दी है। अब आबादी के लिहाज से यह एरिया इतना लंबा चौड़ा माना गया है कि हिन्दुस्तान में दूसरे प्रान्तों से इसका एरिया बहुत ज्यादा है और यहां पर हिन्दी बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है इसलिये हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना गया है। इस लिहाज से राजस्थान की राष्ट्र भाषा हिन्दी है। मैं आपको बताऊं कि एक दिन दो चार आदमी बैठे थे और वहां पर ठंडाई बनाई गई। एक व्यक्ति ने कहा कि ठंडाई तो बड़ी उदबुद बनी है। मैं सोचने लगा कि यह 'उदबुद' कौनसी भाषा का शब्द है। बाद में सोचने से मालूम हुआ कि यह हिन्दी का 'अद्‌भुद' शब्द है। उसका अपभ्रन्श है और उसको यह 'उद्‌भुद' बोल रहा है। अब अगर कोई यह कहे कि उसको अद्‌भुद को उदभुद बोलने दिया जावे और किताबों में भी इसी प्रकार गलत छपवा दिया जावे तो मैं यह कहूँगा कि मूर्खता का कोई ठिकाना

[श्री गोपीलाल यादव]

नहीं होगा । गांव के लोग कम पढ़े लिखे होने से अच्छी तरह से शुद्ध नहीं बोल सकते थे । इसलिए 'क्या' को 'के' बोले जैसे आप बोल रहे हैं। कोई 'का' कहे' कोई क को के कर दिया । कहने का मतलब यह कि जो लोग शुद्ध नहीं बोल सके तो किसी न किसी तरह उलटा सीधा बोले और 'ह' को 'स' और 'हो' को 'सो' बोलने लगे । यदि हम यह कहें कि जो खामियें हिन्दी भाषा की बोल चाल में २००, ३०० वर्षों से चली आ रही हैं वे ज्यों की त्यों जारी रखी जावें तो मैं यह कहूँगा कि यह अन्याय होगा । इसका कोई मुकाबिला बंगाली और मद्रासी से नहीं हो सकता क्योंकि जिस संस्कृत से हिन्दी भाषा निकली है उसी तरह से संस्कृत से डाइलेक्ट मद्रासी और बंगाली निकली हैं ।

श्री श्रीदास गोयल—आप इसको मूर्खतापूर्ण बतलाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि क्या राजस्थानी भाषा के जो ग्रंथ बने हैं राजाओं के जमाने में; जैसे पृथ्वीराज रासो आदि ग्रंथ बने हैं उनको आप हिन्दी का सोर्स कैसे मानते हैं ।

श्री सभापति—आप संतोष रखें ।

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह बता रहा हूँ । जिन लोगों ने अशिक्षित लोगों के अन्दर देश के हित के लिये वीरता का प्रचार किया तो उन्होंने अपना यह प्रचार शुद्ध हिन्दी में नहीं किया क्योंकि उनको अपना प्रचार राजस्थान के वीर पुरुषों में जो अशिक्षित थे, उनमें करना था । इसलिये जिस भाषा में लोग बोलते थे उसी भाषा में लोक गीत और वीरता को भरने वाले पद उन्होंने बनाये । इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में सही भाषा है । अगर आप यू. पी. को लें तो आपको पता लगेगा कि मथुरा के आस पास दूसरी भाषा बोली जाती है, कन्नोज के आस पास व लखनऊ के आस पास दूसरी भाषा और बनारस व बुलन्दशहर और मेरठ वाले जिलों में अलग । इन सब में तरह तरह की हिन्दी बोली जाती है । अगर इस हिसाब से भाषा स्कूलों में रखी जाये तो यू. पी. के लोगों को ५ या ६ भाषाएं यू. पी. की स्कूलों में रखनी पड़ेंगी । मगर वास्तव में एक ही भाषा स्कूलों में है जो हिंन्दी है । इस हिन्दी भाषा को अलग अलग रूप में अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं । बृज भाषा अलग है । जिस प्रकार राजस्थान में मारवाड़ी, बीकानेरी जयपुरी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है उसी प्रकार यू. पी. में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है । जब मैं अपने मव्वकिल को जयपुर की भाषा में बोलते देखता हूँ तो मुझे समझ में पूरी तरह से नहीं आता, समझ तो लेता हूं लेकिन जब उदयपुर की तरफ के मव्वकिल आते हैं तो उनकी बोली मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे मूर्ख लोग बहुत हैं जो राजस्थानी भाषा को नहीं जानते ।

श्री गोपीलाल यादव—मैं आपको बताऊं कि परसों हम जीप में बैठे कहीं जा रहे थे । रास्ता बतलाने वाला कोई आदमी हमारे साथ नहीं । इसलिये रास्ता बतलाने वाले आदमी को बिठला

[श्री गोपीलाल यादव]

दिया। अगर उसको पढ़ा लिखा कहें तो उसके माने यह हुए कि रास्ते का जानकार, मगर मैं इस प्रकार की गलत भाषा बोलने का आदी नहीं हूं, इसलिये गलत भाषा बोलने के नाते मुझे मूर्ख और अशिक्षित माना जा सकता है, मैं हरगिज इससे नाराज नहीं हूं।

हमको अपने देश में राष्ट्र भाषा हिन्दी बनानी है। मद्रास...

श्री चन्दनमल वैद—मद्रास में कौनसी भाषा बोली जाती है।

श्री गोपीलाल यादव—तामिल आदि दूसरी भाषाएं हैं...।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मद्रासी, मलयालम, कनाड़ी आदि बोली जाती हैं।

श्री सभापती—Do not get disturbed.

श्री गोपीलाल यादव—इन तमाम हलकों में हम हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं। जब वे लोग यह सुनेंगे कि हिन्दी बोलने वाले इस प्रकार का प्रस्ताव पास करते हैं तो कहेंगे कि हमारे यहां भी हिन्दी नहीं होनी चाहिये। हम लोग कहते हैं कि उनको जो हिन्दी नहीं जानते हैं, हिन्दी सिखाओ। यदि राजस्थान के लोग जो हिन्दी बोलने वाले हैं इस प्रकार का प्रस्ताव पास करेंगे और हिन्दी का जो टूटा हुआ रूप है उसको रखेंगे तो मद्रास वाले कहेंगे कि हिन्दी कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, उसको राष्ट्र भाषा की लिस्ट में से निकाल दिया जाय, हम मद्रासी भाषा सीखेंगे। वे कहेंगे कि राष्ट्रभाषा रखी जाए अंग्रेजी की, सब लोग अंग्रेजी जानते हैं।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिये। 'क' को 'कु' और 'ह' को 'श' कहने से कोई भाषा की उन्नति नहीं हो सकती। हम अपने बच्चों को, का, के, चा, ची, छु, छे, नहीं सिखाएं। राष्ट्र की भाषा हिन्दी है। राजस्थानी भाषा सारे देश की राष्ट्रभाषा नही है। देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है और वही रखनी चाहिए। मैं यह कहुंगा कि पहले तो इस प्रकार का प्रस्ताव रखना ही नही चाहिये था और रख दिया गया है तो मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वे इसको वापिस ले लें और अगर वे इसको वापिस नहीं लेते हैं तो सदन से निवेदन करूंगा कि इसको हाउस गिरा दे।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—सभापति महोदय, मेवाड़ी साथी ने प्रस्ताव रखा उस पर मारवाड़ी साथी कई बोल चुका, परन्तु समझ में नहीं आयो कि कोई तो राजस्थानी भाषा का समर्थन कर चुका और कोई विरोध कर चुका। राजस्थान में ऐसी जगह है जहां कुका, कुकी, छोकरा—छोकरी,

[श्री रामरतन टिक्कीवाल]

बच्चा-बच्ची, लडका-लडकी, डीकरा-डीकरी बोलते है। किस भाषा में प्रोत्साहन दें ? किस तरह पुस्तकों में लिखें ? किसी जगह कुडा, कोठीं, गोला, कुवां, हुंगा, हंग, कूडे, उंग शब्द बोलते हैं। इसी तरह राजस्थानी भाषा में मेवड में स को ए बोलते है। किसी जगह जीकारा और कहीं तू कहते हैं। ई तरह से राजस्थान की भाषा बिगडी सी है | हमारी मातृ भाषा हिन्दी है। और राष्ट्रभाषा हिन्दी मानते हैं,यह ठीक है। जयपुर में भायाजी कहते है। कहीं आप को तू कहते हैं और बेटाने भी जी और बापने भी तू कहते हैं।

मारवा, मेवाड में सबको जीकारा देते हैं और हाडोती में कुछ दूसरी ही तरह बोलते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा हैं वे खुद भी इस भाषा में नहीं बोले और उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह से यह होगा, जिससे हम इसका समर्थन करते, लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया।

इण तरह सूं राजस्थानी भाषा ने बिगाडकर अलग अलग जगहों पर जो जो भासा बोली जाय छे उणाने लेने सू बडो झगडो पडसी। आपा देखयों भाषा वार प्रान्त की रचना ने लेय ने कितनो आन्दोलन चल्यो। इणी तरहसूं अगर राजस्थानी भाषा ने स्कूलां में पढ़ाया को प्रबन्ध करांला तो हर क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाय छे ,उणाने लेकर झगडो बढ़सी। इस वास्ते म्हारो प्रस्तावक महोदय सू निवेदन छे कि वे इण प्रस्ताव ने पाछो ले ले।

आप जयपुर रे बाजार में चल्या जावो, आपने तरह तरह री भाषा में बोलता हुआ आदमी नजर आसी। राजस्थानी भाषा म्हाने तो आछीं तरह सूं बोलनो आवे नहीं, म्हे तो समझ सूं। म्हारो तो ओ ही कहणों है कि आपाने आपणो राष्ट्रभाषा हिन्दी जो छे उणाने प्रोत्साहन देणो चाहिजे। इण वास्ते में इन प्रस्ताव रो विरोध करूं छूं और माननीय प्रस्तावक महोदय सूं निवेदन करूं छूं कि वे इण प्रस्ताव ने वापिस ले लें।

श्री **मानसिंह महार**—माननीय चेयरमेन महोदय, सदन रे समक्ष राजस्थानी भाषा रे बारे में जो प्रस्ताव मेवाड़ सू आया हुआ माननीय सदस्य ने रख्यो है उणारे बारे में म्हाने पहले तो आ बात समझ में नहीं आयी थी,-पण जद म्हाका टोंक सूं आया हुआ मित्र जद राजस्थानी भाषा में बोल्या म्हाने भी आ महसूस हुई चेयरमेन महोदय, कि राजस्थानी भाषा में ही सब काम होवा लाग गयो छे। म्हे जद वांरी राजस्थानी भाषा में स्पीच सुनी और म्हांने जो महसूस हुयो कि लोग आग जिण राजस्थानी भाषा ने बिगाड़ बिगाड़ कर राखे उणी भाषा में वे म्हांका टाबरा ने शिक्षा देबो चावे छे। अगर आप राजस्थानी भाषा ने प्रोत्साहन देणो चावो छो तो म्हाने शक छे। स्कूलां का टाबरां ने एक जबरदस्ती सबजेक्ट और बढ़ा दियो जासी तो इणसूं कांई होसी कि जद टाबर ने पांच सबजेक्ट पढ़ता आ रह्या था वठे एक राजस्थानी भाषा को नयो सब्जेक्ट लेनो पड़सी। अबार हीं टाबर तो पांच

[श्री मानसिंह महार]

घंटा पढ़ता जोर खावे छे तो वे और यदि वांके एक सबजेक्ट बढ़ा दियो जावेला तो वे आपाने गालियां देसी और कहसी कि आ असेम्बली कैसी छे जो म्हारा पढ़वा रा घंटा में एक घंटो और बढ़ा दियो। मैं आ निवेदन करूं चेयरमैन महोदय, जो राजस्थानी बोलों छे म्हैं राजस्थानी बोली रो काफी तजुर्बो भी राखूं छूं और राजस्थानी री कदर प्रस्तावक महोदय सूं ज्यादा करूं छूं और इणी डाइलेक्ट्स में बोल रह्यो छूं। प्रस्तावक महोदय तो खुद हिन्दी भाषा में बोल्या छे, उणरे भाषण सूं तो ओ पतो चाल्यो कि वे राजस्थानी भाषा ने चावे तो कोनी। यदि चाहता तो वे राजस्थानी भाषा में बोल ने बताता कि इण भाषा ने वे स्कूलां में रखाबो चावे छे। वाने तो चाहिजे तो ओ छो कि वे म्हाने मेवाड़ी भाषा में, मीरा बाई की भाषा में आपरो भाषण सुनाता तो म्हे महसूस करता कि राजस्थानी भाषा होणो चाहिजे? आ बातां देखता हुया, चेयरमैन महोदय, म्हैं आ महसूस करूं छूं, सदन में जो इण बारा में विचारधारा रखी कि राजस्थानी भाषा होणी चावे उणने प्रोत्साहन मिलनो चावे, उण बात सूं कोई भी इन्कार नहीं कर सके छे कि राजस्थानी भाषा ने प्रोत्साहन नहीं मिले। जठा तक म्हाने पतो छे म्हाकी सरकार राजस्थानी भाषा ने प्रोत्साहन देवा के वास्ते काफी प्रयत्नशील छे और प्रोत्साहन दियो जा रह्यो छे! जठा तक राजस्थानी भाषा के प्रोत्साहन देवा रो सवाल छे मैं इण बात को समर्थन करबा ने तैयार छूं।

जोधपुर सूं जीतकर आया हुआ म्हारा साम्यवादी सदस्य राजस्थानी भाषा रो पलड़ो लेकर बड़ा जोर सूं इण प्रस्ताव रो समर्थन करयो। म्हैं पहली तो ओ सोच्यो कि ए साम्यवादी सदस्य राजस्थानी रा पुजारी छे। वे जद भाषण दे रहया छा तो वे आ बात कहयी कि म्हैं अन्त में राजस्थानी भाषा में बोल स्यूं लेकिन एक शब्द भी राजस्थानी भाषा में कोनी कहयो जद म्हे ओ महसूस करयो ये तो साम्यवादियां रो एक्सप्लोइटेशन रा टेकनिक्स छे। वे ओ चावे छे कि भारतवर्ष का टुकड़ा टुकड़ा हो सके उतनो ही आछो छे। वे ओ चावे छे कि अलग अलग प्रान्ता में अलग अलग भाषाओं ने बढ़ावो दियो जाय और इण तरहसूं भाषाओं ने बढ़ावो देकर वे लोग ओ चावे छे कि इण तरह सूं प्रान्तीयता ने बढ़ावो देकर वे आपणो उल्लू सीधो कर लेवे, वां लोगां रो ओ समझणो उचित भी छे, वारां दृष्टिकोण सूं। वे तो ओ चावे छे कि देश का टुकड़ा टुकड़ा हो, देश में प्रान्तीयता ने बढ़ावो मिले। प्रान्तीयता ने बढ़ावो देवाको जो नतीजो म्हाने पाछला तीन चार महीनों में देखवा ने मिल्यो चेयरमैन महोदय, वो किणस छिप्यो नहीं छे। बंबई रो मिसाल ले लो। प्रांतीयता रे नशा में बम्बई तीन दिन के वास्ते नरक बन गयो छो, हजारों आदमी मारा गया छा। महाराष्ट्र और गुजरात को जो झगड़ो है वो प्रान्तीयता को तो झगड़ो है। आज बंगाल और बिहार रो सीमा सम्बन्धी झगड़ो म्हाने सुनबा ने आवे छे। अगर आपां इण राजस्थानी भाषा ने अठा री भाषा में आपारां टाबरां ने शिक्षा देवा लाग ज्यासां तो आ होसी कि जिण जिण तरह री राजस्थानी भाषा बोली जाय छे वे अलग अलग होबा को विचार करसी और वे क्षेत्र आ मांगा करसी; जैसे ढुंढाड़ वाला कहसी कि म्हारो ढूंढाड़ प्रान्त अलग होनो चाहिजे, मेवाड़ी कहसी मेवाड़ प्रान्त अलग होणो चावे, उणी तरह सूं जोधपुरी कहसी म्हारो मारवाड़ प्रान्त होणो चाहिजे। इण प्रकार की जो बातां होसी वा देश हित के वास्ते बड़ी घातक होसी। आप चेयरमेन महोदय, म्हाका जयपुर ने ही लेल्यो, अठे आपने सुनबा

[श्री मानसिंह महार]

ने मिलसी कि कोई आदमी सड़क पर जा रह्यो छे तो उणने इण तरह सूं बतलासी कि ओ मिनख कोड़े जावे छे? इण तरह सूं राजस्थानी भाषा ने स्कूलां में पढ़ावो अनिवार्य कर दियो जासी तो जयपुर रा रैवा वाला ने भी वा पढ़नी पड़सी और टाबरां ने ज्यादा पढ़नो पड़सी। एक सब्जेक्ट और बढ़ जासी और टाबरा ने परेशान होणो पडसी। इणरे अलावा में आशा करूं छूं प्रस्तावक महोदय री रिश्तेदारियां जयपुर में छे, इण बातां सू जयपुर और उदयपुर दोनों में मेल किण तरह सूं खासो, आ बात म्हारी समझ में नहीं आ रही छे। मैं समझूं खुद प्रस्तावक महोदय भी इण बात ने महसूस करसी। हिन्दी तो एक असी भाषा छे जिणने सारा प्रान्त वाला समझे छे। आपां लोगां ने कोसिस तो आ करनी चाहीजे छे, कि सारा प्रान्त के लिए जो पिछड़या हुया लोग छे वांने आपां हिन्दी भाषा सीखवा ने प्रोत्साहन देवां और वाने हिन्दी में शिक्षा देवां। वे जो कुछ भी अरबी आदि देवे वाने हिन्दी में देवा री शिक्षा देवां अगर मैं अलग अलग डायलेक्टस ने प्रोत्साहन देवा रे वास्ते कोई निर्णय करां तो वां लोगां रो नुकसान होसी। अगर मेवाड की लड़कियां जयपुर री भाषा सीखसी और हिन्दी नहीं सीखसी तो जयपुर रा घरां में जद आवेला तो वे अठारी भाषा समझासी नहीं, अगर वे अठारी भाषा न समझेला तो बहुत चक्कर पड सके छे।

(घंटी)

चेयरमेन महोदय, म्हें तो टू टी पोइन्ट ही निवेदन करूं छूं।

श्री सभापति—आप भाषा के सिलसिले में ही निवेदन करिये।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) म्हें आ निवेदन कर रह्यो छो कि स्कूलां में जो राजस्थानी भाषा ने स्थान दियो तो म्हें ओ समझ्यो छु कि इणसूं नुकसान ही होसी। इणरे अलावा म्हें एक बात और निवेदन करबो चाहूं छूं कि सदन में कोई मेवाडी में बोलसी, कोई जयपुरी भाषा में बोलसी, कोई जोधपुरी, तो कोई शेखावाटी की भाषा में बोलसी, तो इण तरासूं भिन्न भिन्न बोलियां में बोलसी तो अठे रिपोर्टर भी भिन्न भिन्न भाषा रा राखणा पड़सी और जिण तरासूं युनाइटेड नेशन्स में इन्टर प्रेटर रखबो पड़े छे उणी तरह सूं अठे भी राखणा पड़सी। इण वास्ते मारो निवेदन छे कि मने भावावेश में नहीं कहनो चाहीजे। प्रस्तावक महोदय और टोंक से आयोडा मित्र जो कयो मैं ऊं की कदर करूं छूं और उणा ने प्रोत्साहन देणो चाहूं छूं। राजस्थानी को साहित्य भी बड़ो छे। और लोग ईं ने बढ़ावो भी दे रह्या छे। आज राजस्थानी में मेघराज मुकुल जैसो कवि मौजूद छे, जिनको सरकार भी चोखी नौकरी में राख राखियो छे। ईं तरह सरकार भी प्रोत्साहन दे रही छे। पर ईं ने स्कूल में लागू कर दियो जावे, यों कर दियो जावे आ वाजिब बात नहीं छे।

मैं सदन का सब सदस्यां सूं निवेदन करूं छूं कि राजस्थानी शब्द का भावावेश में मत बह जाइज्यो। आपा ने आपणा देश की भलाई पहलां देखणी छे, फेर कोटा, बूंदी या हाड़ोती.

[श्री मानसिंह महार]

इलाके की-जो बोली छे वा ऐसी छे कि ऊंकी तो अलग ही टांग तोड़नी पड़ेगी। तो इण तरह की बातां छे, चेयरमेन महोदय। फेर मेवाड़ी। आज तक मैं तो मेवाड़ी भाषा में तो समझ्यो ही नहीं छू और शायद मेवाड़ी बोलवा वाला मारी ई भाषा में नहीं समझता होवेला और ई दुख के मारियो मार और मारा भाइयां की शादी भी इधर का ही देश में करी छू। ई वास्ते ई बात ने सरकार ने मन्जूर नहीं करणी चाहिजे नहीं तो राजस्थान की बरबादी हो जवेगी। और फेर अगर तीसरी चौथी कक्षा तक थोडी बहुत राजस्थानी पढ़ भी लेवेगा लड़का तो हो कांई जावेगो।

और आज का युग में मैं तो या अरज करूं छूं कि आज अगर राजस्थानी भाषा ने प्रोत्साहन ही देणो छे तो राजस्थान की जो ढोलणियां छे वां ने राजस्थानी शिक्षा को ज्ञान देणो चाहिजे ताकि रेडियो वगैरह पर जो वे बोले तो अठा का लोक गीतां की तरफ लोग आकर्षित होवे और मदद मिले। और चेयरमेन महोदय......

श्री माधोसिंह (मैंसवाडा)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, चेयरमेन के वास्ते कोई शब्द होणो चाहिजे।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—There is no point of order, please.

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, राजस्थानी का सबसे प्रत्यक्ष नमूना तो अबार जिणां सवाल पूछ्यो छे वे ही छे।

श्री माधोसिंह—चेयरमेन रे वास्ते कोई शब्द है राजस्थानी में ? मैं तो ओ पूछूं हूं।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Do'nt be distiurbed. Please continue

श्री मानसिंह महार—तो मैं तो चाहतो छो के भावावेश में नहीं बहूं, पर भावावेश में बह गयो। पर बीच बीच में लोग बोल देवे छे।

तो मैं निवेदन करूं छूं कि राजस्थानी ऐसी भाषा छे कि जीं ने प्रोत्साहन देणो छे पर देणे को तरीको सोचणो चाहिजे। यो कह देणो कि स्कूलां में छोटा छोटा टाबरां ने पढ़ाकर राजस्थानी को माथो ऊंचो कर देवांगा सो यो गलत छे। देश की एकता को सवाल छे, देश ने एका की तरफ ले जाणो छे। अगर राजस्थानी के द्वारा भाषावाद गे नारो लगायो गयो तो देश के एका ने बरबाद कर देवेगा। आज तो एकता की ओर ध्यान देणो चाहीजे। मंडावार की ओर से आयोडा, उदयपुरवाटी की ओर सूं आयोडा जोरदार शब्दां में ई प्रस्ताव को समर्थन करियो और सवाई माधोपुर से आयोडा मित्र तो उठा की भाषा में फूल ही बिखेर दिया। पर मैं अरज करूं छूं के

[श्री मानसिंह महार]

उनको मैं स्वागत करूं छूं कि आज उनकी जबान में तो फूल छे पर वे वकालत करता समय हाकिम के आगे अगर ई भाषा में पैरवी करता तो उणां का सौ में से ९९ मुकद्दमा खारिज हो जाता। तो वास्तविक कठिनाई की तरफ ध्यान देकर चीजें सही तरीके से चलणी चाहिजे। ई सदन में आवे तो जिम्मेदारी रहवे छे तो ऊ जिम्मेदारी ने निभाणी चाहीजे, भावावेश में नहीं बहणी चाहिजे।

राजस्थानी नहीं छी वा होणी चाहिजे। तो राजस्थानी ही नहीं और भी घणी बातां करणे की छे। अठे तो कई पुराणी रूढियां चली आ रही छे। इतरा लम्बा लम्बा घूंघट काडणा, शादी के बखत एक रात तक बैठो रहणो, तो ऐ सबां ने छोडता आरया छो और हमारा मित्र जो छै सवाई माधोपुर वाला उठा का लोगों में तो और भी बहुत सारी रूढ़ियां छै। तो उन सब बातां ने तो छोड़ा छां और उण पुरानी आदतां मां सूं एक मात्र राजस्थानी रह गई छे स्कूलों में रक्खांगा तो हम तो पुरानी बातां ने छोडना छां। पर महज भाषा की तो कदर करां छां पर इण में जो इन्फिल्ट्रेशन टेकटिक्स छे उण तरह का गुणगान सुं बचणो छे। ई राजस्थानी भाषा की कदर करता हुवा भी मैं सदन में और खास कर प्रस्तावक महोदय सूं निवेदन करूंगा कि अब वे पुरानो बातां ने तो छोडें, नया जमाना की मुजब चाले। नयो जमानो तो आज लव मैरीज़ की तरफ अग्रसर हुवो छे, पचास साल को मरद और १८ साल की लड़की को जमानो नहीं छे। ई वास्ते मैं प्रस्ताव महोदय सं अरज करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव ने वापिस ले ले।

श्री घीसीसिंह—सभापति जी, राजस्थानी भाषा कौनसी है। गाम गाममें कई भाषा बोली जा रही हैं। अगर कोई भाषा ही है तो वह ब्रजभाषा हैं। (हंसी) वही रहनी चाहिये। सब जगह ब्रज का नाम है। पृथ्वी के इस सिरे से उस सिरे तक पूछ लो। ब्रज का नाम सब तरफ है। दुनिया भर के तमाम तीर्थ वहां मौजूद हैं। वह तो एक भाषा हो सकती है। अब राजस्थानी भाषा कहां है ? बीकानेर की अलग, जोधपुर की अलग, जयपुर की अलग, भरतपुर की अलग, सवाई माधोपुर की अलग, तो राजस्थानी बनी कहां महाराज यह तो बताओ ? वह कैसे बनी ? पर ब्रजभाषा सब जगह एक सी मिलेगी। कहीं भी कुछ अन्तर नहीं। ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा में एक अक्षर का फरक नहीं आवेगा और हर जगह कृष्ण और गोपी, वह आनन्द के साथ में रास (हंसी) वह एक अच्छी भाषा है। इतना सुन्दर देश और उसकी इतनी सुन्दर सरस भाषा। इसका प्रचार किया जावे। इससे देश का उत्थान किया जावे, इससे संसार का भला है, मोक्ष के प्राप्त करने की बात है। वह रस। राजस्थान की भाषा में कहां मिलेगी बात। यह मेरी समझ में नहीं आई। यहां तो चक चक मिलेगी।

Page No 55

[श्री घोसीसिंह]

मीरांजी ने कहा है उनकी बातें सुन लो। वह भी ब्रज भाषा के नजदीक है।

सन्त हमारे

(अश्रव्य)

अब बताऊं ब्रज भाषा सुनिये

सो सखि...

(अश्रव्य)

कितनी प्रिय भाषा है। कितनी मधुरता, कितना आनन्द! आप सब देखिये।

(हंसी)

कम से कम आपके बल पर ही छोड़िये एक भाषा को।

(हंसी)

और राजस्थानी भाषा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है या कोई भी महत्व नहीं है। तो अगर कोई भाषा है तो ब्रज भाषा है, ब्रज मन्डल है। तो करना चाहते हैं तो ब्रज भाषा के लिये करिये हम सब ब्रज में ही आ जाते हैं। ब्रज के रसिया बहुत बहुत हैं। (हंसी) ब्रज के रसिया सुन लो।

(हंसी)

ब्रज की धारा के सिर अरज ....

(अश्रव्य)

जय हिन्द।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री माधोसिंह भैंसवाडा—माननीय मुखियाजी सा, आज आपांरी बोली रा बारा में दो तीन बातां म्हारे अर्ज करण रो विचार है, म्हारीबोली में। तीन जणां बोल्या है जिणाने आ अर्ज की के आज राजस्थान री जो बोली है, एक बोली, एक भाषा राजस्थान री मन्जूर करणो चाहिए। मुखियाजी सा, म्हाने आ अरज करनी है। एक बात आ है के अटे कई तरह री बोलियां हैं। एक तरह री कोई नहीं है। उदयपुर री बोली है म्हारा अन्नदाता इण तरह सूं बोले हैं। बीजी बोली जोधपुर री है जठा सू.

Page No 56

[श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा]

मैं आया हां। यहां की आ बोली है जो मैं बोल रह्यो हूं। इण तरह सूं तरह तरह री बोलियां बोले है। तो ओ सारो गोलमथाल पूरो है। इण रो गोलमथाल कर आप राजस्थान री एक बोली बणावोगा तो म्हारे मन में आ विचार आवे है इण तरह सूं बोली की ठा पड़े नहीं। आधी आ बोली और आधी दूसरी, आ इण तरह सूं आवड़ती करें तो ठा पड़े को नी।

म्हारा एक साथीड़ा पैलां आपरां दोस्त सहाब ने फरमायो के बृज भाषा तो एक भाषा है उणे काम में लेणो चाहिए। दो तीन छुम छुम रे सिवा म्हने ठा नीं पड़ी वे जाणे कोई गाली दी म्हने, ठा नी पड़ी। मैं सब ने आ अर्ज करदेणो चाहूं आप रेमारफत, सबां ने, हैंग आदमियों ने आ केहणो चाहूं के हिन्दी भाषा जो है वा काम लेवा सूं हैंगा ने हावल ठा पड़े। मैं आपरी मारफत आ अर्ज करणों चाहूं कि सबां ने हिन्दी भाषा माथे जोर लगावणा चाहिजे और हैंग भाषा रो गोलमथोल कर खुली राखवासूं काम चालेगा नहीं। मुखियाजी सा, आप आपरी बोल्यांरी ठा पड़े है। (घंटी) आप आपरी बोल्यांरी ठा पड़ सके हैं।

तीजी बात आ है कि आह आप री रियासतां मां न्यारी न्यारी बोलियां ही। मैं बोलूं हूं आ जालोरी है। म्हारे पेलां जो बोल्या है नाथुरामजी नागोर री बोली बोल्या है। इमें थोड़ो घणो फरक आवे हैं। मारवाड़, मेवाड़ री बोलियां में तरह तरह री बोलियां में फर्क पड़े है।

म्हारी आप सूं अर्ज है, हैंगां सूं आ अर्ज करूं के आपणी हिन्दी बोली तो हैंगा ने हावलठा पड़े है तो या अर्ज म्हारी बोली, भाषा रे मुताल्लिक कीदी है।

श्री भैंरूसिंह—(केलवा) मेवाड़ी में सुणवारी फरमा रिया है तो मैं मेवाड़ी में अर्ज करूं।

भाषा रो कतरो चमत्कार है कि आज हाउस कतरो कनवर्ट व्हे गयो कि सब जणा वणी भाषा में बोलवा लाग गिया, अठे बेठ्या थका सारी राजस्थानी में बोलवा लाग गिया। आपने मालूम वेणो चाहिजे के जो भाषारी सेवा कीधी है वह संत कीधा है। हिन्दी री सेवा सूरदास, तुलसीदास आदि संत कीधी है। वीशी सेवा और कुणनी कीदी है। मेवाड़ में महाराज साहब चतरसिंहजी हुआ है। वांने निर्णय कीधो है के हर मनख आपणी भाषा में भली तरह सूं समझ सके है। वां पेलां पोथी बणाई और वानें आ कोशिश की कि बालक आपां री भाषा बोल सके है। मां बाप रे साथ रेवां सूं ठाक तरह सूं समझ सके वां बणाई बारहखड़ी बनाई 'कक्को केवलियो खख्खो खाजुल्यो, गग्गा गोरी गाय, अणी तरह सूं वां सोचीयो के बार बार एक आखर ने बोलवा सूं लड़का आसानी सूं समझ सके। एक आखर किती दफा बोलवा सूं याद रे जावे है। कक्को रे केवल्यो, खखो खाजुल्यो, गग गा गोरी गाय, घघो घट्टल्यो, चचा चड़ा की चांच, इण में एक आखर चार चार बार आवे है, तो एक तरह सूं आसानी सूं याद रेवे है। आ कितरी साइन्टिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूं बनायो है।

[श्री भैंरोसिंह केलवा]

कोई केवे है के मेवाड़ी भाषा नहीं है, पर मैं आपने अर्ज करूं कि मेवाड़ी गीतां में जो आकर्षण है वो 'लारी लप्पा' के गानों में नहीं है। मेवाड़ी में जो घूमर है वींको आनन्द और है। मेवाड़ी भाषा में वां ने (श्री चतर सिंह) ने जतरी कोशिश की वतरी राजस्थान में कोई कोशिश नहीं की।

एक साहब आे फरमायो के मैं मेवाड़ को बोली समझ नहीं सकूं तो वांरा छोरां ने मेवाड में नहीं परणायो। असी संकुचित दृष्टि नहीं होनी चाहिजे आ बोली आसानी सूं समझ सके है। आपांरी बात मजबूत बणावांरे वास्ते संकुचित भाव नहीं वेणा चाहिजे। बालक पर मारा दूध रो असर पड़े है। अभिमन्यु मां रे पेट में व्यूह भेदन करनो सीख्यो। भाषा रो असर पड़े है। मां बापरी बोली रो घर पर असर पड़े है। यूं तो भाषा मां के स्थान से बचा सीखे है तो थोड़ी २ दूरी सूं मामूली फरक बोली रो व्हे सके, मैं नहीं मानूं के समझ में नी आवे है। यो आरग्यूमेंट इस्यो है कि आपणो नुक्सान हो जावे तो हो जावे पण दूसरा को नुक्सान करणो है। या नीति है तो खोटी।

मेवाड़ी भाषा में महाराज चतरसिंह जी ने सब विषयां पर १०-१२ किताबां लिखी हैं। वे गीता लिखी है मेवाड़ी में, वा सब की समझ में आवे है। कृष्ण भगवान की लीला जस्यो क्लिस्ट विषय सरल सीधी और आसान चीज़ बना दी है और लोग वींने समझ सके है। आ निर्विवाद बात है कि हरेक आदमी आपणी भाषा में आसानी सूं समझ सके है। दूसरी भाषा में नहीं समझते हैं, थोड़ा बहुत फर्क चाले है। वो फर्क हो सके है।

म्हारो तो मन चाले, मेवाड़ी हुएया करूं और जद मेवाड़ रा लोगां सूं मिलूं, राजस्थान रा लोगां सूं मिलूं तो बड़ो आनन्द आवे है। मूं बनारस पढ़ये। तो थो, बठे म्हेर राजस्थानी मिलता और राजस्थानी बोलीं बोलता, राजस्थानी डायलोग होता तो वीं में बडो आनन्द आतो। या स्वभाविक बात है कि आप आप री भाषा में बहुत आनन्द आवे है। म्हारी संस्कृति, म्हारा संगीत और इतिहास म्हारी भाषा में है, भाषा में जो लाइफ है वीणी भाषा में आनन्द आवे है। रेड़ियो में गौरबन्द गावे तो कांई मन राजी होवे वो "लारी लप्पा" हुणी ने मन राजी नि होवे। कई नाम के वेदां री भाषा जो है, वा भाषा संस्कृत है। वीनों आरग्यूमेंट दे है या बात अलग है। मैं निवेदन करूं हूं के जो प्रस्ताव श्री शम्भूसिंह जी कीदो है वो सही है। राजस्थानी भाषा ने प्रोत्साहन मिलनो चाहिए।...

(श्री मुक्तिलाल मोदी के बोलने को प्रस्तुत होने पर)

श्री सभापति—श्री मुक्तिलाल जी, इस सदन के दो माननीय सदस्य जयपुरी भाषा में रसास्वादन करा चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव आया है सदन के सामने, उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। हर प्रान्त का आदमी इस देश का यह चाहता है कि सरकार की तरफ से...

(जयपुरी भाषा में बोलने के लिए कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आग्रह, शोरगुल एवं घंटी)

श्री सभापति—Order please !

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो प्रान्त का रहने वाला आदमी यह चाहता है कि हमारे देश की जो भाषा हो वह हमारी संस्कृति और विचारों के अनुकूल हो और यही नहीं उसका दूसरे देशों में भी प्रचार हो। माननीय चेयरमेन, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन तो करता हूं और उसके बाद सरकार को यह चाहिए कि आज से बहुत से वर्षों के पहले जिन राजाओं ने और जिन पंडित लोगों ने पुराने ग्रन्थ बना कर अपने देश को उन्नत किया है, राजस्थान को भी उन ग्रंथों को निकलवाना चाहिए। एक यहां शताब्दी मनाई गई थीं जिसके अपने यहां स्पीकार साहब प्रेसिडेन्ट थे। उन्होंने भी वहां बताया था कि राजस्थान में कई तरह के ग्रन्थ हैं और कई भाषाओं के हैं। राजस्थान में इस तरह के ग्रन्थ होने और उनके जानकारी होने के बावजूद भी उनका कोई संग्रह नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पुराने ग्रन्थ जो अलग २ भाषाओं के हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया उनका संग्रह किया जाय और उनको प्रसारित किया जाय। माननीय चेयरमेन, मैं बताऊंगा आपके जरिये कि फोरिन कंट्रीज में जहां जहां भी हम लोग गये तो वहां हमने देखा कि वहां बंगला भाषा का प्रचार है, वहां गुजराती भाषा का प्रचार है, वहां मराठी भाषा का प्रचार है लेकिन राजस्थानी भाषा का प्रचार नहीं है। हो भी किसी तरह से ? जैसा कि बंगाल वालों ने, मराठी वालों ने, गुजरातीवालों ने जिस तरह से प्रचार करके अपनी भाषा को फोरिन कन्ट्रीज में रखा, वे भाषायें सिखाते हैं, किताबें लिखते हैं, उसी तरह से बोलते हैं, जैसे गुजराती, मराठी बंगला बोलते हैं, उसी प्रकार से राजस्थानी के लिए भी प्रयत्न होता तो मैं मानता हूँ कि दूसरी कन्ट्रीज में भी राजस्थान भाषा का ज्यादा प्रचार और प्रसार हो सकता था बनिस्पत दूसरी भाषाओं के।

इसलिए माननीय चेयरमेन, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कमेटी बिठा कर राजस्थानी भाषा के प्रचार के लिए कोई ऐसी चीज़ बनावे और पुराने ग्रन्थ हैं उनका संग्रह करके देश की उन्नति में अधिक सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसी मेरी धारणा है और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें सहयोग देंगे और इसको पास करावेंगे।

श्री ईश्वरीसिंह—चेयरमेन महोदय, प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए खड़ा होयो हूँ। अलग अलग भाषा जकी है ऊंको तो मतलब यही होगो कि न्यारा न्यारा जासी। भरतपुर में बोली जावे ऊं में कहे..."का करन भइयन", जयपुर में... कांई कहे छे, शेखावाटी में...'थे भाई कठे का है। मारवाड़ी बोली मीठी है। मारवाडो में सवाल जको कह्यो जाय "आप कठे जा रह्या हो," "सा फलाने गांव जाऊं हूँ," ठीक ठाक सारी बातां बताओ।

रामायण आज की भाषा है वसी ही छपी। मुसलमान आया उर्दू आयी, अंग्रेज आया अंग्रेजी आयी। कम से कम चावे कि जकी राजस्थान की मातृभाषा है वी ने राखवा की है। राजस्थान जका प्रजातन्त्र है, पचास साल पेल्यां तो लाबां की जरूरत नी है लेकिन जको चीज व्हींने राखनी चावे। मेवाड में या चीज़ है, "समझा क नहीं, समझां हां।" एक बात और कहूं कि जयपुर-जोधपर का राजा बैठा थका है....दो आदमी भेजा परीक्षा करवा ने........

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—जरा माइक से मुंह को दूर रख कर बोलिये।

श्री ईश्वरीसिंह—वा मौज सा बोल्या। जयपुर मां....(अश्रव्य)....

कुण छै? । थारो कसम छै । जवाब मिल्या....मारो का, थारो मां को खसम छै, थारी भैण को खसम छै।

(घंटी)

श्री सभापति—ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो उचित नहीं हैं।

श्री ईश्वरीसिंह—मैं ई प्रस्ताव को समर्थन करूं हूं।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—चेयरमेन महोदय, राजस्थानी भाषा पर विचार किया जा रहा है। मैं जयपुर शहर का रहने वाला हूं। जयपुर की भाषा में कहूंगा। जयपुर शहर की बोली छै जो बहुत मीठो छै और जो कोई महमान आवे तो कह्यो जाय कि आया भायाजी, बैठो। अगर वो तावड़ा में डोलतो डोलतो आवे और उने कां कि भायाजी आया, और प्रेम सूं पधारो तो ऊं दोनों में बड़ो प्रेम हो जाय छै। वी ने असो मालूम व्हे कि ज्यों शरबत पिलाओ। जयपुर की बोली बड़ी महत्वपूर्ण छै और शब्दां में असो मिठास छै कि बात हृदय क मायने बैठ जावे छै। मैं आपने कांई बताऊं? थे मेला में गया ही होला। एक गीत छै जो सुणाऊं छूं। "तांबडो मंदरो पड जारे, गौरी को नाजुक जीव, बदली गहरी घुट जारे।" कितनी महत्वपूर्ण बात बतायी गई छै।

श्री गोपीलाल यादव—अश्रव्य।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—इसका अर्थ इतना महत्वपूर्ण है कि माननीय सदस्य इसको फिर से सुनना चाहते हैं :

चेयरमेन महोदय, मैं फिर से सुना दूं : "तावड़ा मुदरोसो पड़ जारे" वह कहती है कि तावड़ा याने धूप तुम इतनी तेजी से मत पड़ो, तुम्हारी तेजी से हमको काफी परेशानी होती है, इसलिए तुम धीरे पड़ो और कम हो जावो। तो कहने का मतलब यह है कि जयपुर शहर की जो भाषा है उसमें और भी काफी मिठास है। उसमें कई बार एक शब्द के कई प्रकार के गहरे अर्थ हो जाते हैं।...

श्री गोपीलाल यादव—यह जयपुर की बोली का सवाल नहीं है। यह तो राजस्थानी भाषा का सवाल है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है और राजधानी होने के नाते जयपुर की बोली का राजस्थानी में काफी महत्व है। इसके अन्दर आपने अक्सर देखा होगा कि गणगोर, तीज आदि के मेले के समय लोगों को गाते हुए सुना होगा कि, "ईशर ले चाल्यो गणगौर"।

श्री सभापति (श्री नवानसिंह)—यह मालूम नहीं हो रहा है कि आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थानी भाषा में जयपुर की भाषा का काफी महत्व है और वह काफी मीठी है इसलिये इस पर भी विचार करें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर कुछ मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि राजस्थानी भाषा को स्कूलों और पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय और जो लोकल डाइलेक्ट्स और बोलियां हैं उनको भी स्थान दिया जाय। इस बारे में मुझे एक बात जो जाहिर करनी है वह यह है कि समस्त राजस्थान में समान रूप से बोली जाने वाली कोई राजस्थानी भाषा नहीं है क्योंकि जिलेवार ही नहीं बल्कि सब डिविजनवार लोकल डाइलेक्ट्स में कुछ परिवर्तन आता है। जैसलमेर में बोली जाने वाली भाषा बीकानेर की भाषा से भिन्न है। उसी तरह जोधपुर की मारवाड़ी भाषा उदयपुर की मेवाड़ी भाषा से काफी भिन्न है और जयपुर शहर की भाषा और है और ढूंढ़ोती की भाषा और है। उसी प्रकार मेवात, अलवर इलाके की भाषा सबसे भिन्न है और भरतपुर इलाके की खडारी भाषा बाकी से भिन्न है। समान-रूप से समझी जाने वाली और बोली जाने वाली एक राजस्थानी भाषा नहीं है।

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

इसके अलावा प्रश्न यह है कि जब स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्थान देंगे तो उस समय काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि प्रस्ताव का आशय यह है कि इस भाषा को मीडियम ओफ इन्स्ट्रक्शन बनाया जाय तो मेरी राय भिन्न है। इसका कारण यह है कि इस भाषा का कोई अलग व्याकरण नहीं है, न इसका कोई शब्द कोष या डिक्शनरी ही है। शब्द चयन में विज्ञान या और भी बहुत से विषय हैं, जिनके लिए उपयुक्त टर्मिनोलोजी या शब्द विन्यास नहीं है। मीडियम ओफ इन्स्ट्रक्शन के स्थान पर राजधानी भाषा को एडोप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बात सत्य है कि जो लोकल डाइलेक्ट्स होते हैं उनमें लोकल जनता के सैकड़ों पीढ़ियों के उद्गार होते हैं और अलग अलग तरह के लोक गीत बहुत प्रचुर मात्रा में, उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध हो सकता है। यह कोई अलग साहित्य नहीं है और इसका भाषा में भी स्थान नहीं रहता है लेकिन क्योंकि उसमें लोगों की भावनाओं के उद्गार होते हैं, लोगों के सेन्टिमेंट्स हैं, उनको गीतों में सम्मिलित किया जाता है इसलिए उनकी तरक्की के लिए जरूर शिक्षा विभाग और सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिये। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। सोवियट रूस इतना बड़ा देश है जहां पर छोटे छोटे फिरके हैं, मसलन कुर्गिस्तान जहां की जन संख्या केवल ११ हजार है। लेकिन उनका अपनी भाषा में अलग विधान है। सिर्फ ११ हजार लोगों के लिए अलग विश्वविद्यालय है और वहां पर रिपब्लिकन प्रणाली से शासन चलता है। इसी प्रकार अजरबेजान भी एक रिपब्लिक है और वहां पर अजरबेजेनियन भाषा स्टेट के काम में भी लाई जाती है और उनका विधान भी अलग है और उसी भाषा में है। दो दो या चार चार लाख की आबादी वाले छोटे फिर्कों के लिए भी इतना किया गया है कि उनके लिए अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च करने के लिए भी व्यवस्था की गई है. लोकल डाइलेक्ट्स को ठीक ढंग से संकलन करने की व्यवस्था है। हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे और रोमान्स से भरे हुए लोक गीत आदि हैं। उदाहरण के तौर पर घोरबंद, पणियारी, मुमल आदि उच्च कोटि के गाने हैं। किसी भी भाषा के सुन्दरतम लोक गीतों से उनका मुकाबला किया जा सकता है। ऐसी सूरत में हम हमारे प्रान्त के लोकल डाइलेक्ट्स हैं, उनको शिक्षा के माध्यम के तौर पर नहीं बल्कि सेकिन्ड लेन्गवेज के तौर पर, यदि पठन पाठन की सुविधा दें और उसके लिए कोई व्यवस्था करें तो लाखों गीतों का संकलन करने की व्यवस्था की जा सकती है और लोक गीतों की व्यवस्था के लिए अलग धनराशि रख दी जाय। स्कूल के पाठ्यक्रम में लोकल डाइलेक्ट्स को ऐच्छिक विषय के तौर पर भी रख दिया जाय तो काफी प्रोत्साहन मिलेगा और जो ओरल लिट्रेचर राजस्थानी भाषा का है वह संकलन रूप में आ जायगा और आने वालों को लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध होगा और जन जीवन की सच्ची झांकी जो लोक गीतों से मिल सकती है वह कायम रहेगी। यह एक राष्ट्रीय निधि है और इसके लिये सरकार जो भी कदम उठा सकती है, उठाना चाहिये। तो मैं इसका इस रूप में समर्थन तो नहीं करता कि राजस्थानी मीडियम ऑफ इन्सट्रक्शन हो क्योंकि न तो इसका कोई ग्रामर है, न यह इतना उन्नत है, न सारे प्रान्त की राजस्थानी भाषा है लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट-वाइज़ एडजस्टमेंट करना चाहिये और ऐच्छिक विषय के तौर पर स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसको स्थान

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

देना चाहिये और इसके रिसर्च के लिये भी व्यवस्था करनी चाहिये और जो लोग लोक गीतों का संकलन करना चाहते हों। उनको सुविधा देनी चाहिये और उनके लिये व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार चाहे तो ५ आदमियों की समिति के लिये, जैसा सुझाव था, उसको माने और नहीं तो शिक्षा विभाग के जरिये भी यह काम कराया जा सकता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन महोदय, जो प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्य ने रखा है उसके पक्ष और विपक्ष में विचार रखे जा रहे हैं। मैं वैसे राजस्थान की विभिन्न भाषाओं को देखते हुये बताना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव किस तरह से व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं हो सकता।

माननीय सदस्य आ चावे है कि मैं जीं ठौड को रेबावालो हूं वीं हाडोती भाषा में बोलूं। मैं आ बताबो चावूं हूँ के राजस्थान की आ बडी पंचायत ईं बारा में निर्णय करणों चा रही है और एक प्रस्ताव मेवाड सूं आया विया माननीय सदस्य रखियो है के राजस्थानी भाषा स्कूलां का छोटा बच्चां के वास्ते अनिवार्य कर दी जावे। न्यारी न्यारी ठौर की न्यारी न्यारी भाषा होवे है, हाडोती को रेबा वालो हाडोती में बोले। अब मैं आ उम्मीद करूं के बीकानेर को रेबा वालो म्हारी बोली ने ज्यूं की त्यूं समझे तो या ठीक नहीं। स्कूलां का छोटा छोटा बच्चां के वास्ते राजस्थानी भाषा भी रख दी जावे तो कोमल बुद्धि वालां के वास्ते बजन पड़ेगो। आज राष्ट्र भाषा हिन्दी मान ली है तो ६ साल को लड़को मदरसा में जावेगा और ईं के वास्ते चावां के हिन्दी में भी पढ़ावां और बठे को रवा हालो है बठे की भाषा में भी पढ़ावां, तो कोमल बुद्धि पर दो भाषा को वजन पड़ेगो और या सम्भव भी नहीं हो सके।

मैं माननीय सदस्यां का ध्यान में आ बात पटकबो चावूं के आज राजस्थान में न्यारी न्यारी भाषा बोली जावे तो न्यारी न्यारी भाषा का शिक्षा विभाग खोलणां पड़ेला और सरकार पर पूरो-पूरो खर्चा पड़ेगा। मैं आ बात मानूं हूं के राजस्थान की संस्कृति रखणाबो के वास्ते लोक गीत रचिया, वे अलग अलग जगह का अलग अलग है। या जरूरी नहीं कि मदरसां में छोटे बच्चां के वास्ते पढ़ाई भी ईं में होवे। राजस्थान में हिन्दी भाषा चल रही है तो सभी ठौर को एकीकरण रखणाबे के वास्ते या ज्यादा व्यवहारिक है। अगर आप या चावो के एक सी भाषा राखी जावे तो एक भाषा सब जगह उपयोग में नहीं आ सके।

यो तो मैं नमूनो बतायो, अब मैं आपसे इजाजत लेकर हिन्दी बोलना चाहता हूं कि इसमें व्यवहारिक क्या कठिनाई आने वाली है?

इसमें जो सबसे बड़ी जटिलता आने वाली है, सबसे बड़ी कठिनाई आने वाली है और जिसका मैं जबरदस्त विरोध करूंगा वह यह है कि राजस्थान में जितनी रियासतें मिली हैं वहां वहां की भाषाओं

[श्री कंवरलाल जेलिया]

को रखने की मांग की जाय और उन सबके लिए अलग अलग खर्च करने की मांग की जाय तो मैं समझता हूं कि आप राजस्थान के भाग्य विधाता हैं, खर्च कर सकते हैं पर क्या आप उन छोटे छोटे बच्चों से उम्मीद रख सकते हैं कि वे इस प्रकार दो भाषाओं का दोहरा बोझ सहन कर सकेंगे, उन्हें हिन्दी भाषा और अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा पढ़ाना जरूरी रखेंगे तो यह उन बच्चों की अल्पायु देखते हुए उन पर बहुत वजन पड़ेगा, जिसको वे सहन नहीं कर सकते।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर प्रस्तावकर्त्ता माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को लाने से पहले राजस्थान की किसी एक ही भाषा को रखते कि अमुक भाषा को राजस्थानी भाषा कहा जा सकता है तो मैं उनके विचारों से सहमत हो सकता था, पर राजस्थानी का अलग अलग साहित्य है, लोक गीत अलग अलग जगह बोली जाने वाली राजस्थानी में है। अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। मेवाड़ से आने वाले माननीय सदस्य मेवाड़ी भाषा में बोले, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य सीकर की भाषा में बोले, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ढूंढाडी भाषा में बोले और मैंने अपने विचार हाड़ौती में व्यक्त किये। हाड़ौती भाषा में बोलते हुए भी इसकी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उन पर ध्यान दिलाऊं कि छोटी एज के विद्यार्थियों की बुद्धि पर वजन पड़ेगा और यह उनके साथ ज़्यादती होगी और यह उचित भी नहीं होगा। आज जिस हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, विधानसभा के सदस्य हिन्दी भाषा में बोलना चाहते हैं पर बीच बीच में अंग्रेजी शब्द बोलते हैं और कई सदस्य ऐसे हैं कि हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में बोलना पसन्द करते हैं क्योंकि वे हिन्दी में धारा प्रवाही ढंग से बोल नहीं सकते तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि एक विद्यार्थी अलग अलग भाषा पढ़े। आप आशा करें कि सारे राजस्थान के लिए समान रूप से लागू हो। जब आज हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा है और अलग अलग विशेषज्ञों को नियुक्त कर भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा इन भाषाओं के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, जहां तक भाषा का सवाल आता है मुझसे कहा जाय कि हाडौती भाषा को पढ़ो, यह तो मेरी मातृ भाषा है। अगर हम यह उम्मीद करें कि अलग अलग जगह अलग अलग तौर से पढ़ाया जाय तो इससे दोहरा वजन पड़ेगा।

मुझे अफसोस है कि मैं, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, यह उनको बुरा मालूम होगा पर मैं उनसे सहमत नहीं। राजस्थान की हालत को देखते हुए वह उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लें, नहीं तो एक ही प्रान्त में अलग अलग टसल हो जायगी। आज आप राजस्थानी की पढ़ाई अगर स्कूलों में अनिवार्य रखते हैं तो कल सवाल आयेगा कि हमारी भाषा का बहुमत है, अमुक पाठ्य पुस्तक में अमुक जगह की भाषा में लोक गीत हैं। हमारे लोक गीतों को हमारे यहां बोली जाने वाली भाषा को प्राथमिकता दी जाय। इस तरह आपसी संघर्ष और क्षेत्रीय

[श्री कंवरलाल जेलिया]

भावना को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह बजाय एकता कायम होने के हमारी एकता छिन्न भिन्न हो जायगी। यह मनुष्य स्वभाव है।

अगर हम सचमुच एकता लाना चाहते हैं तो जैसी हमारी परम्परा चली आ रही है हमें उसी पर चलना चाहिये और इसमें शक नहीं कि हर एक अच्छाई लेने के लिए, भलाई लेने के लिए जरूर ऐसा प्रस्ताव रखें। परन्तु मैं स्वतः यह अनुभव करता हूं कि बीकानेर और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों से यह उम्मीद करूं कि हाड़ौती भाषा में समझें तो यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस पहलू पर विचार करके इस पर निर्णय करें और मैं माननीय सदस्य से जिन्होंने कि यह प्रस्ताव रखा है उनसे यह आशा करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

श्री **जगतसिंह झाला**—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान एक देश है तो एक ही भाषा होनी चाहिये, अलग अलग भाषाओं की संकुचित भावनाओं में फंसकर अगर काम करेंगे तो देश कमजोर हो जावेगा। दूसरे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आवश्यक हो जाता है कि एक देश की एक ही भाषा हो, एक ही भाषा को उचित निगाह से देखा जाना चाहिये। हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है तो अब फिर इस प्रकार अलग अलग प्रांतीय भाषाओं के लिये सवाल उठाना देश की एकता के लिये घातक होगा, इस तरह की प्रांतीयता की भावनाओं के बढ़ने से देश कमजोर होता है। प्रांतीय भाषाओं के आधार पर बंबई, बिहार और बंगाल में जो घटनायें हुई हैं वे देश की एकता और सुदृढता के लिये उचित नहीं हुई हैं। इसलिये हमें एक ही भाषा को, हिन्दी भाषा है उस ही को सबल बनाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। प्रांतीय भाषाओं के साथ ही राजस्थानी को राजाओं ने भी कभी इस तरह की संकुचित दृष्टि से नहीं देखा है। डायलेक्ट्स अलग अलग हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती आदि भाषायें हैं, २२ रियासतें हैं सब के अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। राजस्थान सरकार का फर्ज हो जाता है कि इन पुराने डाइलेक्ट्स के ग्रन्थ बने हुए हैं उनको सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्न जरूर करना चाहिये, उनको नष्ट नहीं होने देना चाहिये, परन्तु जहां तक स्कूलों में पढ़ाने का सवाल है इस राजस्थानी को अलग भाषा मान कर लड़कों के ऊपर लादा जाना मैं आवश्यक नहीं समझता। मै यह चाहता हूं कि राजस्थान की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी ही है वही बच्चों को पढ़ानी चाहिये।

इससे ही देश का और हिन्दी का भला हो सकता है। हमको इस प्रकार के प्रस्ताव लाकर संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिये, संकुचित दृष्टिकोण से हम देश को कमजोर करेंगे। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें जिस माननीय सदस्य ने, जो जोधपुर से आये हैं, इस प्रस्ताव का समर्थन किया है उनकी विचारधारा से हम परिचित हैं।

[श्री जगतसिंह झाला]

वे देश को सबल बनाना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि देश में अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग भाषायें बोली जावें और अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें छोटी मोटी लेकर लड़ते रहें और इससे देश की एकता को खतरा पहुंचे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा अच्छा यह होगा कि इस प्रश्न को अभी उलझाकर देश का अहित न करें। हमें अपने देश को सबल बनाना है। इसलिए हमारी जो हिन्दी भाषा है उस पर ही जोर देकर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें और जो राजाओं के जमाने के प्राचीन ग्रन्थ बने हुये हैं उनको हिफाजत से रखें और उनको छपवाएं और जो पुराने राजाओं ने सेवा की है उनके जमाने के डिंगल में बने हुए जो प्राचीन अमूल्य ग्रन्थ हैं उनको नष्ट नहीं किया जाय, उनको अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जावे। बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव श्री शम्भुसिंह जी ने रखा है उसकी आवश्यकता के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरी समझ में नहीं आया और मैं नहीं समझ सका कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता हुई जिसके कारण हम इसकी व्यवहारिकता के बारे में विचार करें? स्थिति यह है कि राजस्थान जिस रूप में आज है वह सैंकड़ों वर्षों से अलग अलग रियासतों के रूप में चला आ रहा था। हमने पिछले ७ या ८ वर्षों में इसका एकीकरण किया है और आज हमारे सामने यह एक प्रांत के रूप में है। आज जो राजस्थान बना है इसके अन्दर जो रियासतें मिली हैं, उनकी जो सीमाएं हैं वे इतनी लम्बी चौड़ी हैं कि वे एक दूसरे प्रांत के कोने कोने से मिली हुई हैं और सीमा पर मिले हुए प्रांत एक दूसरे की भाषाओं से प्रभावित हैं। जिसको हम आज राजस्थानी भाषा कहते हैं उसे आज से कुछ दिन पहले मारवाड़ी कहा जाता था और जहां तक इसके साहित्य का प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि आप किसी एक भाषा के प्राचीन साहित्य को ले लें तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन रूप में यह डिंगल साहित्य के रूप में आपको मिलती है। इसका काफी अच्छा साहित्य है। मगर इसको पाठशालाओं में इनसर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। पाठशालाओं में इसको इनसर्ट करने का मतलब यह होता है कि बच्चे इसको सहज रूप में माध्यम के रूप में समझ सकें। मगर इससे स्थिति बिलकुल विपरीत होती है क्योंकि राजस्थानी राष्ट्रभाषा तो नहीं है और सब जगह; जैसे जयपुर, सवाई माधोपुर, हिन्डौन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में अलग अलग भाषाएं हैं और मेवाड़ में मेवाड़ी और मारवाड़ में मारवाड़ी जानते हैं। इसलिए सबसे बड़ी कठिनाई जो इस प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने होगी वह यह होगी कि कुछ लोगों को नई प्रकार की भाषा को सीखनी होगी। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा के रहने वालों के लिये कह सकते हैं कि उनके लिये हिन्दी और गुजराती सीखना मारवाड़ी से ज्यादा सरल है, मारवाड़ी जिसे हम राजस्थानी कहते हैं उनके लिये बहुत मुश्किल है। ऐसी हालत में अगर इसको स्वीकार करते हैं तो भी इसको कार्य रूप में परिणित करने में बड़ी कठिनाई होगी और मैं तो यह कहूंगा कि आज हम राजस्थान के एकीकरण की ओर नहीं बढ़ कर राजस्थान के विकेन्द्रीकरण की तरफ चले जावेंगे। इसके बारे में कुछ लोग कुछ बातें कहते हैं और

[श्री हरिदेव जोशी]

कुछ लोग दूसरे प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज जिसको हम राजस्थानी कहते हैं उसको लागू करके हम बच्चों को प्राथमिक और ऊंची शिक्षा दे सकेंगे। ऐसी बात नहीं होगी, ऊंची शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन। मैं तो यह कहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा भी असंभव मालूम होती है।

दूसरी बात यह है कि राजस्थानी का राजस्थानी भाषा के रूप में विकास नहीं हो पाया है, यह माना हुआ तथ्य है। विधान में राजस्थानी भाषा को अलग भाषा के रूप में नहीं माना है। हमें इसको ऑल इन्डिया भाषा के रूप में नही बल्कि बोलचाल की भाषा के रूप में लेकर इसका विकास करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि जिस भाषा का अपने प्रान्त में महत्व नहीं है, जिसकी कला में इतना महत्व नहीं है, जो पूरे रहने वालों पर अपना आधिपत्य कायम रख सकें तो वह पूरे के पूरे हिन्दुस्तान के रहने वालों की भाषा कैसे बन सकती है ? यह विचारने की बात है।

ऐसी सूरत में मेरा यह निवेदन है कि यह प्रस्ताव अपने आप में अव्यवहारिक है और मैं समझता हूँ कि इसको यहां पर लाने में देश का क्या हित हो सकता है ? अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कितनी कठिनाइयें आवेंगी ! सबसे पहले टेस्ट बुक छपवानी पड़ेंगी और वे सब लोगों के लिये उपयोगी होगी या नहीं यह शक की चीज है। इसलिये यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो मैं यह कहूँगा कि राजस्थान के आप टुकड़े टुकड़े करेंगे, राजस्थान का आज का जो मौजूदा खंड है उसमें आप आपस में द्वेष पैदा करेंगे। राजस्थान के विद्यार्थियो की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे और राजस्थान का विद्यार्थी इसको कभी पसन्द नहीं करेगा। इसलिये अगर हम यह समझते हैं कि राजस्थान को हमें एक रखना है तो इस प्रकार का द्वेष पैदा नहीं होने दें। यदि हम राजस्थान को एक अच्छे और विकसित प्रान्त के रूप में देखना चाहते हैं, यदि हम इसको सबसे अच्छे प्रान्तों में रखना चाहते हैं तो यह व्यवहारिक है कि राष्ट्र भाषा ही यहां हो, जिसमें सब प्रकार की चीजें उपलब्ध हो सकेंगी।

आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कई डाइलेक्ट्स हैं। मथुरा में, ब्रजभाषा है, मगर वहां के बच्चों को हिन्दी की ही शिक्षा दी जाती है। इसी तरह से दूसरे प्रान्तों में भी हिन्दी की ही शिक्षा दी जाती है। यदि हम राष्ट्रभाषा के एवज में राजस्थानी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे तो मैं कहूँगा कि यह एक उलटा कदम रखने की कार्यवाही होगी। इसलिये मैं यह कहूँगा कि राजस्थानी का जहां तक प्रश्न है, बच्चों ने कभी अपने घरों में उसके सम्बन्ध में अपने बाप और दादों से उसे नही सुना और जिसको उनकी पीढ़ियां नहीं समझ पाती हैं, उनको वे कैसे समझ पाएंगे ? यदि उनके लिये हम इस प्रकार की बातें करें तो मैं यह कहूँगा कि उनको सुविधा देना नहीं होगा उल्टी उनको इससे असुविधा देना होगा, उनके भविष्य को खराब करना होगा। यह

(श्री हरिदेव जोशी)

उनको ऊंचे उठाने की भावना नहीं है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि यह चीज एक दम अव्यवहारिक है। मैं यह कहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के सारे हिस्सों को नहीं देखा है, उनको सारे राजस्थान के हिस्सों को देखना चाहिये। जब वे इसको देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं? इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक बार फिर उनसे यह कहूँगा कि वे राजस्थान को देखें। राजस्थान कोई एक छोटा सा रेगिस्तान नहीं है। इसमें कई रियासतें हैं, जहां तरह तरह की भाषा; जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी आदि बोली जाती है, इसलिये जब तक एक भाषा का विकास नहीं होता तब तक यह प्रश्न खड़ा होता है कि राजस्थानी किस भाषा को कहते हैं?

एक तो प्रश्न हमारे सामने यह है कि हम राजस्थानी भाषा मानें किसको? क्या शेखावाटी के अन्दर जो बोली जाती है उसे राजस्थानी मानें या जो तोरावाटी के अन्दर बोली जाती है उसे मानें या बीकानेर के कुछ हिस्सों में जो भाषा बोली जाती है उसे राजस्थानी मानें या जोधपुर के हिस्से के अन्दर जो भाषा बोली जाती है उसे राजस्थानी कहें। अभी तक तो हमारे सामने राजस्थानी का स्वरूप ही ठीक प्रकार से नहीं है। ऐसी स्थिति के अन्दर इस प्रस्ताव को स्वीकार करना एक गलत चीज होगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कुछ वर्षों से मैं यहां पर रह रहा हूं, मगर हमारे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जो हैं, जो हमेशा वहीं की भाषा में बोलते हैं, वे जब बोलते हैं तो मैं अपने आपको सदन में अनुपस्थित हूं, ऐसा समझता हूं। मैं उनके भाषण को आज तक समझ नहीं सका हूं। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो वहीं हालत होने वाली है। ऐसी स्थिति के अन्दर यह जो प्रस्ताय है उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ थोड़ा सा इस बारे में अर्ज कर दूं। हाड़ोती में नहीं बोलूंगा हिन्दी में ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो इस प्रस्ताव के पक्ष और न विपक्ष में ही बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ सुझाव मुख्य मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूँ। अगर उनको वे ठीक मालूम हो तो उसे स्वीकार करें। प्रस्ताव यह था कि स्कूलस के अन्दर राजस्थानी इन्ट्रोड्यूस की जावे ताकि बच्चों को उसमें ज्ञान मिले और राजस्थानी को प्रोत्साहन मिले। यह एक विचित्र सी बात नजर आती है कि स्कूलों के अन्दर अलग अलग तरह की बोलियों को चालू किया जाय। आज राजस्थानी को इन्ट्रोड्यूस करना समय के अनुकूल नहीं होगा। रहा सवाल राजस्थानी को प्रोत्साहन देने का, यह ठीक है। राजस्थानी को वास्तव में प्रोत्साहन मिलना चाहिये और जहां तक मुझे पता है, किसी हद तक प्रोत्साहन मिल भी रहा है, जो हमारे यहां के लोकगीत, फोक डान्सेज़ वगैरह हैं उनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है।

[राज श्री हिम्मतसिंह]

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सरविसेज के अन्दर राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं खुद जब अजमेर मेरवाडा की एडमिनिस्ट्रेटिव सरविसेज़ परीक्षा में बैठा था उस समय उसके कोर्स में यह था कि वहां की लोकल लेंग्वेज का वाकिफ होना चाहिये। उस समय भी हमें लोकल डाइलेक्ट्स का इम्तहान पास करना पड़ा था। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हमारे यहां के जो भी राजस्थानी अफसर हों उनको यहां की लोकल डाइलेक्ट्स का ज्ञान होना जरूरी है। इस पर माननीय मुख्य मंत्री विचार करें और यदि उनको उचित लगे तो इस प्रकार का प्रोवीजन राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सरविसेज के कोर्स के अन्दर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि स्कूलों के अन्दर राजस्थानी को इन्ट्रोड्यूस करें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर इस सदन में काफी चर्चा हुई। प्रस्ताव इस बात का है कि राजस्थानी भाषा और तत्सम्बन्धी बोलियों : डाइलेक्ट्स की शिक्षा देने व एतदर्थ नियम बनाने हेतु सदन के पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई जावे।

राजस्थानी भाषा का विकास हो, उसका जो पुराना साहित्य है उसको संकलित किया जाय, उसका अध्ययन किया जाय। इस बारे में तो किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटी के अन्दर इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि जो राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ना चाहें उनको इस बात का मौका दिया गया है कि वे इसका अध्ययन करें। लेकिन कौनसी कक्षा से हम इसके साहित्य को या इस बोली को कहिये या डाइलेक्ट्स कहिये, पढ़ायें। क्लासेज़ के अन्दर यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं निवेदन करूं, कुछ दिनों पहले ऑल इन्डिया एज्युकेशनल कान्फ्रेन्स हुई थी, उस कान्फ्रेन्स के अन्दर इस बात की चर्चा हुई थी कि सेकेन्डरी स्टेज पर तीन भाषाओं के अन्दर अध्ययन करने की सुविधा होनी चाहिये। अब अगर देश की तीन भाषाओं के अन्दर अध्ययन करने की बात तय हो जाती है, जैसा कि उस समय भी बहुत से व्यक्तियों ने इस बात का विरोध किया था कि अभी भी जब दो भाषाओं के अन्दर पढ़ना भी अधिक भार प्रद मालूम होता है तो तीन भाषाओं में तो और भी अधिक भार मालूम होगा। जब तीन भाषाओं के पढ़ने की बात ऑल इन्डिया लेवल पर तय हो जाती है तो उस समय जब कि राजस्थान में हमने संस्कृत भाषा को पढ़ाने की पहले ही व्यवस्था कर रखी है, जिसके बारे में बार बार सदन में जोर दिया जाता है तो अगर उसके साथ साथ राजस्थानी को भी हम अनिवार्य रूप से लागू कर देते हैं तो हमें यह देखना पडेगा कि उसका असर दूसरे सबजेक्ट्स पर और अन्य चीजों पर कितना पड़ेगा? इसलिये यह एक गंभीर विषय है, इसलिये इस पर बहुत विचार की आवश्यकता है। पहले हमें यह देखना होगा कि किस स्टेज पर इसको कायम कर सकते हैं? इसकी पहले जानकारी हासिल करें, उसके बाद इस पर विचार कर सकते हैं, अगर इसको ओप्शनल सबजेक्ट्स की तौर पर लागू करने की गुंजाइश रखें तो वह बात कुछ समझ में आ सकती है, लेकिन अलग अलग क्लासेज़ में इसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं अनिवार्य विषय की तौर पर, तो वह बहुत भार साबित होगा विद्यार्थियों के लिये।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं खुद भी माननीय प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव से ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया कि उनका मतलब यह हो सकता है कि इसको रीज़नल लेंग्वेज की तौर पर पढ़ाने से न हो या एक माध्यम रुप से इस भाषा को स्वीकार करने से हो। जहां तक मैं इस प्रस्ताव को समझ पाया हूं एक सब्जेक्ट की तौर पर इसको पढ़ाने की बात आती है। अगर ऐसा है तो जैसा कि मैंने निवेदन किया ओप्शनल सब्जेक्ट की तौर पर राजस्थानी भाषा के संबन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये अवसर दिया जा सकता है। यह इस प्रकार का विषय है जिसके अन्दर शिक्षा विशेषज्ञों की राय लेना आवश्यक है। उनकी अगर कोई कमेटी हो तो वह कमेटी सारी चीजों का अध्ययन कर उस पर अपनी रिपोर्ट दे, उसके बाद इस विषय में कोई कार्यवाही की जाय, तो उसे उचित कहा जा सकता है, बजाय इसके कि जैसा कि इस प्रस्ताव में है कि सदन के पांच सदस्यों की एक कमेटी हो और वह कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सीधी यहीं पेश करे; यह जो बातें हैं, यह जो कार्यवाही है उसे उचित बात नहीं कह सकते। मैं प्रस्तावक महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और उनको विश्वास होना चाहिये कि राजस्थानी भाषा के बारे में, राजस्थानी साहित्य के बारे में हमने अभी एक हिन्दी एकेडेमी के निर्माण की व्यवस्था की है। हमने उसके साथ राजस्थानी एकेडेमी को जोड़ा है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के बारे में आगे और क्या किया जा सकता है यह देखने की बात आती है? राजस्थानी साहित्य जो पुराना है, खास तौर से डिंगल भाषा के अन्दर उसको एकत्रित कर उसको प्रकाशित करने की कार्यवाही होनी चाहिये। पृथ्वीराज रासो के बारे में भी कहा गया। जहां तक इसके प्रकाशन का सवाल है, उसमें राजस्थान सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जिनके बारे में अलग अलग जगह खोज चलती रही है! हमारा पुरातत्व विभाग है, वह भी इस ओर कार्य करता है, उसके कार्य के जरिये भी बहुत से अप्रकाशित साहित्य सामने आ रहे हैं। ये भी एक प्रकार से राजस्थानी को प्रोत्साहन देने की बातें हैं। मैं समझता हूँ, इस प्रकार से जो साहित्य प्रकाशित होने वाला है, उससे हमारी इस भाषा को काफी फायदा होने वाला है। जैसे आज बृजभाषा का साहित्य है वह बहुत समृद्धिशाली साहित्य है, किन्तु बृजभाषा आज राष्ट्र की भाषा नहीं, उसे साहित्य की भाषा अवश्य कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही समझी जाती है। बृजभाषा को एक प्रकार सिस्टर लेंग्वेज की तरह माना जाता है | आज के समय में डिंगल सहित हिन्दी को समृद्ध करना ही उपयुक्त हो सकता है। आज जो कवितायें या और रचनायें इसमें तैयार की गई हैं, उन पर विचार करने के लिये एक कमेटी कायम की गई है। उसके अन्दर मैं आपको यह बताना चाहूंगा सदन के कुछ माननीय सदस्यों को भी हम एसोसियट करेंगे। उससे मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय को विश्वास होना चाहिये कि राजस्थानी साहित्य के प्रति हमारी विरोधी भावना नहीं। हम भी यह चाहते हैं कि इसकी खास प्रगति हो और उसका साहित्य संसार के सामने आये, इस ओर हम स्वयं भी प्रयत्न करना चाहते हैं।

जहां तक पढ़ाई के मामलों में इन्ट्रोडयूस करने की बात है, मैंने निवेदन किया, ओप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर किसी स्टेज पर लिया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में भी इस प्रस्ताव की लाइट

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया

में शिक्षा के विशेषज्ञों को रेफर करेंगे कि वे अपनी राय इस पर जाहिर करें और इसके बाद जो राय आवेंगी, उसके अनुसार जो उचित होगा वैसी कार्यवाही की जावेगी।

मैं, इस समय राजस्थानी भाषा, राजस्थान की भाषा है या उसका क्या स्वरूप है या उसका क्या भविष्य होना चाहिये इस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वह इस प्रस्ताव के विषय से बाहर की बात है। इसका विषय शिक्षण संस्थाओं में इसे स्थान देने तक ही है। तो मैं भी उसी हद तक कहूं तो वाजिब होगा। इसलिये यह बात कहकर मैं खतम करता हूं और प्रस्तावक महोदय जो कुछ मैंने कहा है उससे सहमत होंगे और इसलिये अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे और अन्त में और आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्थानी साहित्य एवं उसके जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनका प्रकाशन हो, उसके अध्यन के उपयुक्त स्टेज का अवसर प्राप्त हो, इसकी पूरी जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थानी भाषा को स्कूलों में पढ़ाई में समावेश कराने सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव पर सदन में काफी वाद विवाद हुआ।

अधिकांश सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि राजस्थानी भाषा जैसी कोई भाषा ही नहीं है, बल्कि राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती हैं, वे इतनी विभिन्न हैं कि एक क्षेत्र का रहने वाला दूसरे क्षेत्र की बोली को कदाचित नहीं समझ पाते। परन्तु उनका भ्रम तो आज इस सदन में जो जो विभिन्न क्षेत्रों से आये हुये सदस्यों के, जो उस क्षेत्रीय भाषा में भाषण हुए और जिनको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे मिट जावेगा और मुझे तो अब इस बात के वास्ते और अधिक सन्तोष हो गया कि राजस्थानी भाषा में इतनी विभिन्नता होने की बात कोई तथ्य नहीं, केवल एक कल्पना थी। आज विभिन्न सदस्यों के जो भाषण विभिन्न बोलियों में हुए और उनको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि वह सबके वास्ते सुबोधगम्य है, केवल डाइलेक्ट की दृष्टि से, जैसा कि हरेक भाषा में मिलेगा, थोड़ी बहुत विभिन्नता है। जैसा हाड़ोती से आने वाले एक सदस्य कह रहे थे, अलग अलग शब्द के वास्ते नाला नाला और मारवाड़ी में बोलने वाले सदस्य कह रहे थे न्यारा न्यारा। तो ल और र का इतना ही भेद है। बाकी मौलिक रूप से एक हैं। तो यह जो इस तरह की विभिन्नता है वह डाइलकेट की है, भाषा की नहीं है और जब भाषा शास्त्र के इतने बड़े विद्वान श्री सुनीतकुमार चटर्जी और डाक्टर ग्रीयर्सन इस बात के वास्ते कह चुके हैं कि राजस्थानी स्वतन्त्र भाषा है तो फिर हम कैसे मानें कि राजस्थानी स्वतन्त्र भषा नहीं है। कुछ ने तो कहा कि इसका न ग्रामर है, न कोष है। इसके वास्ते मैं उनकी जानकारी के लिये इतना ही कह देना चाहता हूं कि इसका सर्वांग सम्पूर्ण ग्रामर है। सम्भव है कि उन्होंने कष्ट नहीं उठाया है और इसका एक बहुत विशाल कोष भी है, जिसमें साठ हजार से ऊपर शब्द हैं और वे प्रकाशित नहीं हुए हैं, पर संकलित किये जा चुके हैं। तो यह बोलियों की भिन्नता

[श्री शंभुसिंह]

तो होती है, प्रायः सारी ही प्रान्तीय भाषाओं में करीब २ है। परन्तु इससे हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि यह एक भाषा है। हमारे राजस्थान की साहित्यिक भाषा एक रही है और उसको साहित्य का नाम दिया जा सकता है। प्राचीन काल में जो राजस्थानी के ग्रन्थ लिखे जाते थे वे प्रायः एक साहित्यिक भाषा में लिखे जाते थे और राजस्थान की भाषा की एकता सिद्ध करने के निमित्त मैं निवेदन करूं कि यह जो कुछ काव्य या भजन, जैसे मीरां बाई के भजन ले लीजिये, क्या सारे राजस्थान में सुबोध गम्य नहीं हैं ? सारे राजस्थान में ही नहीं, उसकी सीमा से बाहर गुजरात में भी और सारे देश में बोधगम्य हैं। इसी तरह से और सन्तों के साहित्य को ले लीजिये। रामसनेही पंथ के रामचरण स्वामी हुए, उन्होंने वाणी बनाई। उसको लेकर आज जो सारे राजस्थान में हर कोने में उपदेश दिये जाते हैं तो जन समुदाय उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से रामधन जी की वाणी ले लीजिये। इसी तरह से और दूसरे सन्त पुरुषों की वाणी ले लीजिये। वे तमाम राजस्थान में सुबोधगम्य हैं, इससे अधिक राजस्थानी भाषा की एकता का क्या प्रमाण हो सकता है ? बोलियों में विभिन्नता हो सकती है और वह सब जगह है। इसलिये इसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला कि साहित्यिक रूप से हम इसे भूल गये और इसके साहित्यिक रूप को अधिक परिपुष्ट करने की तरफ ध्यान नहीं दिया।

आप बंगाल और महाराष्ट्र में हो लीजिये। बंगाल में बोलियों में भिन्नता है और उत्तर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल की स्थानीय बोलियों में काफी भिन्नता है। पर इस भिन्नता के रहते हुए भी उनकी साहित्यिक बंगला एक है क्योंकि इसके लिये वहां काफी परिश्रम किया गया। महाराष्ट्र में भी यही बात है। नागपुर की और कोंकण की महाराष्ट्री में भेद हो सकता है, पर जो साहित्यिक भाषा में समर्थ रामदास स्वामी के दस बोल हैं या भंग हैं; सन्त तुकाराम जी के वे तमाम महाराष्ट्र के लिये सुबोधगम्य हैं। उस पर कोई यह नहीं कह सकता कि यह बोधगम्य नहीं हैं। तो इसी प्रकार से बंगला में बंकिम बाबू के उपन्यास हैं, रवीन्द्र बाबू के ग्रन्थ हैं. वे तमाम बंगला में सुबोधगम्य होते हुए भी स्थानीय बोलियों में डिफरेन्स हो सकता है। तो इस डिफरेन्स होने में कोई वजन नहीं है। बाकी जिस तरह से और भाषाएं एक हैं उसी तरह से राजस्थानी की भाषा एक है। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब यह कहा गया यहां पर कि हम राजस्थानी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके बच्चों के साथ अन्याय करेंगे और उनके लिये यह सुबोधगम्य नहीं हो सकता। यह हास्यास्पद बात है। जो विभिन्न सदस्यों ने राजस्थानी भाषाओं में भाषण दिये वे देहात वालों के लिये ज्यादा सुबोधगम्य हैं। तो देहात के रहने वाले बच्चे और शहर में भी जो बच्चे रहते हैं और घरों में मारवाड़ी में बोलते हैं, उनके लिये राजस्थानी में समझना और भी आसान है। तो ऐसा जो कहते हैं कि यह कोरी कल्पना है उनके लिये मैं निवेदन करता हूं कि यह बात ऐसी नहीं है। हम प्रयत्न करना नहीं चाहते। मुख्य

[श्री शंभुसिंह]

कारण यह है कि हम प्रयत्न नहीं करते, इस तमाम भाषा को साहित्यिक रूप देने का। पर ज्योंही हम शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्थान देंगे त्योंही एक रूपता इसकी हमें महसूस होने लगेगी। तो यह तो एक छोटी सी बात है। कुछ सदस्यों ने क्यों इससे अपना मतभेद जाहिर किया, यह मेरी समझ में नहीं आया पर जब एकरूपता नजर आने लगेगी तो मैं समझता हूं कि उनके मत भेद भी समाप्त हो जावेंगे। बाकी अधिकांश सदस्यों ने इसके पक्ष में काफी समर्थन किया है और उन्होंने इस बात के वास्ते जोर दिया है कि राजस्थानी एक भाषा है और शिक्षण संस्थाओं में इसको प्रवेश मिलना चाहिये।

इसके बाद हमें सरकार की ओर से उत्तर सुनने को मिला। हालांकि वह उत्तर अधिक सन्तोषजनक तो नहीं है और यदि हम कॉन्स्टीट्यूशन की तरफ देखते हैं तो कान्स्टीट्यूशन में जब पेज ३२५ पर १४ भाषाओं को संविधान के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, अब राजस्थानी को इसमें स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं हुई? यह कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली में रहने वाले उस समय के सदस्यों का कर्तव्य था। यह नहीं मालूम कि इस भाषा के वास्ते, उन्होंने क्या सुझाव उस वक्त दिये और क्या नहीं दिये। मगर जिस प्रकार आज इस सदन में मतभेद दृष्टिगोचर होता है, शायद वैसी ही राय वाले सदस्य वहां भी मौजूद हों और उन्होंने जोर नहीं दिया है। परन्तु फिर भी विश्वास है, इसमें यदि वहां के रहने वाले अधिकांश संख्या में इस बात के वास्ते आग्रह करें तो प्रेसीडेंट महोदय, भारतवर्ष के, वह इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि वहां की स्थानीय व्यवस्था भाषा को आफिशियल लेन्ग्वेज में स्थान दिया जाय। तो उपाध्यक्ष महोदय, जब कि ऐसी सारी व्यवस्था स्थानीय भाषाओं में प्रोत्साहन देने की हमारे संविधान में मौजूद है तो मैं नहीं समझता कि सरकार के सामने ऐसी कोई अड़चन पेश आती हो। लेकिन सरकार मास (mass) में प्रवेश नहीं करा पाई है, संपर्क स्थापित नहीं किया है। सरकार यदि उन मासेज़ से संपर्क स्थापित करे तो उनको मालूम होगा कि आम लोग, जनरल मासेज़ का और जिस जनता का यहां पर वे प्रतिनिधित्व करने आये हैं, वह अधिकांश जनता किस बात के लिए इच्छुक है। यह बहुत जरूरी नहीं है कि हम कतिपय लोग यहां बैठकर यहां की कोटि २ जनता की भावना के विरुद्ध कुछ निर्णय ले लें। उनकी भावना वास्तव में राजस्थानी की तरफ है। तो जैसा कि शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि इस वक्त भी प्राच्य शिक्षालय हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं, परन्तु राजस्थानी की प्रगति के वास्ते अभी तक जो काम किया गया है, वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस भाषा के वास्ते, इसकी शिक्षा देने के वास्ते यह विचार प्रकट किया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐच्छिक, विषय, में लाने के वास्ते कुछ विशेषज्ञों को इनके वास्ते कन्सल्ट कर लिया है। यह ठीक है, उनका सुझाव है; यानी उनका यह टीक निश्चय है, उस निश्चय को क्रियान्वित करने के वास्ते यदि वास्तव में वे तत्पर हैं और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल्स में

[श्री शंभू सिंह]

प्राइमरी एजूकेशन राजस्थानी भाषा के द्वारा होना चाहिए, परन्तु यदि ऐच्छिक विषय स्कूल में लोग के वास्ते तैयार हैं तो यह ऐसा हो सकता है कि वह भाषा के विशेषज्ञों को कन्सल्ट करें तो कोई बात नहीं है। वह भी हो सकता है। परन्तु इसमें प्रगति होनी चाहिए और इस राजस्थानी भाषा की अभी तक उपेक्षा की गई है वह बहुत दुख का विषय रहा है। हम राजस्थानी भाषा के उस साहित्य के प्रति, जिसको हमने हमारे पूर्वजों की थाती के काम में ग्रहण किया हैं, यदि हम उपेक्षा को लिए रहेंगे तो हमारे पूर्वजों की थाती को एक तरह से नष्टप्राय: सा कर देते हैं और आज भी हमारे राजस्थान में हमारी उस भाषा के महत्व को समझने वाले दिन व दिन कम होते जा रहे हैं और संभव है कि यदि हम इसी प्रकार की उपेक्षा या उपेक्षित दृष्टि से काम लेते गये तो बहुत संभव है कि हमारी राजस्थानी भाषा का दिनों दिन ह्रास होता जायगा। वह भाषा जिसके वास्ते डाक्टर रवीन्द्रनाथ ने कितने जोरदार शब्दों में प्रशंसा की, और जो भाषा वास्तव में एक परिपक्व भाषा है, परन्तु हमारे यहां के नेताओं की उपेक्षा से कहिये या और किसी बात से कहिये, वह उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती है। अब मैं आशा करता हूं कि जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी ने, जो कि शिक्षा मन्त्री भी हैं, आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही ऐसी एक कमेटी नियुक्त करेंगे जो कि भाषा विद्वान पंडितों की होगी और वह राजस्थान के शिक्षालयों में या पाठशालाओं में राजस्थानी का प्रचार इस प्रकार से कर सके। वे शीघ्र ही उनका इन्वेस्टीगेशन करके अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के इस आश्वासन पर और इस आशा के साथ कि शीघ्र ही इस प्रकार की एक उपसमिति बना दी जायगी और उसमें किसी प्रकार का बिलम्ब नहीं किया जायगा और हमारी पाठशालाओं में राजस्थानी की शिक्षा को समुचित प्रबन्ध शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायगा, मैं अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए सदन से अनुमति चाहता हूँ।

(करतलध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष—जो संकल्प श्री शम्भुसिंह ने प्रस्ताव किया है उसे वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है कि उनको अपना संकल्प वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

रावत श्री शम्भुसिंह—मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—स्थगित कर दें। समय हो चुका है। कल आठ बजे सुबह तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२ बजकर ५ मिनट पर दिनांक १८ मई, १९५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १७ मई, १६५६।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १००० का उत्तर देखिये)

फेहरिस्त नये परमिट मन्जूर होने वाले व्यक्तियों की :

नम्बर शुमार	नाम मालिक	परमिट नम्बर
१.	श्री गिरिराज रघुनाथ	१
२.	अरुणा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	१
३.	,, मूलचन्द	१
४.	,, मदनलाल मोहनलाल	१
५.	,, शरद कुमार पांडे	१
६.	,, सोहनलाल	१
७	,, पूरणमल	१
८.	,, ललता प्रसाद	१
९.	,, भगवतप्रसाद	१
१०.	,, भगवंतसिंह	१
११.	आदर्श यातायात संगठन	१
१२.	,, किशनचन्द	१
१३.	,, गिरधारीलाल रामदत्त	१
१४.	,, शादीलाल गुप्ता	१
१५.	,, छोटूराम	१
१६.	,, श्रीधर शास्त्री	१
१७.	,, कालीचरन	१
१८.	,, नन्दसिंह	१
१९.	,, रमेशचन्द साह	१
२०.	,, बुलीदानसिंह	१
२१.	,, गंगाराम	१

Page No 76

१	२	३
२२.	श्री रमनलाल चुन्नीलाल	१
२३.	,, अमरसिंह	१
२४.	,, राजलदास कोमतराम	१
२५.	,, धन्नाराम	१
२६.	,, रतनदेवी	१
२७.	,, हजारीलाल रामेश्वर	१

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये और जिन्हें प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

१००३ (१२८ ए. टी. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १०९—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) निवाई तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किये गये कौन कौन से तालाब हैं ?

(२) इनमें से प्रत्येक के निर्माण पर कितना कितना रुपया व्यय किया गया है और हर तालाब से कितनी कितनी भूमि को सिंचाई होती है ?

उत्तर

(१) व (२) फहरिस्त संलग्न है।

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF TANKS CONSTRUCTED BEFORE FORMATION OF RAJASTHAN AND AREA IRRIGATED FROM THEM IN TEHSIL NIWAI.

S. N.	Name of Tank.	Area Irrigated.		Remarks.
1.	Matdho Lao	650	Bighas	There are 19 old tanks in Tehsil Niwai out of these tanks 9 tanks are small tanks which are used for bed cultivation only and no irrigation is done from them. The tanks were constructed before formation of Rajasthan and hence the costs of their construction is not available.
2.	Halolao.	100	,,	
3.	Bhanwati.	200	,,	
4.	Raboota.	450	,,	
5.	Lohara North	400	,,	
6.	Lohara South	400	,,	
7.	Barthal	50	,,	
8.	Bhanwati	100	,,	
9.	Nala Bund.	50	,,	
10.	Ghereda.	50	,,	
11.	Rajwas.	Nil	,,	
12.	Ohareda.	NIL	,,	
13.	Halolao Chhota.	,,	,,	
14.	Pahar Pichala	,,	,,	
15.	Goodha Bijaipura	,,	,,	
16.	Gunsi.	,,	,,	
17.	Dangarthal.	,,	,,	
18.	Sura.	,,	,,	
19.	Allahapura	,,	,,	

परिशिष्ट ५०२६

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF TANKS CONSTRUCTED AFTER THE FORMATION OF RAJASTHAN BY IRRIGATION DEPARTMANT IN TEHSIL NIWAI.

S. No.	Name of Tank.	Expenditire incurred.	Area to be irrigated	Remarks.
1.	Bidoli.	Rs. 1,79,654/-	1,250 Acres	
2.	Jugalpura.	" 26,991/--	219 "	
3.	Sukhpura.	" 31,638/--	159 "	
4.	Bichapuri.	" 42,774/..	280 "	

प्रश्न

१००५ (१३१ ए. टी. एम.) श्री धूलजी भाई, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बांसवाड़ा, तहसील घाटोल, ग्राम पड़ोसी के तालाब से कितनी नहरें किन किन ग्रामों से होकर निकाली गई हैं एवं कितनी दूरी तक गई हैं ?

(ख) नहर खोदने की मजदूरी की रकम अब तक जिन मजदूरों को चुकाई गई हो उनके नाम क्या हैं व जिनको अब तक रकम नहीं चुकाई गई वे कितने मजदूर हैं और कितनी रकम चुकाना बाकी है ?

उत्तर

(क)
(ख)
(ग) } इसका जवाब अभी नहीं आया है, जवाब आने पर दिया जा सकता है।